C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXX, Twelfth Session, 2012/1934 (Saka)
No.15, Thursday, December 13, 2012/Agrahayana 22, 1934 (Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	2
Eleventh Anniversary of terrorist attack on Parliament House	
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No.281 to 282	3-16
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.283 to 300	17-69
Unstarred Question Nos.3221 to 3450	70-509

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **510-520**

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT **521**

(i) 247th Report

(ii) Evidence

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 14th Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants(2012-13), pertaining to the Ministry of Water Resources

Shri Harish Rawat **522-523**

MATTERS UNDER RULE 377 **524-540**

(i) Need to take steps for the revival of Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited

Shri N.S.V. Chitthan 525

(ii) Need to constitute Narmada River Development Authority

Shri Udai Pratap Singh 526

(iii) Need to provide Aadhaar Cards to all the people in Anantpur parliamentary constituency in Andhra Pradesh

Shri Anantha Venkatarami Reddy 527

(iv) Need to take action against plagiarism in the country

Shri Harsh Vardhan 528

(v) Need to improve the wages and service conditions of Accredited Social Health Activists employed under National Rural Health Mission

Shri P.T. Thomas 529

(vi) Need to accord approval for construction of sewer lines in Murar Cantonment area in Gwalior, Madhya Pradesh

Shrimati Yashodhara Raje Scindia 530

(vii) Need to accord financial approval to Sahjanwa-Dohrighat and Barhaj Bazar – Faizabad via Dohrighat railway projects in Uttar Pradesh

Shri Kamlesh Paswan 531

(viii) Need to investigate the collapse of metro rail service to Indira Gandhi International Airport, New Delhi

Shri Anurag Singh Thakur 532

(ix) Need to expedite construction of bye-pass in Gumla city in Lohardaga parliamentary constituency in Jharkhand

Shri Sudarshan Bhagat 533

(x) Need to augment irrigation facilities in the country

Shri Hansraj G. Ahir 534

(xi) Need to initiate stringent laws to stop pollution of rivers particularly Ganga and Yamua in the country

Dr. Ratna De 535

(xii) Need to construct an additional bridge on river Kansaboti between Kharagpur and Midnapore in West Bengal

Shri Pulin Bihari Baske 536

(xiii) Need to ensure full benefits of social security schemes to the working class in the private sector in the country

Shri Ajay Kumar 537-538

(xiv) Need to create a separate state of Bodoland

Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary 539-540

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2012-2013 **541-577**

Shri Ananth Kumar 541-558

Shri Sis Ram Ola 559-563

Shri Shailendra Kumar 564-569

Shri Gorakhnath Pandey 570-574

Shri Arjun Roy 575-577

DISCUSSION UNDER RULE 193 **578-619**

Need for uniform education system in the country

Shri Shailendra Kumar 578-585

Kumari Meenakshi Natrajan 586-591

Shrimati Sumitra Mahajan 592-600

Shri Gorakhnath Pandey 601-603

Shri Jagdish Sharma 604-607

Prof. Saugata Roy 608-611

Sk. Saidul Haque 612-615

Shri Tathagata Satpathy 616-619

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	643
Member-wise Index to Unstarred Questions	644-648

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	649
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	650-651

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER
Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER
Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN
Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL
Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, December 13, 2012/Agrahayana 22, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

Eleventh Anniversary of terrorist attack on Parliament House

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, 13 दिसम्बर, 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले की आज ग्यारहवीं बरसी है। हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था की सफलतापूर्वक रक्षा के लिए आतंकवादियों के नापाक इरादों को विफल करते हुए दिल्ली पुलिस के पांच जवान सर्वश्री नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेन्द्र सिंह और घनश्याम, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल श्रीमती कमलेश कुमारी तथा संसद सुरक्षा सेवा के दो सुरक्षा सहायक सर्वश्री जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी शहीद हो गए थे। एक कर्मचारी श्री देशराज ने भी अपने प्राण गवाएं।

इस अवसर पर यह सभा हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है।

हम अपने देश की एकता, अखण्डता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराते हैं।

अब सभा के सदस्य इस भावप्रवण अवसर पर खड़े होकर कुछ देर मौन धारण करेंगे।

11.01 hrs.

The Members then stood in silence for short while.

...(व्यवधान)

11.02 hrs.

At this stage Shri Ramashanker Rajbhar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

11.03 hrs.

MADAM SPEAKER: Question Hour.

Question no. 281. Shri Ajay Kumar.

… (*Interruptions*)

(Q.281)

SHRI AJAY KUMAR : I want to ask the hon. Rural Development Minister as to whether he is considering how to educate the public regarding the distribution of pucca work and kutcha work.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाएं।

…(व्यवधान)

SHRI AJAY KUMAR: One of the problems for the NREGA work is that the 60:40 per cent ratio is not known to the villagers. … (*Interruptions*) I would request the hon. Minister if the Government is considering some programme to educate the Gram Panchyat and the village so that the pucca work in the village can come up to 40 per cent.… (*Interruptions*)

Today the Government has given a ratio of 60:40 per cent. But, in reality the pucca work is less than 10 per cent. … (*Interruptions*) I would request the Minister if they can educate all the Panchyats through posters and through modules as to what work can be done under the pucca work like *naali*, pond cementing, tarred wall on the pond, making roads, pavement blocks on the roads. So, I would request the hon. Minister if he could timely consider this or whether the Government will consider this opinion. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: यह आप क्या कर रहे हैं, कृपया बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

SHRI JAIRAM RAMESH: Under the MGNREGA, the 60:40 ratio is maintained at the Gram Panchayat level. There was some ambiguity on whether it is maintained at the project level or district level. The 60:40 ratio of wage to material is maintained at the Gram Panchayat level. The priority for works under MGNREGA is determined by the Gram Panchayat from the schedule of works that is permissible under MGNREGA. … (*Interruptions*)

Now, regarding the hon. Member's question relating to educating the villagers of the type of works that have to be undertaken, the schedule of works has already been laid out very clearly under MGNREGA. It is available to the Gram Panchayat and we would make it entirely possible for people to know what type of works have to be undertaken. … (*Interruptions*)

The problem is that in some States authority has not been fully devolved to the Gram Panchayat and Panchayat institutions, and Jharkhand is one of those States.… (*Interruptions*)

11.07 hrs.

At this stage Shri Ganesh Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

SHRI AJAY KUMAR: I would request the hon. Minister to put up a time-bound schedule … (*Interruptions*) to educate Gram Pradhans. I would request the Minister to put up a work schedule and a sample for the District Project Officer and NREGA. Every district should create a template. The District Project Officer for MGNREGA projects should create a template of what work can be done in every village. That is not difficult. So, I would request the Minister through you to give instructions to State Governments that they would create a module from which each village will know how much of *naali,* how much of road, how much of labour they can do. … (*Interruptions*)

SHRI JAIRAM RAMESH: There are Rozgar Sewaks. It is the job and responsibility of the Rozgar Sewaks to provide all the information on type of works that can be taken up under NREGA. However, if there are some limitations and inadequacies in this programme, I assure the hon. Member that we would certainly look into it and ensure that full information is available at the level of the village, particularly on the type of works that can be undertaken under MGNREGA. … (*Interruptions*)

11.09 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप एक मिनट चुप रहिये। आज के दिन 9 लोग शहीद हो गये थे। वे इस सब के लिए शहीद नहीं हुए थे। आज के दिन 9 लोगों ने जान गंवाई थी, इसके लिए नहीं गंवाई थी। आप लोग क्या बोल रहे हैं। What is this going on? I will not adjourn the House.

… (*Interruptions*)

SHRI S.S. RAMASUBBU : Madam Speaker, NREGA work is very important in villages. Now-a-days men and women are on equal footing because of these works. Women are empowered in villages because of NREGA. Moreover, now-a-days the wages are equal to both men and women. This is UPA's very big achievement. At the same time, about the payment, I would like to ask one question to our Minister. The payment is given through banks.

Our scheme is very good and through the banks, the people are getting the payment. … (*Interruptions*) At the same time, the payment should be directly given to the village people through banks. … (*Interruptions*) These days ATMs are there. The mobile ATMs may go the villages and the people should be able to get their wages there itself. … (*Interruptions*) I would like to request the hon. Minister whether the Government can pay the wages directly to the labourers through the banks. … (*Interruptions*) by introducing the mobile ATM system. It will be helpful to poor village labourers who are unaware of banking knowledge.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, at the national level, about 55 per cent of the wage payment is through banks and about 45 per cent is through post offices. … (*Interruptions*) Tamil Nadu is the only State where the entire wage payment is done through cash. … (*Interruptions*)We have been encouraging the State Governments to move towards banks or post offices. … (*Interruptions*)

I agree with the hon. Member that the challenge is not just to give them wage into their banks accounts or their post office accounts, … (*Interruptions*) but to give the wage payment in the hands of the wage labourer, in the hands of the family of the beneficiaries. … (*Interruptions*) This is what the main motivation of the new Direct Credit Transfer Scheme is, which is being launched in 51 districts, where with the help of the business correspondents and with the help of the micro ATMs, … (*Interruptions*) we will ensure that the MGNREGS payment does not go merely into the account of the wage earner in the bank or the post office, but will go directly into the hands of the family. … (*Interruptions*) This scheme is being launched on 1st January in 51 districts and I hope that with this scheme, the delays in payment will be considerably reduced. … (*Interruptions*)

श्रीमती रमा देवी : महोदया, क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में घोर अनियमितताओं को देखने का है। इसके अंतर्गत पंजीकृत कार्डधारियों को दिए जा रहे दैनिक मजदूरी के आधार पर एक निश्चित मासिक मानदेय आधारित करने के रूप में नियुक्त करने तथा तद्नुसार काम लेने का है। यदि हां, तो क्या इस संबंध में तत्काल कोई कार्रवाई की जा रही है?...(व्यवधान)

श्री जयराम रमेश : महोदया, यह सवाल सुनने में नहीं आया है। अगर माननीय सदस्य इस सवाल को दोहरा दें, तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं।...(व्यवधान)

श्री पुलीन बिहारी बासके : अध्यक्ष महोदया, मनरेगा में काम देने की गारंटी सौ दिन की है। पूरे देश में सौ दिन काम देने की जगह केवल पचास दिन काम मिल रहा है। हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में केवल 25 दिन या 28 दिन काम मिल रहा है। राज्य सरकार इस तरफ सही ढंग से ध्यान नहीं दे रही है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है।...(व्यवधान)

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर आदि जगहें ऐसी हैं जहां पैसे की जरूरत है। मंत्री जी ने बहुत-से जिलों और राज्यों में घूमकर देखा है कि कैसा काम हो रहा है। यह बैकवर्ड एरिया है, नक्सलाइट एरिया है, ट्राइबल डोमिनेटिड एरिया है।...(व्यवधान) मंत्री जी डायनेमिक हैं, इफेक्टिव काम कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कोई सही कदम उठाएंगे?...(व्यवधान)

श्री जयराम रमेश : महोदया, यह बात सही है कि योजना का उद्देश्य सौ दिन का रोजगार देना है, परन्तु राष्ट्रीय औसत के तौर पर सिर्फ आठ प्रतिशत परिवारों को सौ दिन का रोजगार मिल पाया है। पश्चिम

बंगाल में सिर्फ दो प्रतिशत परिवार ऐसे हैं, जिन्हें सौ दिन से अधिक रोजगार मिला है। यह बात सही है कि सौ दिन रोजगार देने का लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं और औसत पचास दिन से कम है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या धनराशि की उपलब्धि की कमी के कारण यह औसत कम है। मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में धनराशि की कमी नहीं है। महात्मा गांधी 'नरेगा' के तहत जब पैसे की मांग आती है, राज्य सरकार से हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, ऑडिट रिपोर्ट मांगते हैं और जब हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट मिलती है, तब हम धनराशि रिलीज करते हैं।...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब भी पश्चिम बंगाल सरकार से मांग आई है, वह मांग पूरी हुई है।...(व्यवधान) इसलिए यह कहना कि पश्चिम बंगाल में पैसे की कमी है, यह बिल्कुल गलत है।...(व्यवधान) मैं ऐसे आरोपों का पूरा खंडन करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1130 a.m.

11.16 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

11.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

11.30 ½ hrs

At this stage, Dr. Sanjay Jaiswal, Shri Dara Singh Chauhan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

MADAM SPEAKER: Question No. 282. Shri Anto Antony.

… (*Interruptions*)

(Q. 282)

SHRI ANTO ANTONY : Madam, I would like to know through you whether the Government has taken any evaluation of Prime Minister's Employment Generation Programme. If so, which are the States performing well and which are the States lagging behind and what are the major lessons from the evaluation?… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI JAIRAM RAMESH): This question that is asked is related to Employment Guarantee Programme.… (*Interruptions*)

SHRI ANTO ANTONY : No, I am asking a question to Shri Muniyappa. I have asked one supplementary question. My second supplementary question is that the Prime Minister's Task Force on MSME Sector made 87 recommendations and the Government has accepted most of the recommendations and 35 recommendations are yet to be implemented. What are the reasons for delay? And what are the steps that are taken by the Government to implement the recommendations and the time frame given in this regard? … (*Interruptions*)

SHRI K.H. MUNIYAPPA: The question is asked for the Kerala. We have given 581 units in Kerala. The total amount we have given is Rs. 20,34,00,000 for the development of the Coir Board. We have given 424 Coir units for Mahila Yojana. This is the programme which we have given for Kerala.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1200 hours.

<u>11.34 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

<u>12.00 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Now Papers to be laid.

… (*Interruptions*)

<u>12.0 ½ hrs</u>

At this stage, Dr. Baliram and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI ASHWANI KUMAR): I beg to lay on the Table a copy of the 8th Annual Statement (Hindi and English versions) on the Pending Law Commission Reports-December, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7859/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI HARISH RAWAT): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) Statement regarding Review by the Government of the working of the WAPCOS Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(2) Annual Report of the WAPCOS Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7860/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Pesticide Formulation Technology, Gurgaon, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Pesticide Formulation Technology, Gurgaon, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 7861/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Chennai, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Chennai, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7862/15/12)

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7863/15/12)

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Fertilisers and Chemicals Tranvancore Limited, Cochin, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Fertilisers and Chemicals Tranvancore Limited, Cochin, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7864/15/12)

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Fertilizer Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Fertilizer Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7865/15/12)

(d) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Fertilizer Corporation Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Hindustan Fertilizer Corporation Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7866/15/12)

(e) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, Jodhpur, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, Jodhpur, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7867/15/12)

(f) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Projects and Development India Limited, Noida, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Projects and Development India Limited, Noida, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7868/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) (i) Review by the Government of the working of the NHPC Limited, Faridabad, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the NHPC Limited, Faridabad, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7869/15/12)

(2) (i) Review by the Government of the working of the Power Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Power Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7870/15/12)

(3) (i) Review by the Government of the working of the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7871/15/12)

(4) (i) Review by the Government of the working of the North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7872/15/12)

(5) (i) Review by the Government of the working of the NHDC Limited (formerly Narmada Hydroelectric Development Corporation), Bhopal, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the NHDC Limited (formerly Narmada Hydroelectric Development Corporation), Bhopal, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7873/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI K.H. MUNIYAPPA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7874/15/12)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Fragrance and Flavour Development Centre, Kannauj, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Fragrance and Flavour Development Centre, Kannauj, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7875/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Tool Room and Training Centre, Bhubaneswar, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Tool Room and Training Centre, Bhubaneswar, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7876/15/12)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Footwear Training Institute (Technology Development Centre), Agra, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Footwear Training Institute (Technology Development Centre), Agra, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7877/15/12)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Tool Room and Training Centre, Kolkata, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Tool Room and Training Centre, Kolkata, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7878/15/12)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Process and Product Development Centre, Agra, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Process and Product Development Centre, Agra, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7879/15/12)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indo German Tool Room, Ahmedabad, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indo German Tool Room, Ahmedabad, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7880/15/12)

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Process Cum Product Development Centre(Technology Development Centre), Meerut, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Process Cum Product Development Centre (Technology Development Centre), Meerut, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7881/15/12)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indo German Tool Room, Aurangabad, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indo German Tool Room, Aurangabad, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7882/15/12)

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Design of Electrical Measuring Instruments, Mumbai, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Design of Electrical Measuring Instruments, Mumbai, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7883/15/12)

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Tool Room, Ludhiana, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Tool Room, Ludhiana, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7884/15/12)

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indo Danish Tool Room, Jamshedpur, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indo Danish Tool Room, Jamshedpur, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7885/15/12)

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indo-German Tool Room, Indore, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indo-German Tool Room, Indore, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7886/15/12)

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for the Development of Glass Industry, (Technology Development Centre), Firozabad, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for the Development of Glass Industry, (Technology Development Centre), Firozabad, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7887/15/12)

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Tool Design, Hyderabad, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Tool Design, Hyderabad, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7888/15/12)

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Hand Tools, Jalandhar, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Hand Tools, Jalandhar, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7889/15/12)

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tool Room and Training Centre, Guwahati, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tool Room and Training Centre, Guwahati, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7890/15/12)

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Electronics Service and Training Centre (Technology Development Centre), Nainital, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Electronics Service and Training Centre (Technology Development Centre), Nainital, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7891/15/12)

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the COIR Board, Kochi, for the year 2011-2012.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the COIR Board, Kochi, for the year 2011-2012, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the COIR Board, Kochi, for the year 2011-2012.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the COIR Board, Kochi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7892/15/12)

… (*Interruptions*)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) का.आ.1747(अ) जो 7 अगस्त,2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उत्पाद अथवा क्रियाकलाप समूहों का गठन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 617(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 6 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(Placed in Library, See No. LT 7893/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI JAIRAM RAMESH): On behalf of my colleague Shri Pradeep Jain, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Rural Development, Hyderabad, for the year 2011-2012.

(2) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Rural Development, Hyderabad, for the year 2011-2012, together with Audit Report thereon.

(3) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Rural Development, Hyderabad, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7894/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI ADHIR CHOWDHURY): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) (i) Review by the Government of the working of the Railtel Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Railtel Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7895/15/12)

(2) (i) Review by the Government of the working of the RITES Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the RITES Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7896/15/12)

(3) (i) Review by the Government of the working of the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7897/15/12)

(4) (i) Review by the Government of the working of the Rail Vikas Nigam Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Rail Vikas Nigam Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7898/15/12)

(5) (i) Review by the Government of the working of the Container Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Container Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7899/15/12)

(6) (i) Review by the Government of the working of the Indian Railway Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Indian Railway Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7900/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI NINONG ERING): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Wakf Council, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Wakf Council, New Delhi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7901/15/12)

… (*Interruptions*)

12.03 hrs.

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(i) 247th Report

SHRI VIRENDER KASHYAP (SHIMLA): I beg to lay on the Table the Two Hundred Forty-seventh Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Human Resource Development on the Higher Education and Research Bill, 2011.

(ii) Evidence

SHRI VIRENDER KASHYAP : I beg to lay on the Table the Evidence tendered before the Committee on Human Resource Development on the Higher Education and Research Bill, 2011.

———

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You have registered your protest. Now you please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

12.04 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 14th Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants(2012-13), pertaining to the Ministry of Water Resources *

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI HARISH RAWAT): I beg to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the Fourteenth Report of Standing Committee on Water Resources in pursuance of Direction 73A of the hon. Speaker, Lok Sabha issued vide Lok Sabha Bulletin Part-II dated September 01, 2004.

The Fourteenth Report of Standing Committee on Water Resources (Fifteenth Lok Sabha) was laid in the Lok Sabha on 03.05.2012. This Report related to the examination of Demands for Grants of the Ministry of Water Resources for the year 2012-13.

Action Taken Notes on the recommendations/ observations contained in the above said report of the Standing Committee had been sent to the Committee on 6th August, 2012. There were 31 recommendations paragraphs in this report containing recommendations / observations made by the Committee where action was called for on the part of Government. These recommendations / observations mainly relate to the issues like need to evolve a rational and sound system for budgeting, extension of Hydrology Project till June 2014, timely submission of UCs, strengthening the monitoring mechanism of Major / ERM Projects, full utilization of fund under 'Ground Water Management and Regulation', restructuring process of Central Ground Water Board, complete pending work of water bodies, devise better and effective measures to release to the flood prone states, slow speed under Flood Management Programme, achieving of targets within stipulated time, early commencement of Pagladia Dam Project, timely submission of proposal under AIBP by the States, making the AIBP Budget an

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7902/15/12.

integral part of DFG of MoWR, encourage and motivate the States of North Eastern Region to submit proposal regarding Repair, Renovation, Restoration of Water Bodies, Restructuring of Brahmaputra Board etc.

The present status of implementation of various recommendations made by the Committee is indicated in Annexure to my Statement which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of this Annexure and request that this may be considered as read.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Many hon. Members have given 'Zero Hour' submissions. Please allow them. It is your time. Please avail this time. We will have many issues.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.05 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

<u>14.00 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Those Members who have been permitted to raise Matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those Matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) **Need to take steps for the revival of Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited**

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Hindustan Photo Films (HPF) Manufacturing Company Limited is the only public sector undertaking in the backward district of Nilgiris which was established with the sole purpose of social and economic development of the people of Nilgiris.

HPF, inaugurated by Smt. Indira Gandhi in 1967, is a unique Photographic Goods Manufacturing Industry which is the only one of its kind in India. It has contributed significantly to the Nation. The company incurred losses for various reasons after the introduction of liberalization policy and was declared sick during 1996. During the past 16 years, many efforts were made to get the sanction for a Financial Restructuring of the Revival Proposal but the company was not given even a single opportunity to prove its worth with the sanction of a Revival Scheme. It is pertinent to note that HPF has been continuously in operation with production and sales and the employees are working with total dedication in spite of being paid only the meager 1987 scale of wages.

All the employees were eagerly awaiting the approval of the proposal and sanction of minimum revision of wages.

May I urge upon the Government of India to take immediate steps for the revival of HPF and also to increase the salary of its employees?

(ii) **Need to constitute Narmada River Development Authority**

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी है । आदिकाल से ही प्राचीन ग्रंथों में भी इसको पूजनीय कहा गया है । बहुत बड़ी तादाद में लोगों की आस्थाएं एवं धार्मिक भावनाएं इससे जुड़े होने के कारण कई छोटे और बड़े तीर्थ स्थल भी इसके किनारे बसे हुए हैं । वर्तमान में भी अनेक जल विद्युत परियोजनाएं, सिंचाई नहरें इस नदी के माध्यम से चल रही है और लाखों लोगों को जीवन प्रदान कर रही है जिसके कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है ।

इन सबके चलते इस नदी के संरक्षण तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को चलने में एक राष्ट्रीय नर्मदा नदी विकास प्राधिकरण अथवा कोई स्वायत संस्था का गठन करना अति आवश्यक है । स्मरण रहे कि गंगा नदी के लिए इसी प्रकार का एक विकास प्राधिकरण देश में कार्य कर रहा है । इस प्राधिकरण के गठन से कई प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से अमल में लाए जा सकेंगे । धार्मिक महत्व होने से घरेलू एवं तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व कर बढ़ने के साथ बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रोजगार से जुड़ेंगे ।

(iii) Need to provide Aadhaar Cards to all the people in Anantpur parliamentary constituency in Andhra Pradesh

SHRI ANANTHA VENKATARAMI REDDY (ANANTAPUR): I want to highlight the problems of the people of my constituency, Anantapur, in procuring Adhaar cards. Nearly ten lakh people have not yet received Aadhaar cards. The UPA Government is going to implement the welfare scheme for the beneficiaries by direct cash transfer to their accounts. This scheme is linked with the Aadhaar number. The villagers are agitated that they have not received aadhaar cards.

According to Government figures, Anantapur district is in the first place in the distribution of Aadhaar cards. That is why its has been chosen for implementing the direct cash transfer scheme from January, 2013. The Government has issued instructions to the district administration to open bank accounts in respect of beneficiaries. As per Aadhaar cards banks accounts are required to be opened. The State Government has to inform the Central Government about the progress on issuing Aadhaar cards and opening of bank accounts by this month end. According to district administration officials, out of 40 lakh beneficiaries, 10 lakh beneficiaries are not in receipt of Aadhaar cards. Beneficiaries are having apprehensions that they will not receive direct cash transfer. Out of these 10 lakhs, 8 lakh beneficiaries have not received Aadhaar cards and remaining 2 lakh beneficiaries have undergone neither biometric nor IRIS tests.

Those who have applied for Aadhaar cards and in possession of receipt of the same, bank accounts may be opened. But what about people who have not yet received the Aadhaar cards?

Therefore, I urge upon the Government to complete the exercise of issuing of Aadhaar cards to the remaining ten lakh people at the earliest so that they can receive cash transfers in their bank accounts.

(iv)Need to take action against plagiarism in the country

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): देश-विदेश के लेखकों की पुस्तकों की सामग्री की नकल कर अपने नाम से पुस्तक प्रकाशित कराने के अनेकों मामले वर्तमान में प्रकाश में आए हैं । इस संबंध में निम्न प्रकरणों पर मैं तथ्यों की जांच चाहता हूं :-

1. क्या अवधेश सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की पुस्तक 'बी.जे.एम.सी.-600' के अध्याय - 'फिल्मों का इतिहास' एवं 'संचार के सात सोपान' नामक पुस्तक का अध्याय-7 के अंतर्गत लिखित सामग्री एक है ।
2. क्या पुस्तक 'संचार माध्यमों का प्रभाव' की सामग्री के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डी.लिट. शोध थीसिस लिखी गई और बाद में उसे 'पत्रकारिता एवं विकास संचार' पुस्तक के रूप में छपवा लिया गया ।

मैंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी इन प्रकरणों से अवगत कराया था । ऐसे मामलों में आरोपी को सजा दिलाना अत्यंत दुष्कर होता है ।

मेरी मांग है कि नकल कर लेखक बन शैक्षणिक व अन्य संस्थाओं में उच्च पदों पर पहुंचे व्यक्तियों को प्रथम दृष्टि में दोषी पाए जाने पर तत्काल पदच्युत कर दिया जाए एवं आरोप सिद्ध होने पर उनको संबंधित पुस्तक के आधार पर प्राप्त नौकरी एवं पदोन्नति के दौरान मिलने वाला वेतन एवं अन्य देय भत्तों की वसूली की जाए ।

(v) Need to improve the wages and service conditions of Accredited Social Health Activists employed under National Rural Health Mission

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I invite the attention of the Government towards the grievances of ASHA workers employed under NRHM. They are getting only a nominal incentive and even it is not timely disbursed. The honorarium should be raised to Rs. 3,000. Special incentive should be given to those workers engaged in palliative care and non communicable disease camps. Also, the incentive under Janani Suraksha Yojana should be increased. ESI coverage should be extended to Asha workers. The Central Government should notify guidelines for wages and service conditions for all workers employed under NRHM. An effective grievances redressal system must be instituted at the earliest to address the complaints of ASHA workers and improve functioning of the NRHM programme.

(vi) **Need to accord approval for construction of sewer lines in Murar Cantonment area in Gwalior, Madhya Pradesh**

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर): ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छावनी क्षेत्र मुरार में कुल 7 वार्ड हैं । वार्ड क्रमांक 1 - लाल टिपारा, महेशपुर; वार्ड क्रमांक 2 - बंशीपुरा, मरीमाता; वार्ड क्रमांक 4 - तिकोनिया एवं बंगाली कॉलोनी; वार्ड क्रमांक 5 - हरदेवसिंह की टाल, सुतारपुरा, साहुपुरा; वार्ड क्रमांक 6 एवं वार्ड क्रमांक 7 - घोसीपुरा एवं माधोपुरा में सीवर लाईन न होने से इन मोहल्लों में निवास करने वाले परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर नारकीय जीवन जी रहे हैं ।

छावनी क्षेत्र, मुरार में उपरोक्तानुसार 6 वार्डों में सीवर लाईन डालने हेतु प्रस्ताव तैयार कर नवम्बर, 2011 में प्रधान निदेशक रक्षा मंत्रालय, पुणे द्वारा रू. 1.27 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर अग्रिम कार्यवाही/स्वीकृति हेतु महानिदेशक रक्षा सम्पदा, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा गया था जो अभी तक विचाराधीन है । अपेक्षित स्वीकृति न मिलने के कारण छावनी क्षेत्र मुरार के विभिन्न वार्डों में निवास करने वाले परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ।

अतः मैं छावनी क्षेत्र मुरार के आबादी क्षेत्र में सीवर लाईन डालने हेतु लंबित प्रस्ताव पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की मांग करती हूं ।

(vii) Need to accord financial approval to Sahjanwa-Dohrighat and Barhaj Bazar – Faizabad via Dohrighat railway projects in Uttar Pradesh

श्री कमलेश पासवान (बांसगांव): मैं सरकार का ध्यान दो नई रेल परियोजनाओं पर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि मेरा संसदीय क्षेत्र बांसगांव पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर से संलग्न है । रेलवे की पर्याप्त सुविधाओं से वंचित इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रेल लाइन सहजनवां-दोहरीघाट के निर्माण हेतु सर्वे कार्य जो सन् 1992 में ही पूर्ण हो चुका है और जिसकी न्यूनतम लागत मात्र 66 करोड़ 95 लाख रूपये है, को अब तक वित्तीय स्वीकृति नहीं प्राप्त हो सकी है । यह पूर्वांचल की एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना है, जिसके पूर्ण होने से प्रमुख बौद्ध स्थलों सारनाथ, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु को आपस में जोड़ने से आम जन को भी काफी राहत मिलेगी ।

वहीं एक दूसरी अति महत्वपूर्ण रेल परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश की बरहज बाजार से फैजाबाद वाया दोहरीघाट नई रेल लाइन की है जिसका सर्वे कार्य सन् 2005 में पूरा हो चुका है, जिसकी न्यूनतम लागत 781 करोड़ 78 लाख रूपये मात्र है, जिसको अब तक वित्तीय स्वीकृति नहीं प्राप्त हो सकी है । पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के निर्माण से जहां असम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं दिल्ली को जोड़ने वाली यह परियोजना मात्र 194 किलोमीटर की है एवं जिसके बनने से दिल्ली जाने की दूरी सबसे कम हो जाएगी और रेलवे के अन्य मार्गों पर दबाव भी काफी कम हो जाएगा ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि वित्तीय स्वीकृति देकर उपरोक्त दोनों परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराए ।

(viii)Need to investigate the collapse of metro rail service to Indira Gandhi International Airport, New Delhi

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR, H.P.): The Delhi Metro rail corridor to Indira Gandhi International Airport was shut down after being declared unfit for operation. A Joint Inspection Committee (JIC) comprising experts from the Delhi Metro Rail Corporation, Indian Railways and Reliance Infra, partner of DMRC in this public private partnership project did a survey of the site. As per the JIC report 91 percent of the bearings are defective and dislocated, 32 per cent of these bearings have cracks, are torn or bulged, 81 per cent of the grout over bearing have cracked or disappeared; 33 per cent of the grout under bearing are cracked, cracks have appeared in seven per cent of the girders holding the 23 kilometer long track.

The Air port Metro was commissioned on 23 February 2011 and ran for 16 months before it was declared unfit for operation. In this time period, it carried 6.8 million passengers in 70,000 trips. The Government needs to answer as to who were responsible for putting lives of millions of passengers at risk, whether any action has been taken against the errant parties and what steps are being taken to prevent recurrence of such incidents in the future.

(ix) **Need to expedite construction of bye-pass in Gumla city in Lohardaga parliamentary constituency in Jharkhand**

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा के अंतर्गत रांची से आने वाले तथा गुमला शहर के मध्य से होकर गुजरने वाले राजमार्ग पर गुमला शहर में प्रस्तावित बाईपास अभी तक वंचित है । बाईपास बनवाने के संबंध में पूर्व में भी मेरे द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को पत्र द्वारा निवेदन किया गया था । यहां के स्थानीय निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए तथा लोगों को हो रही भारी असुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि गुमला बाईपास का निर्माण अविलंब कराया जाए जिससे कि यहां के स्थानीय निवासियों के साथ-साथ पूरे देश के उन लोगों द्वारा जिनके द्वारा इस राजमार्ग का उपयोग किया जाता है, ये सभी लाभांवित हो सकेंगे ।

जबकि गुमला में बाईपास हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3ए के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है तथा इसकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) भी केन्द्र सरकार के पास भेजी जा चुकी है । अतः संबंधित मामले की गंभीरता व लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृपया लोकहित में जल्द से जल्द गुमला बाईपास का निर्माण कराया जाए ।

(x) Need to augment irrigation facilities in the country

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा घटकर 14.9 प्रतिशत रह गया है । कृषि अब सरकार की प्राथमिकता नहीं रही है । सरकार आम आदमी के खाद्यान्न सुरक्षा के लिए विधेयक लाने की बात कर रही है लेकिन खाद्यान्न सुरक्षा के लिए आवश्यक अनाज उत्पादन करने के लिए कृषि पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जा रहा है । आज भी देश के अधिकतर हिस्सों में कृषि कार्य वर्षा जल पर निर्भर है । वर्षा जल पर कृषि निर्भरता से कृषि उत्पादन में अनिश्चितता असुरक्षा के कारण देश का कृषक हतोत्साहित हो रहा है । नेशनल सैम्पल सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कृषि से संबंधित 42 प्रतिशत युवा कृषि से विमुख होना चाहते हैं । कृषकों को लागत के अनुसार न्यूनतम समर्थन नहीं मिलने से स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है और किसान आत्महत्या पर उतारू हो रहे हैं । देश के किसानों की बदहाली दूर करनी है तो पहले सिंचाई सुविधा देश के हर हिस्से में सुनिश्चित कराने की दिशा में काम करना होगा । आज पंजाब, हरियाणा में 94 प्रतिशत सिंचाई और महाराष्ट्र में केवल 19 प्रतिशत सिंचाई के आधार पर कृषकों को एक साथ नहीं समझा जाना चाहिए । यह सामाजिक विषमता की तरह सिंचाई विषमता का ज्वलंत उदाहरण है । सिंचाई कल उपलब्धता के आधार पर पंजाब, हरियाणा के किसान वर्ष में दो बार-तीन बार फसल लेते हैं और महाराष्ट्र सहित सिंचाई की कमी के कारण वर्षा जल पर निर्भर क्षेत्र के किसान एक ही फसल बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं । उनका प्रति हैक्टेयर उत्पादन भी कम होता है । इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को अहम भूमिका निभानी चाहिए । आज राज्य सरकारों के पास संसाधन की कमी के कारण सिंचाई परियोजनाएं लंबित और अधूरी पड़ी है । उनका लागत मूल्य भी लगातार बढ़ रहा है । इसलिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के द्वारा ली गई सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं ले, जिन राज्यों में सिंचाई का अनुशेष है, वहां की सभी सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लाकर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे और देश में सिंचाई की जो विषमता पैदा की गई है उसे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़े । मैं सरकार से सिंचाई विषमता खत्म करने के लिए आवश्यक कदम और धनराशि आवंटित करने का आग्रह करता हूं ।

(xi)Need to initiate stringent laws to stop pollution of rivers particularly Ganga and Yamua in the country

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Conditions of rivers in general, are in very bad shape. On the one hand Central Government is spending crores of rupees on cleaning rivers particularly Yamuna and Ganga and on the other hand human waste and toxics are thrown into the rivers. This is going on unabated.

It is learnt that Rs. 1,062 crore has been spent on cleaning Yamuna itself. What is the outcome? Industries are throwing industrial waste without any responsibility and Government civic authorities are turing blind eye. This should be stopped forthwith otherwise, we and our future generation would live in an environment where even inhaling air would become difficult.

Hence, I would strongly urge the Ministry of Environment and Forests to initiate stringent laws with punitive action to stop river pollution and throwing of human and industrial waste in our rivers particular Yamuna and Ganga across the country.

(xii) **Need to construct an additional bridge on river Kansaboti between Kharagpur and Midnapore in West Bengal**

SHRI PULIN BIHARI BASKE (JHARGRAM): I would like to raise a long-standing demand of the entire people of Paschim Medinipur district to construct a bridge on the river of Kansaboti between Kharagpur and Midnapore of Paschim Medinipur district, West Bengal. You might be knowing that Kharagpur and Midnapore are the important places in the country in view of heavy industries like TATA Metalicks, Tata Bearings, Bengal Energy Ltd., Visakha industries, Jindal Steel Plant (largest in India) etc. and also because of IIT-Kharagpur, Kharagpur Railway Station (longest platform in the world), University, Medical College and Hospital, Law college, other colleges, Salua EFR, IAS Training centre, Salboni New Note Mudran Press, Defence Air base at Kalaikunda. This district is experiencing a period of rapid industrial growth. The river Kansaboti is flowing between these two cities. There is only one bridge on river Kansaboti under NH-60 namely Birendra Sasmal Setu in between these two cities constructed by the State Government of West Bengal in early seventies. Due to the rapid growth of these two cities another alternative bridge should be constructed for better communication. So, I urge upon the Government to construct second bridge on river Kansoboti between Kharagpur and Midnapore.

(xiii) **Need to ensure full benefits of social security schemes to the working class in the private sector in the country**

SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): I would like to bring the Government's attention a matter of a very urgent public importance. Various structural problems in the delivery of the ESI and PF scheme continue to exist ensuring that the real beneficiaries usually are never targeted. There are three kinds of problems that exist:-

1. The first category of problem encompasses labourers who get regular wages/salaries from their employer but ESIC and PF is not cut from their salary and are hence unable to receive it's benefits.

2. The second category of problem encompasses those labourers whose ESIC and PF are cut from their wages/salaries class but do not know their ESIC number or have no cards issued to them.

3. The third category of problem encompasses those labourers whose PF and ESIC are cut, their card has also been made but due to illiteracy and absolute unawareness they are completely deprived of their rights and granted facilities.

Further more, it was also noticed that many offices are not being able to process their cards and have no sufficient skill/manpower/to equip their labourers with cards. The Government has been unable to create an infrastructure in the form of ESIC dispensaries in most areas.

Further more the ESIC department takes little or no awareness drives to educate the locals. The ESIC institution never brings out print ads but put most notifications are on toll free numbers and websites which the illiterate laborers have no access to.

The Government needs to ensure at the earliest that the laborers are sensitized and are aware of their rights, along with the solutions to the above structural problems at the earliest.

(xiv) **Need to create a separate state of Bodoland**

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): The socio-economic, ethno-political, human rights, and security related situation emerged in the aftermath of the aggression of the illegal Bangladeshi immigrants on the indigenous Bodo-Tribal people and other local Indian people within Bodoland and its adjoining Dhubri district in Assam since the 3rd week of July, 2012 has become indeed a matter of serious concern. The unchecked influx of the illegal Bangladeshi immigrants into the Tribal Belts within Bodoland and also in the northern tract along the Brahmaputra river has totally changed the demography, socio-economic and political feature of the region, threatening the identity, survival and existence of all the indigenous people to a great extent.

All the successive state governments of Assam over the past 5 decades have totally failed to protect the lands and the overall rights of the indigenous people against illegal occupation of their territories by illegal immigrants. In this backdrop, the indigenous Bodo tribal people and other local people living in the entire northern bank of the river Brahmaputra have been left with no other option than to demand for creation of long awaited separate state of Bodoland in order to ensure the survival and existence as well as development of the people. The tribal people of the Northeastern region like the Nagas, the Mizos, the Garos, the Khasis, the Jaintias, and several tribes of Arunachal Pradesh etc. have been able to develop themselves in all the spheres of human development after getting separate state of their own. As regards Assam, it is still geographically and administratively unmanageable due to its huge size, different topography and complex ethnic composition of the people.

The degree of autonomy provided to the Bodo people in 2003 under the provisions of the 6th Schedule to the Constitution of India has been found to be utterly inadequate in meeting the genuine hopes and aspirations of the people of both tribals and non-tribals of the Bodoland territory.

I, therefore, would like to strongly urge upon the Union Government of India to take appropriate steps to expedite the process of the creation of a separate state of Bodoland in line with the States of Uttrakhand, Jharkhand and Chhattisgarh created in 2000.

14.01 hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2012-2013- Contd...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item no. 15. Shri Ananth Kumar to continue his speech.

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स के ऊपर बहस शुरू करने का अवसर दिया। सप्लीमैंट्री ग्रांट्स के बारे में बहस शुरू करने से पहले जो 12 साल पहले हमारी इस पार्लियामेंट के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ था और उस आतंकवादी हमले से पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के सभी सदस्यों को और भारत के लोकतांत्रिक नेतृत्व को बचाने के लिए जिन्होंने शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

महोदय, सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले मैं यह बात भी सरकार के सामने रखना चाहूंगा क्योंकि जो माननीय वित्त मंत्री चिदम्बरम जी यहां बैठे हैं, वे पहले गृह मंत्रालय संभालते थे और वे यूपीए सरकार के एक प्रमुख मंत्री भी हैं। वर्ष 2001 में जो हमला हुआ था, उस हमले के पीछे जो ब्रेन था, अफजल गुरू, उन्हें फांसी देने के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कई बार आदेश दिया है।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स में यह विषय कहां से आ गया?

श्री अनंत कुमार : उसके बारे में जरूर बात करेंगे।...(व्यवधान) मैं वित्त मंत्री जी से, सरकार से पूछना चाहूंगा, वे आज तो आश्वासन दे सकते हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

(Interruptions) ... *

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अफजल गुरू को फांसी की सजा सुनाने के बाद आज तक उन्हें फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया गया?...(व्यवधान) बाद में जो मुंबई का कांड हुआ, उसमें जिसने भाग लिया था, कसाब को फांसी पर चढ़ा दिया, अफजल को क्यों नहीं चढ़ाया?...(व्यवधान) इसके बारे में आज केंद्र सरकार पूरे देश की जनता को वक्तव्य दे।...(व्यवधान) यही मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा।...(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, यह कैसे रिकॉर्ड में जा सकता है?...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : वे बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : मैं उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करूंगा।…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलिये।

…(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : वर्ष 2004 में जब यूपीए सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया।…(व्यवधान)

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Sir, it should not go on record. It has nothing to do with the subject. … (*Interruptions*)

श्री अनंत कुमार : उपाध्यक्ष जी, मैं सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ पर बोल रहा हूँ। 2004 में जब इस सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया तो लोग समझ रहे थे कि इस सरकार में तीन अर्थशास्त्री हैं। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी खुद एक अर्थशास्त्री हैं, दूसरा हम सबके और आपके वित्त मंत्री चिदम्बरम जी भी एक अर्थशास्त्री हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मॉन्टेक सिंह आहलूवालिया भी एक अर्थशास्त्री हैं। लेकिन पिछले आठ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी विकट परिस्थिति में है कि यदि जीडीपी का ग्रोथ देखें, इनफ्लेशन के बारे में सोचें, महंगाई के बारे में सोचें, फिस्कल डैफिसिट के बारे में सोचें, तो भारत की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुँच गई है। इसलिए देश की आम जनता कहती है कि ये तीनों अर्थशास्त्री नहीं हैं, देश के लिए …* हैं। चिदम्बरम जी की गलत आर्थिक नीतियों के कारण, जो जनता के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है, महंगाई बढ़ रही है। इसलिए चिदम्बरम जी ने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को … * बना दिया है। …(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह क्या होता है? …(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : जब 2004 में यूपीए ने देश की बागडोर संभाली, तब अटल जी के छः साल के कार्यकाल के बाद ऐसी अच्छी स्थिति थी जिसको मैं पढ़ना चाहूँगा। …(व्यवधान)

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): Sir, it should not go on record. … (*Interruptions*)

श्री अनंत कुमार : इकोनॉमिक सर्वे को पेश करते हुए सभापटल पर रखते हुए चिदम्बरम जी ने उस इकोनॉमिक सर्वे में कहा -

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

I quote:

> "The economic fundamentals appear strong and balance of payments is robust. Although there are short term pressures on prices, the outlook for the year is benign and the Government is fully alert. The growth will be sustained by increase in production and value addition in agriculture, a marked improvement in industrial production and continued buoyancy in the performance of the service sector. "

यह स्टेटमैंट इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक माननीय चिदम्बरम जी ने 2004 में देश के सामने रखा। उपाध्यक्ष महोदय, आठ साल बीत गए लेकिन इन आठ सालों में इन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था की क्या स्थिति बनाई, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी का संबोधन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। माननीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने 22 सितम्बर को देश को संबोधित किया और देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा -

> "Where would the money for this have come from? Money does not grow on trees."

I want to tell the hon. Prime Minister that definitely money does not grow on tress. Nowadays under the UPA Government, it grows in coal mines; कोयला खदानों में, पाताल में होता है। It grows in *Aasmaan, aakaash* as the hon. Members of the Trinamool Congress said, in 2G; and it also grows in Wal-Mart! He continued saying that if we had not acted it would have meant a higher fiscal deficit. That means the hon. Finance Minister is agreeing that the fiscal deficit is getting higher and higher. Expenditure *vis-à-vis* Government income is un-checked. This would lead to further steep rise in prices and a loss of confidence in our economy which has already happened. The prices of essential commodities would rise faster. Both domestic as well as foreign investors would be reluctant to invest in our economy. Interest rates would rise. Our companies would not be able to borrow from abroad. Unemployment would increase. Unfortunately, Sir, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश वर्ष 1991 की आर्थिक स्थिति में पहुंच रहा है। "The last time we faced this problem was in 1991. Nobody was willing to lend us even

small amounts of money then". I would like to ask the hon. Finance Minister while debating on this Supplementary Demand if the entire economy has reached a situation or inching towards the situation of 1991 bankrupcy, आपको भारत के सोने को विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा, यदि आज वह स्थिति वापस आ रही है तो उसका कारण क्या है? पिछले आठ साल से इस देश पर कौन हुकूमत कर रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, श्रीमती सोनिया गांधी हैं, क्योंकि नेशनल एडवाइज़री काउंसिल की वह चैयरपर्सन हैं। ज़िम्मेदार मनमोहन सिंह जी हैं, वित्त मंत्री जी आप खुद हैं, मोंटेक सिंह आहलूवालिया जी हैं और यूपीए सरकार है। मैं यह भी कहना चाहूंगा

SHRI K. BAPIRAJU : I am also quite old, 35 years old in politics. You are knowledgeable also. Please exhibit your knowledge so that we enjoy listening to you. Why are you speaking so low?… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, I am not yielding.… (*Interruptions*) I would like to quote from the Prime Minister's speech. I do not know why my dear friend is so agitated.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : What has happened to the inflation, price rise, fiscal deficit and the economic situation of the country? Sir, the hon. Prime Minister in his address has misled the entire country. I directly charge, they are not ready to face the truth. The Prime Minister said, "We raised the price of diesel by just Rs.5 per liter instead of Rs.17, what was needed to cut all losses on diesel. Much of diesel is used by big cars, SUVs, owned by the rich factory owners and business houses." This is the understanding of our Congress friends. They cannot face this truth. They have forgotten that diesel is being used in irrigation pump-sets. I do not know in Andhra Pradesh whether they are using petrol for their irrigation pump-sets, generators, tractors or State transport buses! The hon. Prime Minister says that diesel is used only by rich people. Similarly, Shri Kapil Sibal was giving his comments on Walmart. This is the new argument they are giving.

Therefore, I charge that the hon. Prime Minister, through his address, has totally misled the country.

Sir, what are the three basic premises of good economy? One is GDP, another is fiscal deficit and third is inflation. I want to discuss them one-by-one. In the last few years, what has happened to the GDP? If I remember and I think the whole House remembers, Shri Pranab Mukherjee -- who is now Mahamahim Rashtrapatiji and earlier he was the Finance Minister – and Chidambaramji day-in and day-out used to tell us that India will have a robust growth rate of eight per cent and a robust growth rate of nine per cent and that we will be having two-digit growth rate. But what is the situation today? I do not want to refer to any of the media reports but your own analysis is telling you that in the last quarter the growth rate was 5.7 per cent. It has dipped to 5.7 per cent and in this quarter it has reduced to 5.2 per cent and it is going further down.

If I go to details, what has happened to manufacturing? According to your own reports, in manufacturing from 3.5 per cent you have come to 0.8 per cent. Is this the growth of GDP percentage? You take any sector in the economy the situation is same. For your kind information, India's real GDP grew by 5.3 per cent during July-September 2012; agriculture, forestry and fishing grew by 1.2 per cent which had registered a growth of 3.1 per cent a year ago; and mining and quarrying activity grew by 1.9 per cent against a fall of 5.4 per cent. Growth in manufacturing output slipped to mere 0.8 per cent from 2.9 per cent; electricity, gas and water supply grew by 3.4 per cent in September compared to 9.8 per cent a year ago. This is the fall in GDP.

I entirely agree with Narendrabhai Modi, our hon. Chief Minister of Gujarat who is going to have a resounding and record victory once again because of his performance in development and infrastructure and for giving a good governance in the State of Gujarat. He asked the Congress Party what is GDP. For the entire economy and the Bharatiya Janta Party, GDP is increase in Gross Domestic Product but for the Congress Party and the UPA, GDP is nothing but

increase in the rates of gas, diesel and petroleum products. That is your GDP. That is the difference.

What about fiscal deficit? You have completely failed in making India a growing economy. During Atalji's period, the Indian economy was the fifth fastest growing economy in the world. Today, we have slipped from that position and our rating across the world has also slipped… (*Interruptions*). It is a fact. It has slipped definitely. From 9 per cent, you have slipped to 5.3 per cent… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him speak. माननीय सदस्य, श्री अनंत कुमार को बोलने दीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा।

SHRI ANANTH KUMAR : What has happened to fiscal deficit? Another important parameter is fiscal deficit. What is the difference between the total revenue and total expenditure? What is the difference in the total income and total outgo? Our Finance Minister as also the economic *pandits* in the Government would know that the fiscal deficit has to be kept at less than 2.5 per cent to 2 per cent. It was at 2.5 per cent three years back, under the same UPA Government but today it is touching the roof top – it is at 6 per cent.

Sir, to begin with, in this fiscal year, during the Budget, the total equivalent of the fiscal deficit was Rs. 2 lakh crore. The Government started the Budget of the year with a deficit of Rs. 2 lakh crore. How is the Government going to manage their finances? That is a big question. Why is there a fiscal deficit? Why is growth limping? There is only one reason for it. There is only expenditure, consumption expenditure. There is no investment at all.

Sir, during our times, I want to say this with a sense of great pride in this august House that, Shri Atal Bihari Vajpayee, the then Prime Minister came out with projects like Golden Quadrilateral, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Cold Storages and various other projects for electrification of the country. There was investment and there was no consumptive expenditure. Therefore, the economy grew.

Sir, I want to give an example and I think, the hon. Finance Minister would appreciate that. What was the prime lending rate during the NDA regime? The Prime Lending Rate in the manufacturing sector was 11.25 per cent. What is the interest rate today? This Government has no answer to that. The current interest rate under this UPA Government is 16.5 per cent in the manufacturing sector. There is an increase of five per cent in the interest rates. What was the PLR in the housing sector during NDA? I was the then Minister for Urban Development and I can claim, supported by Government records, that our Government could construct 70 lakh houses for people belonging to the poorer sections of the society in those six years. How many houses have this Government constructed? How many houses have this Government financed? What is the target of this Government? Why have this Government not been able to provide home loans to the people belonging to the economically weaker sections of society, to the people living below the poverty line, the *aam admi*? The only one reason for that is that for home loans the interest rate is 12.5 per cent under this UPA Government. Under the NDA regime, the interest on home loan was 7.25 per cent. There has been an increase of 5 per cent over these years.

Sir, recently, the Chairman of the State Bank of India has said, if the hon. Minister is willing to listen, I am ready to read the newspaper report here, but I am putting it just like that here. The Chairman of the State Bank of India said, `we have a lot of liquidity'. The State Bank has an accumulated deposit of Rs. One lakh crore, but they have disbursed credit only to the extent of Rs. 40,000 crore. Then, how much of surplus capital is lying with the State Bank of India? A sum of Rs. 60,000 crore is lying idle with them. The Chairman, State Bank of India is telling the country that nobody is borrowing because of the high interest rates and therefore, they are not able to advance loans to the tune of Rs. 60,000 crore which is available with them.

That means, due to high interest rates, people are unable to borrow to construct their own houses, to buy their own utensils and other things, unable to

borrow for their business. Bigwig industries are unable to borrow, small and medium scale entrepreneurs are unable to borrow for their industrial units and therefore, economy is limping. There is no growth rate. Why is GDP not growing? This is the reason for it.

I urge the Finance Minister to clarify one point. According to news reports, there is a cold war going on between the Reserve Bank of India and the Ministry of Finance. Who is dictating whom? The Finance Minister is telling the Reserve Bank Governor to reduce the Prime Lending Rate but the Reserve Bank Governor is saying that he is not ready to reduce the PLR. If there is a turf war going on between the economic Ministry and the RBI, then what will happen to the economy of the country?

Another major issue that is facing the country is inflation. कांग्रेस का हाथ, आम-आदमी के साथ, आज कमरतोड़ महंगाई है, आपका हाथ कहां है, आम-आदमी के साथ? आपने आम-आदमी के साथ विश्वासघात किया है। । It is very simple. सब के सामने है, यानि चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, तेल हो, जीवन की हर आवश्यक वस्तुओं के दाम आज आसमान छू रहे हैं.... (*Interruptions*) I will come to LPG.

When I speak of inflation, during our period of six years, the rate of inflation was constantly below four per cent. Today, before coming to this House, I checked up the inflation rate of essential food commodities. It is 20 per cent. I do not know how do you explain this? From four per cent of inflation, if there is a raging inflation of 20 per cent, how do you explain it? Why is this inflation? This inflation is because of your own wrong policies.

I want to read out what the Member of the Planning Commission, Shri Abhijit Sen, has said. He has conceded that the Government policies had a significant impact on food inflation. This is what your own Planning Commission Member is saying. He has said: " In the case of rice and wheat, it is absolutely clear that it is Government stocking which is the main problem." How much of essential commodities have you stored in various godowns across the country? It

amounts to 42 million tonnes. What is the buffer stock requirement? Buffer stock requirement is only 14 million tonnes. That means, you have stored more than three times of the buffer stock requirements. Why have you stored them? The prices of rice, sugar and wheat are increasing. रोटी का भाव बढ़ रहा है, चावल का भाव बढ़ रहा है, चीनी का भाव बढ़ रहा है, उसका एक ही कारण है, चूंकि आपने होर्डिंग की है। Now I want to allege that this Government is indulging in hoarding of food grains. You are indulging in hoarding of liquidity. आपने बैंक के तहत पैसों को होर्ड कर रखा है और फूड कारपोरेशन के गोदामों के तहत आपने अनाज की जमाखोरी करके रखी है और वहां सारा अनाज सड़ रहा है। उसका ठीक तरह से प्रबंधन नहीं किया, इस कारण इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन कितना है? आम तौर पर इन्फ्लेशन नौ फीसदी है, लेकिन फूड ग्रेन्स का इन्फ्लेशन बीस फीसदी है। What is the solution for this? What is the solution of the Government of India led by the UPA Government towards controlling price rise, towards controlling inflation and towards reducing the fiscal deficit? What is your proposal to give boost to the GDP growth? I do not think they have any plan. They do not have a plan. Whenever we speak on all these things, our UPA friends and our hon. Prime Minister say that it is because of the oil pool account. The hon. Prime Minister said that in his address to the nation. We require Rs. 2,00,000 crore towards meeting oil deficit. This year it has been Rs.1,60,000 crore.

I want to place some of the facts regarding the oil economy. We want to know the truth. They should come out with the truth before the nation. I want to place the comparative petrol prices of India and the neighbouring countries in rupee terms. In India the price of petrol is Rs. 73; in Pakistan it is Rs.61.50; in Bangladesh it is Rs. 62; and in Sri Lanka it is 61.70.

Now, I will come to the oil economy. What is the petrol pricing structure? I want this august House to understand how the petrol is priced. When we understand how the petrol is priced, we can understand how much is the real cost of the crude oil, how much is the real cost of litre of petrol, how much Central taxes is loaded on that, and how much money the Government of India is going to

get because of those Central taxes. They have to answer a straight question as to where that money is going. In the petrol pricing structure, fuel component is 52 per cent; customs duty is four per cent; excise duty is 25 per cent; sales tax and VAT is 17 per cent; and dealers' commission is two per cent. That means, nearly 46 per cent is the tax component of it.

Now, I want to place before the hon. House more details. As on today the price of per barrel of petrol is 108 US dollars. One barrel is equal to 159 litres. The exchange rate of one US dollar is Rs. 54.70. The price of one litre crude is Rs. 37.35. The refining cost, according to the oil manufacturing companies, is six per cent of the rate of crude. That is Rs. 2.25 per litre. Therefore, petrol is available to the dealer for further distribution at Rs. 39.60. But in Delhi you are selling petrol at the rate of Rs. 67.40. You are selling petrol in your own States, that is the States ruled by the Congress Party at high rates. In Tirupati the rate of one litre of petrol is Rs. 74. In Maharashtra also it is sold at Rs. 74. The total money that is available to the Government through Central taxes alone is nearly Rs. 30 per litre. Out of the Rs.30 per litre, how much of money are you getting every year? I want to read out their own Statement. According to their own Statement, the Government of India has got, last year, Rs.1,40,000 crore. You are saying that you are cross-subsidising diesel. You are saying that you are cross-subsidising LPG. You are saying that you are cross-subsidising kerosene. I understand that during our period also, we cross-subsidised. But, at the same time, why should the hon. Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh mislead the entire nation? While addressing the nation, he mentioned about diesel prices, petroleum prices. While making that Statement of Oil Pool Account, he said that money will not grow on trees, on plants. My dear Sir, he said that there is a deficit of Rs.1,60,000 crore. He said that there is the possibility of having Rs.2,00,000 crore deficit. But, at the same time, your own Statement says that you have accrued Rs.1,46,000 crore last year through the Central tax on petroleum. Whatever money you got through the Central taxes is to the tune of Rs.1,46,000 crore. When you subtract Rs.1,46,000

crore from Rs.1,60,000 crore, then your deficit is only to the tune of Rs.14,000 crore. It is not Rs.1,60,000 crore; it is not Rs.2,00,000 crore. I cannot say that you are telling untruth; I cannot say you are telling falsehood because it is not parliamentary. I can only say the Prime Minister is misleading the nation, misleading the Parliament. He is making a Statement which is far from the truth.… (*Interruptions*) That is the parliamentary way of telling it. The point is that you make a statement which is far from the truth.

There is another chart given by you only about the State's share. Shri Meena ji, you can reply. But, at the same time, I want to bring to your notice through the hon. Deputy-Speaker, that the State's share is accrued on the dealers' price if it is Rs.67.40 but if it is Rs.74, on that, there should be a sales tax. Therefore, that money, at the dealers' point, whatever taxes are levied, will come to you. That money is Rs.1,40,000 crore. When it is Rs.1,40,000 crore and Rs. 1,46,000 crore, the deficit is only Rs.16,000 crore and Rs.20,000 crore respectively and not Rs.1,60,000 crore, not Rs.2,00,000 crore. That is the argument. Therefore, I urge upon the Union Government to present a Status Paper, to present a White Paper before the nation on the entire Oil Pool Account. We do not want any opaque thing, any curtain put on the Oil Pool Account. Unfortunately, in the last 8 years of the UPA Government, there is an enigma, there is a mystery surrounding the Oil Pool Account. They show the Oil Pool Account and levy the taxes from the people. They show the Oil Pool Account and they tax the people.

Yesterday, our hon. Minister of Petroleum and Natural Gas Shri Veerappa Moily, while speaking in the CII, said that he is going to raise the cap from six cylinders to nine cylinders. I welcome that because the first time in the last Session, my leader Shrimati Sushma Swaraj raised this issue. Then, my other friends have also supported this. Why is there rationing on LPG cylinders? There should not be any cap or any rationing. … (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY(KOLKATA UTTAR): We are not satisfied with nine cylinders. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ अनंत कुमार जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)*

SHRI ANANTH KUMAR : We don't want any cap; we don't want any rationing. During our period, , during Shri Atal Behari Vajpayee's period, there was no rationing, no cap, no queue. It was surplus. Actually, gas dealers used to go around, every *mohalla*, everywhere and ask - Do you want cylinders? Do you want gas connection? Our economy was a Government of surplus; your economy is not an economy of surplus; it is an economy of scarcity.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे बता रहे हैं। आप हल्ला क्यों कर रहे हैं?

…(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Shri Veerappa Moily, our hon. Minister for Petroleum & Natural Gas, has gone to the town saying that they are going to increase the cap. About three months back, when we raised this issue, there was no response from the Government.

उपाध्यक्ष महोदय : अनंत कुमार जी, आप थोड़ा संक्षेप में बोलिए।

…(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : We have got 50 minutes time. and I am the only speaker.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your party was allotted only 48 minutes. You have already spoken for 40 minutes.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : I am the only speaker. … (*Interruptions*) मेरे साथी ठीक कह रहे हैं कि दुर्दशा इतनी खराब कर दी है कि उसका पूरा वर्णन देना पड़ रहा है। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप विषय पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, वीरप्पा मोइली जी ने कौनफैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के सभागार में कहा है कि हम सिलेंडर के कैप ऊपर करने वाले हैं और छ: के बदले नौ देने वाले हैं। इन्होंने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा। उसका एक ही कारण है। They eyeing on Gujarat elections. It is very unfortunate. यानी आम आदमी के बारे में कोई संवेदना नहीं है। यदि संवेदनशीलता होती तो आप कैप ही नहीं लगाते, राशनिंग नहीं करते।...(व्यवधान) You want votes. You don't look at people as human beings. ...(व्यवधान) ठीक है, इतना क्षमा कीजिए। मैं कर्नाटक का हूं। मैं हिन्दी में बोलने का प्रयास कर रहा हूं।...(व्यवधान) They don't treat people as human beings; they treat people as voters. They look at the people as votes. It is very unfortunate. Not only that in the *lalach* of votes, Shri Veerappa Moily has also thrown into the winds the parliamentary propriety of announcing outside Parliament when the Parliament is in Session. If he has any concern to the people, commitment to Parliament, he should have come here. Today he should have announced here that he is going to raise the cap. That means, he has no commitment or concern to the code of conduct; he has no concerns towards the propriety of parliamentary proceedings. I also want to state that the Election Commission has given notice to them. …(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। वे इतना बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन आप बीच-बीच में शोर करते रहते हैं। इस तरह तारतम्य टूट जाता है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, छः गैस सिलेंडर से जो नौ गैस सिलेंडर कर रहे हैं, वे भी पर्याप्त नहीं हैं। ...(व्यवधान) सुषमा जी कह रही हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। ...(व्यवधान) इतना कम हो जायेगा, इसलिए वह भी पर्याप्त नहीं है। सिलेंडर की कोई कैप नहीं होनी चाहिए, कोई राशनिंग नहीं होनी चाहिए। ...(व्यवधान) आप उसे मुक्त रखो। लेकिन अनफार्चुनेटिली यह सौतेला व्यवहार भी करते हैं, भेदभाव भी करते हैं। ...(व्यवधान) Wherever Congress Party Governments are there, there you are ready to give 9 cylinders, wherever BJP and other party Governments are there,

there you are giving only 6 cylinders. It is very unfortunate. यह भेदभाव का व्यवहार क्यों? यह अन्याय क्यों? ...(व्यवधान) During our period there was no cap. हमने अपने समय में सिलेंडर की कोई कैप नहीं रखी थी। ...(व्यवधान) एक महीने में दो-दो सिलेंडर मिलते थे। ...(व्यवधान)

Sir, we had brought one important tool to control all these things. The tool was the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, the FRBM Act, 2002. Today, compared to 6 per cent of fiscal deficit of the Government of India, the fiscal deficit of the States put together is only 2.4 per cent. I was just discussing this matter with our former Finance Minister Yashwant Sinhaji to get more enlightened about it. He said, there is an incentivised programme for the States and if they follow their own FRBM Acts, they will be incentivised and they will be provided more funds. Therefore, they are managing their budget in a more proper manner.

I want to ask one question. Hon. Chidambaramji has walked out of this august House because he is not ready to listen to the citizen's voice about his management of the finances in the last eight years.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): He has gone to the other House.

SHRI ANANTH KUMAR: I know he has to go to the other House. We expected that he would be listening to all these things.

I want to ask one straight question. The FRBM Act was passed in 2002. But in 2005, the hon. Finance Minister Chidambaramji took leave of this House to go out of the targets of that FRBM Act. He said, 'No, I cannot fulfill, I cannot meet and I cannot take as the benchmark the various targets given in the FRBM Act.' That means, he was not in a position to maintain the economy of the country, he was not in a position to maintain the rate of inflation, maintain the rate of growth, maintain the fiscal deficit and the targets given in the FRBM Act. If there are targets, then you have to move with a discipline. To move with a discipline, you require a vision, you require a roadmap, you cannot continue with consumptive expenditure, you have to invest and to invest you have to reduce the PLR, the

prime lending rate. For that, you have to do fiscal management. After doing the fiscal management and after doing the investment, then you can create infrastructure.

Where is your Bharat Nirman? Nothing is happening except doling out of money and preparing to dole out more money for the next year because next year you think is the Election Budget. You are going to go in for more populist schemes like you did last time. This time also you are going in for more populist schemes. You want to hold the money and you want to hold the foodgrains. There is a shocking news item in *The Times of India*. What is that shocking news item? The shocking news items is that the Government is also increasing the contribution from the individual employee's provident fund. Why? They want to stock up the money in the provident fund also. That means during this period of price rise and inflation महंगाई के इन दिनों में वह अपनी तनख्वाह में, अपनी पगार में कम पैसे लेकर जाएगा। In his salary, he will take less money. Why are they holding so much of money? Why are they holding so much of food grains? What is the idea?

There is one malafide intention. I am sorry, I am alleging in this august House about the intention of the UPA Government, the Congress-led Government, whatever may be the distress to the common man, whatever may be the distress to the farmers, downtrodden, dalits, whatever may be the distress to the people below the poverty line, they want to hoard all these things, they want to accumulate all these things to give one push next year before the elections. That is the devious idea. Therefore, the entire scheme of economy of the country is going haywire.

There is no conviction, there is no commitment, there is no concern, and there is no credibility. Instead of commitment, they are for compromise. They did compromise in Nuclear Deal, they did compromise in FDI in multi-trade retail. There is no concern. Instead of concern, actually the price rise is galloping Not only price rise is galloping, I was studying the details of NSSO, in the NSSO, this year they have announced that they are not going to do the survey of

unemployment in the country, but unemployment is also on the rise. They are not going to do the survey as to how much unemployment is there in the country.

Why are they not going to do the survey? It is because for one simple reason. They know that people are getting retrenched. They are getting retrenched in IT sector. They are getting retrenched in manufacturing sector. They are getting retrenched everywhere. They are losing jobs. India has become an economy where people are losing jobs. No investment, no infrastructure, no GDP growth, high inflation, abundant liquidity, no utility of liquidity, therefore, there is no employment generation and because there is no employment generation, there is glaring unemployment. Every month, lakhs and lakhs of youth are losing employment and the Government does not want to make the survey, of loss of jobs, loss of employment, to put before the people of the country.

Therefore, NSSO has written a letter to the Planning Ministry. I would request the hon. Finance Minister to verify that. I have got all the records that they have written a letter to the Planning Ministry that because they do not have man force, they do not have finances, they will not make any survey regarding unemployment in the country. They have stopped. यानी आपने उस पर पर्दा डाल दिया, ढक दिया उसको क्योंकि देश के सामने आएगा कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ रही है।

Sir, that means they have no concern. They are callous, they are insensitive and ultimately there is no credibility of the Government. How will the investors come? Even with regard to this FDI, there is a big talk of commission of Rs. 125 crore.

Sushma Ji says that in the last eight years, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैंडल किया, टू-जी का स्कैंडल किया। अभी बीएसपी वाले यहां खड़े थे, "कोल गेट", "मोटा माल" बोला गया।...(व्यवधान) When we raised the issue of Coalgate,, तब वे रेडी नहीं थे, वहीं बैठे थे। कभी-कभी लगता है कि वे देर से जग जाते हैं, उठ जाते हैं और वेल में पहुंच जाते हैं। यदि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में

कुछ भी संवेदनशीलता होती तो वे एफडीआई रिटेल सेक्टर प्रस्ताव पर हमारे साथ सरकार के खिलाफ वोट देतीं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आप हिन्दी में बोल रहे हैं हम आपका सम्मान करते हैं।

श्री अनंत कुमार : मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आपसे एक ही निवेदन है कि हम जैसे हिन्दी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही आप देशहित में वोट डालने का भी प्रयास करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : देशहित में ही लोग हमें वोट डालते हैं और हम चुनकर आते हैं।

श्री अनंत कुमार : देशहित में गलत लोगों की संगत छोड़िए। जब तक यूपीए की संगत में रहोगे, कांग्रेस पार्टी की संगत में रहोगे, तो मुश्किल में पड़ोगे। इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ, हमारे साथ आ जाइए और नया देश, नया भारत बनाने में हमें सहयोग दीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: बीच में टोका-टाकी न करें, नहीं तो इनका भाषण और लम्बा होगा।

श्री अनंत कुमार : अलटीमेटली यह सरकार विश्वसनीयता खो चुकी है। There is no credibility. They have lost credibility because of corruption and scams. There is commitment, no concern, no credibility. When there is no commitment, when there is no concern to the *aam aadmi* and when there is no credibility because of corruption and scams, then they cannot handle the economy of the country. They cannot run the Government. Forget running the economy and the Government, they cannot lead the nation. Therefore, the people of India want a change.

While participating in this debate on the Demands for Supplementary Grants, I urge through this House that at the earliest opportunity the people of India should rise and teach a lesson to UPA and Congress and remove them and bring a change and bring Bharatiya Janata Party led Government in the country for a better economy, for better India.

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू): उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा बात न कहकर, केवल वास्तविकता कहूंगा। आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड्स फार ग्रांट्स, (जनरल) पर बोलने का मौका दिया है। मैं अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों का हृदय से समर्थन करता हूं। ...(व्यवधान) सच्चाई इसी में है। हृदय से कहने का मतलब सच्चाई से होता है यानि मन की बात कहना। मैं यूपीए सरकार द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं...(व्यवधान) देखिए, मैं कभी किसी के भाषण में दखल नहीं देता। कृपया मुझे सुनने की कोशिश करें। मैं अपनी बात कह रहा हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: बीच में व्यवधान न डालें और इन्हें आराम से बोलने दें।

श्री शीश राम ओला : मैं यूपीए सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ये विकास कार्य सबके लिए हैं, चाहे गरीब व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, मजदूर हो, मध्यम श्रेणी के व्यापारी हों, सबके लिए विकास कार्य हुए हैं।

15.00 hrs.

सबके लिए बहुत विकास हुआ है जिसका लाभ सभी को मिला है, लेकिन विकास का कभी अंत नहीं होता, विकास की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। ...(व्यवधान) माननीय अर्जुन मेघवाल जी सुनिये। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मेहरबानी से मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी के भाषण में दखल नहीं देता हूं। आप मुझे सुनिये, मैं आपको सुनता हूं। क्या मैं नहीं बोल सकता, क्या मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान) माननीय अर्जुन जी बैठिये। मैं आठ बार एमएलए, पांच बार एमपी रहा हूं और कभी हारा नहीं हूं। मैं ठगी करके नहीं आता हूं, काम करके आता हूं। वर्ष 1957 की 17 फरवरी को मैं एमएलए डिक्लेयर हुआ था और आज तक नहीं हारा हूं। आप मुझे तसल्ली से सुनिये। मैं कहना चाहूंगा कि मैंने इस राष्ट्र को देखा है, जहां सड़क का नामोनिशान नहीं होता था। माननीय अर्जुन मेघवाल के यहां तो काले सांप होते थे, पानी का लेना-देना नहीं था। इनके राजा गंगासिंह जी जब हनुमान गढ़ में हिमालय के पहाड़ों से घघ्घर नदी आती थी, वे उसकी पूजा करने जाते थे कि मेरे राज्य में पानी आये, ये वहां के रहने वाले हैं। यहां सड़कें नहीं होती थीं, पानी की व्यवस्था नहीं होती थी और पानी जो पीने को मिलता था वह कुंडों से मिलता था जिसमें बकरी और भेड़ की मींगनी, गाय-भैंस का गोबर, ऊंट के मींगने और चूहे भी कुंड में चले जाते थे, वह पानी पीने को मिलता था। यह मेघवाल जी के क्षेत्र में था। हम उससे वंचित नहीं है। मैं यही कहने जा रहा था कि जल्दबाजी मत करो।

उपाध्यक्ष महोदय : ओला जी, आप ये सब बातें उनसे घर पर कर लीजिए।

श्री शीश राम ओला : क्या मैं बैठ जाऊं। आप उन्हें रोक नहीं सकते, मुझे बैठा रहे हो।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बोलिये। आपको बोलने के लिए ही बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

15.04 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

श्री शीश राम ओला : सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please maintain order in the House.

… (*Interruptions*)

श्री शीश राम ओला : मैं यूपीए सरकार के जो विकास के कार्य हुए हैं उनकी तारीफ करता हूं, उनकी सराहना करता हूं और इस बिल में जो छोटी सी रकम की स्वीकृति देनी है और जोकि बहुत आवश्यक है, जिसे करना चाहिए, उसका संपूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर वित्त मंत्री जी होते तो मेरा विचार था कि मैं कुछ बातें कहूं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please do not get disturbed.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Sis Ram Ola says.

(Interruptions) … *

श्री शीश राम ओला : मैं वह पत्थर हूं, जिस पर चिकनाई का असर नहीं होता है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Sis Ram Ola ji, please address the Chair. Otherwise, I will call the next speaker.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb him.

… (*Interruptions*)

श्री शीश राम ओला : महोदय, सभी मेरे दोस्त हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूरी बात ही अर्ज़ करूंगा। बिल का समर्थन करने के बावजूद भी लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं। आज भी अनगिनत गांव ऐसे हैं, जहां पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। गांव और शहर का गैप बहुत बढ़ गया है। यह गैप तभी पूरा होगा जब हम सभी एक विचारधारा बनाकर आगे बढ़ेंगे कि गांवों का विकास भी होना चाहिए। आज गांवों में सड़क नहीं है और यदि कहीं बनी भी हैं, तो दो-दो फीट के गहरे गड्ढे हैं। वहां ट्रक आते हैं, तो उसके एक्सल टूट जाते हैं। छोटी गाड़ियों के तो चलने का सवाल ही नहीं है। अस्पतालों का तो जिक्र ही

* Not recorded.

नहीं है। अगर किसी को सांप काट जाए, तो अस्पताल पहुंच नहीं पाता है और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बीस-बीस किलोमीटर तक अस्पताल नहीं हैं। शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसी सूरत में हमें गांवों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हिंदुस्तान की 75 प्रतिशत आबादी, जो कि पहले 80 प्रतिशत थी, खेती पर निर्भर है और गांवों में रहती है। हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उनकी आर्थिक दृष्टि से विकास करने के लिए उचित धनराशि खर्च नहीं की, तो उनका विकास कैसे हो सकता है?

मैं गांव से आता हूं और गांव की दशा जानता हूं। शहरों में हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं। सड़क टूट जाए, तो हल्ला मच जाता है। गांवों में अगर सड़क नहीं है या सड़क बनने के बाद टूट जाती है या उसका मलबा भी गायब हो जाता है, तो भी कोई बोलता नहीं है। उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। हमें जरूरत है कि गांवों के विकास की तरफ ध्यान दिया जाए। गांवों का विकास होना बहुत जरूरी है। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए गांवों से लोग आते हैं। अधिकारी शहरों के हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले नौजवान गांवों के होते हैं। ऐसी सूरत में हमारी रक्षा भी कमजोर हो जाएगी और गांव भी कमजोर हो जाएंगे। ऐसा होना राष्ट्र के हित में नहीं है। हमें गांव के बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए। गांवों में तकनीकी एजुकेशन जाए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। गांवों में सड़क हो, हॉस्पिटल हो। आज एम्स हॉस्पिटल जैसे ही कई हॉस्पिटल खुलें हैं। पिछली बार जोधपुर में खुल गया। जोधपुर में पहले भी चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था थी लेकिन अब और अच्छी कर दी गई है। गांवों को क्या मिला? गांवों में जब तक चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तब तक गावों के नौजवान लड़के, लड़कियां, हमारे बच्चे और बच्चियां कैसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे? आज 65 वर्ष की आजादी के बाद भी गांवों में स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है तो कब मिलेगा? विकास के मामले में हमने गांवों के साथ कितना अंतर रखा है? इसको देखने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए गांवों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। जिस पार्टी का बहुमत होगा, वह आएगी और राज करेगी और यदि बहुमत नहीं मिलता है तो वह विपक्ष में बैठे।

हमारे संविधान की प्रक्रिया डैमोक्रेसी की है और फिर राजाओं का राज वापस कोई थोड़े ही आना है। डैमोक्रेसी डैमोक्रेसी ही है। इसकी जो प्रक्रिया है, इसका पालन करने के तहत वोट पड़ते हैं और वोट का नतीजा आने के बाद राज आता है लेकिन विकास की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। वह सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र को भी उसका समुचित लाभ मिलना चाहिए। शहरी क्षेत्र को जो मिला है, उसको मैं कम नहीं करवाना चाह रहा हूं लेकिन शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का भी एक लम्बी सोच के साथ संपूर्ण विकास होना चाहिए। इसके लिए वित्त मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि गांवों की

तरफ भी अधिक मदद दें ताकि गांवों का भी अच्छा विकास हो सके। गांवों में रहने वाली जनता भी इस महान राष्ट्र की जनता है। जो आबादी 75 प्रतिशत है, उसको भी हमको एक तरफ करके नहीं चलना चाहिए और मैं पुन: माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। वह लम्बे समय से वित मंत्री रहे हैं और अच्छा कार्य किया है तथा विकास के लिए अच्छा धन जुटाया है। हमारे पास एक माइनिंग सैक्टर है और यह सैक्टर इस राष्ट्र की धरोहर है। यह कभी एक गोंडवाना लैंड होता था। हिंदुस्तान, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, और साउथ अफ्रीका। समुद्र ने कई वर्षों पहले इसको दो हिस्सों में बांट दिया। आस्ट्रेलिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एक तरफ चले गये और हम एक तरफ चले गये। जो माइनिंग इन तीनों देशों में है वही हमारे राष्ट्र में है। ऐसी स्थिति में इस राष्ट्र की यह धरोहर है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हम स्वतंत्र हैं। उसमें एक सरकार इस धरोहर को समाप्त कर देगी तो दूसरी सरकार को क्या मिलेगा? इसलिए जो राष्ट्रीय धरोहर है, इसको न बेचा जाए और न प्राइवेट किया जाए। अगर आपकी कोई कंपनी ऐसी है जिसमें नुकसान होगा तो सरकारी माध्यम से उसमें सरकार के निर्णय चाहिए, प्राइवेट के निर्णय न हो।

अगर आप प्राइवेट को 51 परसेंट शेयर दे देंगे तो वह आपकी कंपनी नहीं रहेगी। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से मिला हुआ है, यहां सर्वे करके 2008 में एक सोने की पहाड़ी ढूंढी गई। उस समय इसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपए थी। आज क्या कीमत होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसी प्रकार 18 क्विंटल सोने की छोटी सी चट्टान आंध्र प्रदेश में भी मिली थी। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट का वर्ष 2008 में 400 करोड़ रुपए का लाभ था। यहां 200 वर्ष तक के लिए तांबा है। अगर 200 वर्ष कारखाना चलेगा तब भी यहां तांबा खत्म नहीं होगा। कॉपर प्रोजेक्ट में कभी 11,000 मजदूर काम करते थे। उनके रहने के लिए कितने मकान बने हैं, कितने अधिकारियों के मकान बने हैं, कितनी मशीनें हैं, इन सबको क्या हम यूं ही दे देंगे? भारत सरकार के कितने रुपए खर्च हुए हैं। यह राष्ट्रीय धरोहर है। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहिए। यहां सब मैटीरियल मौजूद है। खेतड़ी के पास सीकर जिले में रूपनाथगढ़ पहाड़ है जो हरियाणा खेतड़ी से मिलता है। यहां बहुत सोने का डिपोजिट है। इसका सर्वे कराया जाना चाहिए। इससे हमारी गरीबी भाग जाएगी। आज अगर कहीं से धन मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा तो जमीन में माइनिंग से ही होगा। टैक्स लगाने से उतना लाभ नहीं होगा। हमें दूसरे जरिए से धन मिलेगा। आस्ट्रेलिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में जो मशीनरी और तकनीक है, हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हम दबे हुए धन को निकालना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है।

मैं निवेदन करूंगा कि दबे धन को निकालने के लिए माइनिंग पर अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए। सर्वे करना चाहिए। यह राष्ट्रीय संपत्ति है, यह प्राइवेट को नहीं देनी चाहिए। कभी हम आएंगे, कभी बीजेपी और कभी दूसरी पार्टी आएगी। राष्ट्रीय धरोहर को नहीं बेचना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की पूरक मांगें वर्ष 2012-13 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बीजेपी की तरफ से हमारे मित्र अनंत कुमार जी हिंदी में बोल रहे थे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया और हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ से बुजुर्ग और हमारे नेता शीशराम ओला जी बोले, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। अर्जुन जी, आपको ख्याल रखना चाहिए था, आप गलत कर रहे थे। बाद में आप मिलकर खेद व्यक्त कीजिएगा। वह आपके राज्य से आते हैं, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मैं नहीं बोल रहा था, अनुराग जी बोल रहे थे, मेरा नाम ऐसे ही ले लिया गया।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं बोल रहा हूं, हमारे विद्वान मंत्री चिदम्बरम साहब बैठे हैं, जिन्हें मुझे पिछली तीन लोक सभा में लगातार सुनने का मौका मिला. वह विभिन्न मंत्रालयों में रहे और खासकर वित्त मंत्री के रूप में और एज ए वकील के रूप में मैंने इन्हें जाना है। उनके पीछे स्टेट मिनिस्टर आदरणीय नमो नारायण जी बैठे हैं, मैं उनका भी बड़ा आदर-सम्मान करता हूं। यहां जितने भी हमारे सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं. यदि उनका कोई पाजिटिव जवाब आये तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा।

अभी बात हो रही थी कि किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, यह चिंता का विषय है और इस पर बहुत लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किये। आज जरूरत इस बात की है कि हमें इसका मूल्यांकन करना होगा कि हम कहां पर खड़े हैं। मैं जानता हूं कि जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ होती है तो पूरे विश्व में होती है, लेकिन जब हम अपने देश की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत हो, हमें इस बात का मूल्यांकन करना होगा। आज हम कहां पर खड़े हुए हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी यह बात कही है कि अगर हम प्रगति और विकास की ओर आगे या पीछे जाकर देश की आजादी से लेकर अब तक का मूल्यांकन करें और विकास का मूल्यांकन करें तो हम काफी आगे बढ़े हैं। हालांकि बहुत सारी दिक्कतें और रुकावटें आई हैं, लेकिन उन बाधाओं को भी पार करते हुए हम आगे बढ़े है। लेकिन जिस ओर हमारा पाइंट होना चाहिए, जहां हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, मेरे ख्याल से उस लक्ष्य् के हिसाब से अभी हम पीछे हैं। यहीं कारण है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम विकसित देशों की कड़ी में नहीं खड़े है, बल्कि हम विकासशील देशों की कड़ी में हम खड़े हुए हैं। आज जो भी सरकारें आती हैं, चाहे एनडीए आये या यूपीए-2 आये, चूंकि यूपीए-2 को इस देश में शासन करने का ज्यादा मौका मिला है। सबने जनता की बात की, किसानों की बात की, नौजवानों की बात की, गरीबों की बात की, आम जनता की बात की कि हम यह करते हैं, यह कर रहे हैं और यह करेंगे, लेकिन सरकारें हमेशा बदलती रही हैं। हमेशा से एक ही

बात रही है रोटी,कपड़ा और मकान। उस ओर हम विशेष ध्यान देते हैं और विशेष जनरल बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भई देखना होगा कि हमारे देश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कहां खड़े हुए हैं। विदेशों से भी एड आती है, तमाम मदद मिलती है। लेकिन हम कहां पर खड़े हुए हैं। सिंचाई की व्यवस्था आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी उपजाऊ जमीन है, जिस पर हम अभी सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। पेयजल के बारे में अभी श्री शीशराम ओला जी बोल रहे थे कि आज तक ऐसे भी रिमोट एरियाज हैं, जहां हम शुद्ध पेयजल उन्हें मुहैया नहीं करा पाये हैं, आज यह स्थिति है।

दूसरी तरफ बिजली के बारे में अभी अनन्त कुमार जी बोल रहे थे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। चाहे वह थर्मल पावर हो, हाइड्रो पावर हो, परमाणु या गैस प्लांट हो, इस ओर हमने कितनी प्रगति की है। हमारा जो लक्ष्य था, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, अगर आंकड़े देने लगूंगा तो अभी आप घंटी बजायेंगे। इसलिए अभी मैं जनरल बोल रहा हूं। हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाये हैं। हमें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये अनुदानों की अनुपूरक मांगे हैं और यह भी जरूरी है कि हमें इसे पास भी कराना है, यह कम्पलसरी भी है। लेकिन उसके साथ-साथ हम लोग यहां अपनी जो बातें कहते हैं, वे सुझाव के तौर पर कहते हैं, ताकि माननीय मंत्री जी उन पर गौर करें। चूंकि हंमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी पूरा अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है, यह किसी से छिपा नहीं है। आज भी गांवों में 70 फीसदी लोग कृषि पर आधारित हैं। लेकिन आज हमें मूल्यांकन करना होगा कि हम उस क्षेत्र में किसानों के लिए क्या कर पाये हैं। आज यही कारण हैं कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और यही कारण है कि यहां जब पार्टियां अपनी बातें रखती हैं तो किसानों और खेती की तरफ उनका ज्यादा झुकाव होता है, ताकि वे उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करा सकें। अभी शीश राम ओला जी प्राकृतिक संपदा के बारे में कह रहे थे कि हमारे पास अपार भण्डार है। लेकिन उस प्राकृतिक संपदा का भी जो दोहन हम कर रहे हैं, किस रेश्यों में हमें करना चाहिए, कितना हमें लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, कितना विकास करना चाहिए, वह हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। मैं किसानों की बात कर रहा था। आज अगर आप कृषि की तरफ देखें तो हमने किसानों को क्या दिया है? खाद, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, एनपीए या अन्य जो भी खाद है, जिसको हम अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए डालते हैं, आज उनके मूल्यों की तरफ देखा जाए तो सौ से ले कर दो सौ फीसदी तक उनके दाम बढ़े हैं। आज किसान की कमर बिल्कुल टूट रही है। हमारी जमीन सिकुड़ती जा रही है और हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। हमारे संसाधन सीमित हैं। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा कि अपने सीमित संसाधनों और पूंजी में हम कैसे विकास कर सकते हैं। हम विकसित देश कैसे बन सकते हैं। इस ओर हमें गंभीरता से सोचना होगा। अभी मंहगाई के बारे में कहा गया है। कभी-कभी किसान के पास पैसे नहीं होते हैं कि वह डीज़ल कैश में खरीद सके, ट्रैक्टर चलाने के लिए या पंपिंग सैट लगा कर

सिंचाई करने के लिए किसान को डीज़ल की आवश्यकता होती है। एक लीटर डीजल खरीदने के लिए किसान को पांच से छह किलो गेहूं बेचना पड़ता है। एक लीटर पैट्रोल के लिए कम से कम आठ-दस किलो गेहूं बेचना पड़ता है। आज किसान के सामने यह स्थिति है। यह रेश्यो बताता है। मंहगाई बढ़ी है। हम हर सत्र में, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, जो भी सत्र चलता है, उसमें मंहगाई, बाढ़ और सुखाड़ पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं मंहगाई को रोकने में असमर्थ हैं। हम मंहगाई को रोक नहीं पा रहे हैं। दिन प्रति दिन मंहगाई बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि कई बार तमाम समाजवादी विचारधारा के लोगों ने इस बात को रखा है कि डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि दाम बांधों की नीति अपनानी चाहिए। कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग हम रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं, जब तक उनके दाम नहीं बांधे जाएंगे तब तक हम मंहगाई पर कभी भी काबू नहीं पा सकते हैं। दूसरी तरफ डीज़ल और पैट्रोल के दाम हमेशा बढ़ते हैं। जब तक सत्र चलता है तब तक तो ये दाम नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही सत्र समाप्त होता है, कई बार तो ऐसा हुआ है कि सत्र के बीच में भी दाम बढ़े हैं, लेकिन विपक्ष ने सरकार को इतना मजबूर किया कि कुछ दाम घटे भी हैं। लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। अभी आंकड़े बता रहे थे कि अन्य देशों में पैट्रोल और डीजल के क्या दाम हैं और हमारे यहां क्या दाम हैं? जब ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ते हैं। यही कारण है कि हम किसान को उसका समर्थन मूल्य भी नहीं दे पाते हैं। आज देश के कोने-कोने में देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में देखिए, किसान को समर्थन मूल्य पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, यहां तक कि लाठी-डण्डा और गोली तक भी खानी पड़ती है। लेकिन जो उसकी लागत लगती है, प्रति एकड़ लागत के अनुसार हम उसको सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। हम उनको इमदाद नहीं दे पाते हैं। हम उनको सब्सिडि नहीं दे पाते हैं।

महोदय, यहां पर बीपीएल की बात होती है। जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर स्थिति को देखें तो हिंदुस्तान के बीपीएल के सही फिगर्स हमारे पास नहीं हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अंदाजे से हम बजट का बंटवारा कर देते हैं। मेरे जनपद में तीन विधानसभाएं हैं। मेरे ख्याल से वहां डेढ़ लाख के करीब लोग बीपीएल में आते हैं। लेकिन हम उनको सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। जब हम लोग गांवों में घूमते हैं, वहां जाते हैं तो किसान भी खड़े हो जाते हैं, मज़दूर भी खड़े जाते हैं, गरीब भी भी खड़े हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। हमारे सामने बहुत ही विकट स्थितियां हैं। तमाम सरकारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। यही कारण है कि आज गरीबी भी परेशान है। किसान भी परेशान है। मज़दूर भी परेशान है। नौजवान भी परेशान है, क्योंकि उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है।

जहां तक रूपये के अवमूल्यन की बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर देखा जाये तो रूपये की कीमत प्रतिवर्ष गिर रही है, अगर प्रतिवर्ष कहा जाये तो यह मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, रूपये की कीमत प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। आज डॉलर के मुकाबले में किस प्रकार से हमारे देश के रूपये का मूल्य बढ़े, हमारा रूपया मजबूत हो, यह हमें सोचना पड़ेगा। विदेशी पूंजी हम अपने देश में कैसे लायें, हमें यह सोचना पड़ेगा कि विदेशी पूंजी को कैसे देश में लाकर हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं?

अगर आयात और निर्यात की स्थिति देखें तो जो हमारे यहां उत्पादन होता है, हम उसका भी आयात करते हैं और निर्यात की तरफ हमारा विशेष ध्यान नहीं है। यही कारण है कि विदेशी पूंजी हमारे देश में कम है और हम बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। जहां तक विकास दर की बात है, पांच से छह, फ्लक्चूएशन कर रहा है, फ्लक्चूएट कर रहा है। जीडीपी की दर, सकल घरेलू उत्पाद की दर की बात करें तो अभी इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया कि हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, वह दर घटती ही चली जा रही है। इस ओर भी हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चाहे सरकारी सेक्टर हो या निजी सेक्टर हो, आप कहीं भी देखें, किसी भी वस्तु की ओर देखें, आज हर क्षेत्र में एक तरीके से गिरावट आयी है। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज तमाम घोषणायें, सरकारें बहुत सी घोषणायें करती हैं, बहुत सी परियोजनायें हैं, कृषि से लेकर तमाम अन्य विभागों की परियोजनायें हैं, जो लंबित पड़ी हुई हैं। हमने घोषणा कर दी, प्रतिवर्ष हम बजट का प्रावधान करते हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए, वह आज भी बाट जोह रहा है, हम विकास की प्रगति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि आज हम बहुत पीछे हैं।

जो भी उत्पाद करते हैं, उसकी लागत ज्यादा है, लेकिन उसकी तरफ हमारा विशेष ध्यान नहीं है कि कैसे हम उत्पाद की लागत को कम करें? जो हमारा नीचे से इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम लोग उत्पाद करते हैं, कैसे उन्हें उचित समर्थन मूल्य मिले, इस ओर हम नहीं सोच पा रहे हैं। आज अभी हमारे साथी ने पीएमजीएसवाई की बात की, जब तक सड़कों की स्थिति ठीक नहीं होगी, उनकी कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगी, तब तक मेरे ख्याल से किसी भी क्षेत्र का, गांव का विकास नहीं हो सकता है। जब कभी मंत्री लोगों से बात होती है तो वे कहते हैं कि साहब हम बिजली दे रहे हैं, आप प्रदेश से प्रस्ताव भिजवाइये, हम आपको सड़क दे रहे हैं, हम राजीव गांधी विद्युतीकरण में पैसा दे रहे हैं, मनरेगा में पैसा दे रहे हैं, जेएनयूआरआरएम में शहरों के विकास के लिए पैसा दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वहीं की वहीं बात रह जाती है, तमाम ऐसी परियोजनाये हैं, जो प्रदेशों से प्रस्तावित होकर केंद्र में लंबित पड़ी हुई हैं, लेकिन यहां से बजट नहीं दिया जाता है। तमाम प्रदेश देखते रहते हैं कि किसी प्रकार से हमें कुछ बजट मिल जाये

ताकि हम विकास करें, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों की भी अपनी एक स्थिति है, राजस्व पूंजी इकट्ठा करने में उनकी एक सीमा है, इतनी राजस्व पूंजी उनके पास नहीं है कि वे अपने प्रदेश का विकास कर सकें। आप मनरेगा में ही देख लीजिए, मनरेगा पर अगर यहां चर्चा हो जाये तो मेरे ख्याल से हर सदस्य उस पर बोलेगा। आज उसकी स्थिति बहुत खराब है। मेरे यहां प्रतापगढ़ के तमाम ब्लॉकों में एक मानक है कि गांव सभाओं को पैसा जाता है। क्षेत्र पंचायतों को भी 25 परसेंट जाना चाहिए, लेकिन क्षेत्र पंचायत को पैसा नहीं जा पा रहा है। हमारे प्रतापगढ़ के एक ब्लॉक के प्रमुख श्री बी.एन.सिंह जी हैं, वे अक्सर यह जिक्र करते हैं कि साहब क्षेत्र पंचायतों में मनरेगा का पैसा नहीं जा रहा है। ये तमाम बातें हम लोग मंत्री जी से कहते रहते हैं, मंत्री जी को लिखते रहते हैं, सदन में भी उठाते हैं, लेकिन कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।

आज बैंकों की ब्याज दरें भी बढ़ी हैं। यही कारण है कि जब कभी किसान लोन लेने की कोशिश करता है तो वह डर जाता है कि कैसे हम इसे चुकता कर पायेंगे। जब एक बिल के बारे में सदन में चर्चा हो रही थी तो यह कहा गया कि देश के बड़े-बड़े घराने, जो पूंजीपति हैं, उनको तो आप लोन दे देते हैं। आप उनसे वसूली भी नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि वे बाउन्स चेक भी आपको देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और किसान के ऊपर आप कार्रवाई कर देते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में धान की पैदावार हुई है। एफसीआई ने पंजाब से चार लाख टन धान लेकर डम्प कर दिया है। अब बताइए उत्तर प्रदेश का किसान जिन्होंने धान का उत्पादन किया है, उनके धान को रिजैक्ट किया जा रहा है कि आपके धान में नमी है, जबकि पंजाब से ज्यादा अच्छा धान हमारे उत्तर प्रदेश में है। आज जाँच कराने की आवश्यकता है कि एफसीआई में किन ऐसे बड़े घरानों का आधिपत्य है, कहाँ पर उनकी सांठ-गांठ है, कहां पर उनकी डील हुई है, यह जाँच का विषय बनता है। अगर राज्य विकास कर रहा है तो उसमें आपको योगदान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। यह नहीं कि वहाँ के उत्पाद को आप रिजैक्ट कर दें। अगर धान की बिक्री न हो, किसान अगर धान न बेच पाया, आज हम कांटे भी नहीं लगा पा रहे हैं। मिलर्स सब स्ट्राइक पर हैं, तमाम एफसीआई के कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं। स्थिति बहुत बदतर है। इसलिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. I have given you extra time to speak.

श्री शैलेन्द्र कुमार : एक बात कहकर मैं समाप्त करना चाहूँगा कि सांसद निधि जो दी गई है, उसको दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पाँच करोड़ रुपये किया गया है। आज स्थिति यह है कि पहले से बदतर पोज़ीशन हो गई है, समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है, न हम खर्च कर पा रहे हैं। दूसरी किस्त के लिए हम लोग

लिखा-पढ़ी करते रहते हैं, राज्य के कलैक्टर और जिलाधिकारी भी उपेक्षा कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रुका हुआ है। जो बेचारे गरीब किसान हैं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके इलाज के लिए अगर हम प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखते हैं तो पता लगता है कि लिमिट बांध दी गई है कि 23 से 24 से ज्यादा सहायता नहीं मिल पाती है। तो जो किसान ज़रूरतमंद है, गरीब है, जिसके लिए सरकार सोचती है, उस ओर अगर हमने विशेष ध्यान नहीं दिया तो देश कभी विकास नहीं कर सकता। मैं ज्यादा कुछ न कहकर, चूँकि बार बार आप टोक रहे हैं, समाप्त करने के लिए इंगित कर रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ अनुपूरक बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय सभापति जी, अनुदानों की अनुपूरक मांगों 2012-13 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, आज देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, शिक्षा में असमानता बढ़ती जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी अनुपूरक मांग की बात लेकर आए हैं, उस पर कुछ बिन्दुओं पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा।

यह देश किसानों का देश है, गाँवों में बसता है। 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गाँवों में रहती है और लगभग वही 70 प्रतिशत देश के लोग किसानी पर निर्भर हैं। महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है क्योंकि हम भी गाँव से आते हैं, पेशे से हम भी किसान और अध्यापन जीवन से जुड़े रहे हैं। मुझे सीधा अनुभव है गाँव की गरीबी का, गांव के किसानों की दुर्दशा का और गाँव की अस्त-व्यस्तता और दुर्व्यवस्था का। जहाँ महंगाई बढ़ रही है, उसके कई कारण हैं। गाँव का किसान, गाँव का मज़दूर, गाँव का वह रहने वाला झुग्गी-झोपड़ी का इंसान, जो इस देश की तस्वीर है, जो इस देश की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, अगर वहाँ हम जाएं तो हमें सीधा सीधा अनुभव होगा कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हम विकासशील देश हैं, हम विकसित नहीं हैं। हम विश्व के सबसे बड़े बाज़ार हैं, हम अनेक मुद्दों पर अपने देश को विश्व के उस खाके पर स्थापित करना चाहते हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि उन गाँवों में रहने वाले किसानों की स्थिति पर, खेती के लिए उनको समय से खाद नहीं मिलती और अगर खाद मिलती भी है तो तेज़ी से उसके दाम बढ़ रहे हैं वह आप देखें। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Prof. Saugata Roy, you can whisper, but do not talk loudly.

… (*Interruptions*)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : आज खाद और रासायनिक उर्वरकों के दाम 100 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक बढ़े हैं। बुवाई में प्रयोग होने वाली खादों के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। महंगी तो हुई ही हैं, लेकिन सहकारी केन्द्रों पर मिल नहीं रही हैं। किसान मजबूर हैं। आज बुवाई के लिए उसे खाद की ज़रूरत है तो उसे खाद नहीं मिल रही है। उन्हें मजबूर होकर दोगुने और तिगुने दामों पर बाज़ार से नकली खाद खरीदनी पड़ रही है। उधर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हें खेती के लिए अच्छे बीज नहीं मिल रहे हैं, उन्नतशील बीज नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे अनुसंधान केन्द्र खोले जा रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन क्या गांवों को वह मुहैया हो पा रही है? उधर आपका ध्यान जाना चाहिए। देश में ग़रीबी और महंगाई बढ़ रही है। मज़दूरों और मज़बूरों की आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन-सहन का स्तर गिरता जा रहा है। यह सारी स्थितियां सरकार की ग़लत आर्थिक नीतियों की वजह से हुई हैं। हम जीडीपी की बात करते हैं, वह घट रही है। हम पेट्रोल की

बात करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करते हैं। अगर हम उस पर ध्यान दें तो जहां हमारे देश में 73 रुपये से अधिक पर पेट्रोल प्रति लीटर है, वहीं पाकिस्तान में 61 रुपये प्रति लीटर है, बांग्लादेश में 62 रुपये प्रति लीटर है तो हमारे पड़ोसी देश में 61.70 पैसे है, यह स्थिति है। अगर पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें यातायात पर और इनके दामों पर निर्भर करती हैं। महंगाई बढ़ने का यह भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आज गांवों में किसान, मज़दूर और झुग्गी-झौपड़ी में रहने वाले व्यक्ति भी लकड़ी के अभाव में रसोई गैस का उपयोग करते हैं। रसोई गैस के किस तरह से दाम बढ़े हैं और उस की किस तरह से कटौती की गयी है, इस बारे में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर परिवार की परिभाषा को ही आप ध्यान में रखें तो क्या जो गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की जा रही है, उससे किसी परिवार की पूरे महीने भर की रसोई चल पाएगी? दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपूर्ति घटती जा रही है। हमारे पूर्व वक्ता माननीय सांसद जी बोल रहे थे। इसके पहले भी देश की स्थितियां रही हैं। गांवों में सिलेण्डर पहुंचाए जाते थे, उनके कनैक्शन के लिए और आपूर्ति के लिए कोई कठिनाई नहीं होती थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज गांव का वह मजबूर और ग़रीब परिवार गैस के लिए लाइन में लग रहा है और मजबूरी में घटतौली का वह सिलेण्डर लेकर जा रहा है। दाम तो वह उसके दुगुने-तिगुने दे रहा है...(व्यवधान) वही बात मैं कह रहा हूं कि इसके पहले आपूर्ति भी थी और उपलब्धता भी थी। आज आपूर्ति तो कम है ही, दाम भी आसमान छू रहे हैं और उसको पाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। मजबूरी में कम वज़न यानी घटतौली में उसको लेने पर मजबूर हैं। उस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए और जो मांग है कि कम से कम 12 सिलेण्डर प्रति परिवार को और उचित दाम पर, कनसैशनल रेट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

महोदय, शिक्षा जो कि सबसे अहम व्यवस्था है और किसी भी विकास का प्रथम सौपान शिक्षा है। शिक्षा पर उस दिन बहस हो रही थी। माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे थे और हम लोग भी यह पूछना चाहते थे कि आप मॉडल स्कूल्स दे रहे हैं, केन्द्रीय विद्यालय दे रहे हैं, आप तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन क्या उन गांवों की तरफ आपकी नज़र जा रही है, जहां शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं। हम भी सुदूर गांव से आते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भदोही लोक सभा क्षेत्र से हम आते हैं। शिक्षा की दृष्टि से हम लोग पिछड़े हुए हैं। पेशे से हम अध्यापक रहे हैं। हमें पता है कि गांव का वह मज़दूर, गांव का वह किसान, गांव का वह ग़रीब मज़बूरी में उन शिक्षालयों में अपने बच्चों को भेजता है, जहां किताबों की जगह थालियां और गिलास लेकर बच्चे जाते हैं और दिन भर वह इस प्रयास में रहते हैं कि कौन सा खाना मिलेगा और किस स्तर का मिलेगा? मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि माननीय मंत्री जी और यह सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। हम लोग गांव में रहते हैं और वहां जाकर देखते हैं

कि उन बच्चों को किस तरह से खिचड़ी और कभी-कभी तो उन में विषैले जीव-जन्तु गिर जाते हैं, जिसके कारण कई बच्चे बीमार हो जाते हैं और कहीं-कहीं तो मर भी जाते हैं। ऐसी घटनाएं सुनने में आयी हैं। यह स्थिति है बच्चों को भोजन देने की व्यवस्था में। उनको पढ़ाई देने की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। वहां लोग पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। वहां दिन भर यह व्यवस्था दी जाती है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाए। क्या पौष्टिक भोजन मिलेगा? जो भूखा है, उसको जो मिला, वही उसको पौष्टिक समझ में आता है।

शिक्षा की यह स्थिति है, जहां मॉडल स्कूल की बात की जाती है। आज गांव में अगर प्राईवेट स्कूल न होते तो पढ़ाई-लिखाई भी न हो पाती क्योंकि सरकारी स्कूल की बहुत दुर्दशा है। चाहे वह प्राथमिक स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, वहां तो मास्टर है ही नहीं। डिग्री कॉलेज तो बहुत कम हैं। तकनीकी शिक्षा तो लोग शहरों में जाकर प्राप्त कर पाते हैं। वह भी एक प्रतिशत, दो प्रतिशत। वहां भी इतनी मारामारी है, इतनी ज्यादा फी है, इतना ज्यादा डोनेशन है कि लोग वह शिक्षा भी नहीं ले पाते। यह मैं गांव की असली तस्वीर मैं बयां कर रहा हूं।

हम तो मिनरल वाटर पीते हैं। हमें तो यह लगता है कि हमें स्वच्छ जल मिले ताकि कहीं से कोई बैक्टीरिया न जाए। पर, गांव का वह किसान, गांव का वह मजदूर, गांव का वह व्यक्ति पानी पीने के लिए मोहताज़ है। लोग एक किलोमीटर - दो किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं। गांव की तस्वीर देखें। जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो हमसे लोग कहते हैं कि हमें तो हैण्ड पम्प चाहिए, हमें तो पीने के लिए पानी चाहिए। 62-65 साल की आज़ादी के बाद भी हम स्वच्छ जल मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। हम पीने के लिए पानी नहीं दे पा रहे हैं। यह हमारे देश की तस्वीर है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि हम सांसदों को गांवों को व्यवस्थित करने के लिए जो सांसद निधि दी जाती है, उसमें कुछ कटौती कर लें और हमें कम से कम 1000-1000 हैण्ड पम्प अपने क्षेत्र के गांवों में उन गरीबों को, उन निरीहों को जो एक-दो किलोमीटर दूर से अपने सिर पर घड़ा भरकर लाते हैं और सुबह उठकर सबसे पहले पानी की व्यवस्था करते हैं, हम उन्हें पीने का पानी तो मुहैया कर दें। यह हम आपसे मांग करते हैं।

महोदय, आज देश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बिजली है। हम लोग गांवों में रहते हैं। जब हम गांवों में जाते हैं तो हमसे लोग मिलने के लिए आते हैं। वे कहते हैं कि आज भी 65 साल की आज़ादी के बाद भी हम तो अंधेरे में रहते हैं, हमें बिजली चाहिए। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चली, असफल हो गयी। यह कागज़ों में तो सफल है। लेकिन, गांवों में सफल नहीं है। बिजली के खंभे लगे। उस पर तार झूल रहे हैं। लेकिन, उसमें बल्ब नहीं जल रहे हैं। उसमें करेन्ट की सप्लाई नहीं हो रही है। उधर आपका

ध्यान जाना चाहिए। अगर आप गांवों को नहीं उठा पाएंगे तो देश को नहीं उठा पाएंगे। अगर आप गरीबी को, बेरोज़गारी को समाप्त नहीं कर पाएंगे तो भारत की तस्वीर और बिगड़ती जाएगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान और एक-दो बिन्दुओं की तरफ दिलाना चाहूंगा। हमारे देश में बैंक ऐसी संस्था है जहां से हम लोन लेते हैं, पैसा जमा करते हैं। बड़े घराने, उद्योगपतियों के लिए तो सारी व्यवस्थाएं हैं। मगर, गांव का गरीब, गांव का झुग्गी-झोपड़ी का व्यक्ति अगर लोन के लिए जाता है, चाहे वह कृषि का लोन हो, चाहे शिक्षा का लोन हो, चाहे कृषि यंत्र लेने के लिए लोन हो, चाहे खाद, बीज, बिजली-पानी के लिए लोन हो, उसे बैंक में चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसे बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें कमीशन देकर वे लोन प्राप्त करते हैं और जब वसूली की बात आती है तो बड़े घरानों के साथ तो सारी व्यवस्थाएं हैं। मगर, गरीबों को आर.सी. जारी कर दी जाती हैं। उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। उनसे दो हजार रुपये, पांच हजार रुपये की वसूली के लिए इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि वे अपमानित महसूस करते हैं। उधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

गरीबी दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसमें कुछ देशों की सारी अर्थव्यवस्था विनष्ट हो गयी थी और वह उठा तो उसमें जापान था। वह डेवलप हुआ। अगर वह उठा और डेवलप हुआ तो वह सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों के माध्यम से उठा, कुटीर उद्योगों के माध्यम से उठा। आज हमारे देश के सारे उद्योग समाप्त हो रहे हैं। सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग समाप्त हो रहे हैं।

महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो कालीन उद्योग के नाम से जाना जाता है। भदोही हमारा लोक सभा क्षेत्र है। वहां हथकरघा उद्योग है। कभी हम बनारस से लगे हुए जिले थे। अब तो हम उससे अलग हुए हैं और भदोही के नाम से हमारा जिला जाना जाता है। बनारस की साड़ियां विश्व प्रसिद्ध थीं। वहां कपड़े की बुनाई होती है। भदोही का कालीन उद्योग विश्व प्रसिद्ध रहा है। लेकिन आज वह कराह रहा है, वह टूट रहा है। वह गांव में फैला हुआ उद्योग था। गांव के स्त्री-पुरुष मिलकर कताई-बुनाई किया करते थे। वह उद्योग हज़ारों करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा का अर्जन किया करता था। लेकिन, अपने देश की गलत नीतियों की वज़ह से वह कराह रहा है, टूटने के कगार पर आ गया। उसमें लगे हुए लोग आज दूसरे उद्योगों में भाग रहे हैं। आपका ध्यान उधर जाना चाहिए। अगर देश का विकास करना चाहते हैं तो लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को भी आपको विकसित करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इस देश में बीपीएल की स्थिति कैसी है, यह कहने की जरूरत नहीं है। गांव का गरीब कराह रहा है। आपको पता नहीं है कि हमारे देश में कितने गरीब हैं, गांव की स्थिति क्या है। आप बीपीएल शेयर घारकों, कार्ड धारकों एवं बीपीएल गरीबों को कौन सी व्यवस्था देना

चाहते हैं? आपको क्या पता है कि हमारे देश में कितने गरीब हैं, कितने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग जीवनयापन कर रहे हैं। जब आपको यही नहीं पता है तो आप व्यवस्था कैसे देंगे। पहले उनकी जानकारी करनी चाहिए। यह कहा गया है कि भारत एक धनी देश है, लेकिन जिसमें निर्धन निवास करते हैं। वास्तविक स्थिति है, हम प्राकृतिक सम्पदाओं से धनी हैं, हमें सारी चीजें प्रकृति ने दोनों हाथों से दी हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कभी कोल की बात आती है तो यहां लूट ही समझ में आती है। अगर हम इन सारी व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान दें, जो हमारी योजनाएं हैं, वे लटकी हुई हैं। हम विदेशों की बात करते हैं, विदेशी पूंजी यहां आ रही है। जैसे आंकड़े बताते हैं, मैं ऊधर नहीं जाना चाहूंगा। हम कहने के लिए दिनोंदिन पीड़ित होते जा रहे हैं। गरीबों की थालियां महंगी होती जा रही हैं। किसान और मजदूर पीड़ित हैं। छात्राओं को पढ़ने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। किसानों को अपने खेतों के लिए खाद एवं पानी नहीं मिल रहा है। अगर उनका उत्पाद तैयार हुआ तो वे ओने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें उसका उचित दाम नहीं मिल रहा है। उनकी सब्जी एवं फल सड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास उन्हें रखने के लिए गोदाम नहीं हैं। उनकी एक तरफ लागत बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ उनको उत्पाद मूल्य नहीं मिल रहा है। गांव की दुर्दशा, स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है। गांव के लोग गरीब एवं बेरोजगार होते जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है और असमानता बढ़ती जा रही है। उधर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गांव के किसानों, मजदूरों और गांव के लोगों के रहन-सहन को उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, आज वर्ष 2012-13 के सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए प्रथम डिमांड माननीय मंत्री जी ने जो पेश की, उस पर बोलने का मुझे अवसर मिला है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन वित्त विभाग और ग्रांट डिमांड पर बोलने से पहले जो देश की वर्तमान स्थिति है, उस पर मैं एक मिनट अपनी बात रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जो तीन महत्वपूर्ण विषय वित्त विभाग से जुड़े हैं और देश की अर्थव्यवस्था एवं आम लोगों के जीवनस्तर को प्रभावित करते हैं - पहला जीडीपी, दूसरा फिसकल डेफिसिट और तीसरा इन्फ्लेशन। अगर जीडीपी बढ़ता है तो देश की माली हालत ठीक मानी जाती है। लोगों का जीवनस्तर बेहतर होता है और वर्तमान स्थिति में देश का जीडीपी लगातार गिर रहा है। इन्हीं के यूपीए प्रथम में जीडीपी की 2004-08-09 के आसपास जो स्थिति थी, वह लगभग नौ के आसपास थी और वर्तमान में 5.2 के आसपास है, यह लगातार गिरती जा रही है। जो इन्फ्लेशन, महंगाई की दर है, वह लगातार बढ़ती जा रही है। सितम्बर, अक्तूबर में मैं समाचार-पत्र में देख रहा था। अगस्त में 7.55 प्रतिशत था, सितम्बर में 7.81 प्रतिशत हो गया और वर्तमान में नौ प्रतिशत है, यानि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। देश में महंगाई बढ़ रही है। तीसरा फिसकल डेफिसिट, बजटीय घाटा है। सन् 2012-13 में जो यहां मंत्री जी थे, उन्होंने बजट पेश किया। फिज़िकल डेफिसिट का उस समय अनुमान लगाया गया था कि 5.1 प्रतिशत जीडीपी का होगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह फिज़िकल डेफिसिट आज 5.1 प्रतिशत से बढ़ कर लगभग छ: प्रतिशत के आसपास हो गया है। वर्तमान माननीय मंत्री जी कहते हैं कि फिज़िकल डेफिसिट हम कम करेंगे, हमने योजना बनाई है। केलकर समिति का इन्होंने बनाया, उसकी रिपोर्ट ली। माननीय मंत्री जी बताते हैं कि साल के अंत तक 5.3 प्रतिशत कर देंगे, जिसका कोई आधार नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में एक साल के लिए जो अनुमान लगाया गया था, वह 5.1 प्रतिशत से लेकर अभी 6 प्रतिशत के आसपास फिस्कल डैफीसिट आया है, लेकिन मूल विषय पर मैं आना चाहता हूं। मूल विषय यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो इस सदन से सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स डिमांड की है, वह 32,119.55 करोड़ रुपये के लिए है। मैं यहां सदन का ध्यान इस ग्राण्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन्होंने प्रथम खेप में 32,110.5 करोड़ रुपये की जो डिमांड की है, उसमें सबसे हैरान करने का विषय तो यह है कि 29,844.08 करोड़ रुपये इन्होंने गैर-योजना मद में व्यय करने के लिए सदन में डिमांड रखी है। कहने का मतलब यह है कि जितनी इन्होंने डिमांड की, उसमें से लगभग 93 प्रतिशत की डिमांड गैर-योजना मद में खर्च करने के लिए है।

मंत्री जी, जब 2012-13 का बजट पेश हुआ तो उस समय कुल व्यय का अनुमान 14,90,925 करोड़ रुपये का था, जिसमें गैर-योजना मद में 9,69,900 करोड़ रुपये का प्रावधान था। तब भी गैर-योजना मद में खर्च लगभग दो गुना था, लेकिन वर्तमान में जो आपने ग्राण्ट में डिमांड की है, जो आप सप्लीमेंटरी डिमांड लाये हैं, वह 93 प्रतिशत गैर-योजना मद में है और मात्र सात प्रतिशत के आसपास आप योजना मद में खर्च करना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिससे देश की तरक्की होगी, उद्योग-धन्धे लगेंगे, रोजगार का सृजन होगा, आय में वृद्धि होगी, उस क्षेत्र में आपकी कोई अभिरुचि नहीं है और सरकार कहती है कि बजटीय घाटा बढ़ रहा है, लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इस कदर बढ़ रहा है कि यह नियंत्रण के बाहर होता जा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए, माननीय मंत्री जी, आपने इस क्षेत्र में क्या उपाय किये हैं? बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आप निवेश कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए आपने एक ही उपाय किया, आपने कर्ज लेकर बढ़ते हुए बजटीय घाटे को पूरा करने का उपाय किया है और देश पर लगातार कर्ज का बोझ आपने बढ़ाने का काम किया है। यह लोक-कल्याणकारी राज्य है। लगातार आप उत्पादन के क्षेत्र में काम नहीं करते, प्लान साइज़ बढ़ाने का काम नहीं करते, नॉन प्लान एक्सपेंडीचर आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और कर्ज लेकर बजटीय घाटे को पूरा करने का काम करते हैं। हमारे पास आंकड़ा है।

2007-08 में आपने बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेने का काम किया, वहां वर्तमान में 2012-13 में 5.13 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेकर आपने बजटीय घाटे को पूरा करने का काम किया है। क्या यह देश केवल कर्ज लेकर बजटीय घाटे को पूरा करेगा, क्या देश में कोई मकेनिज्म डैवलप नहीं हो सकता है, विकास के लिए आप कोई रास्ता नहीं खोल सकते हैं, आन्तरिक रिसोर्सेज़ डैवलप नहीं कर सकते हैं?

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आर्थिक मंदी है, सरकार का कहना है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो इकोनोमिक स्लो डाउन है, इसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ा है और हमारे देश का जो अर्थ तंत्र है, वह नियंत्रण के बाहर होता जा रहा है और आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, 2011-12 में जो अमेरिका को आपने निर्यात किया, वह कुल निर्यात का 11 प्रतिशत से ज्यादा था, 2010-11 में जो आपने निर्यात किया, वह कुल निर्यात का 10 प्रतिशत के आसपास था, वहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहां आप कहते हैं कि वहां इकोनोमिक स्लो डाउन है, जिसका प्रभाव इस

देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है तो आपने 2011-12 में यूरोपियन कंट्रीज़ में आपने जो निर्यात किया, वह कुल निर्यात का 18 प्रतिशत था। 2011-12 में लगभग 17 प्रतिशत था, यानि कि यूरोपियन कंट्रीज़ में निर्यात में एक प्रतिशत की कमी हुई, लेकिन जहां तक उसके मूल्य और उसकी कीमत का सवाल है, हम देख रहे हैं कि यूरोपियन देशों में निर्यात में एक प्रतिशत की कमी हुई, लेकिन मूल्य के मामले में अमेरिकन कंट्रीज़ में 2011-12 में आपकी 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

16.00 hrs.

यह कैसे? आपका निर्यात बढ़ रहा है।

16.0 ¼ hrs. (Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

निर्यात के मूल्य में वृद्धि हो रही है, लेकिन आप कहते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में जो इकॉनामिक स्लो डाउन है, उसका प्रतिफल है कि हमारे देश में बजटीय घाटा बढ़ रहा है। वित्त मंत्री जी, समाचार पत्र में मैंने एक खबर पढ़ी। बिजनेस लाइन में 30 अक्टूबर को आपकी यह खबर आयी कि फाइनेंस मिनिस्टर वांट्स टू कट ...

सभापति महोदय : हम कल यह विषय कांटीन्यू करेंगे। आप बैठ जाइए। अब आइटम नंबर 22 लेना है।

आइटम नंबर 22, श्री शैलेन्द्र कुमार जी।

16.01 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Need for uniform education system in the country

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अधीन देश में एक समान शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता के बारे में चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, हमारी बहन श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने भी इस पर नोटिस दिया है, मैं उनकी बातों से भी अपने को सम्बद्ध करूंगा।

सबसे पहले मैं शुरूआत करना चाहूंगा कि इस सदन में हमेशा जब भी शिक्षा पर चर्चा हुयी है, हर नियम के तहत, चाहे क्वैश्चन ऑवर हो या किसी भी अवसर पर इस पर चर्चा हुयी, तो बहुत ही गंभीरता से चर्चा हुयी। मुझे याद है कि कई मंत्री हमारे सामने आए और उन्होंने बहुत से वादे किए। श्री पल्लम राजू जी, जो बहुत ही नौजवान मंत्री हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और सम्मान भी करता हूं कि जिस भी मंत्रालय का उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, उसकी जिम्मेदारी को आपने बहुत बखूबी निभाया।

शिक्षा ऐसा क्षेत्र है, अगर शिक्षा नहीं है तो व्यक्ति की पूरी जिंदगी अंधकारमय और अज्ञानता में रहती है। यही कारण है कि देश में अनिवार्य शिक्षा को महत्ता दी गयी। हमेशा इस सदन में इस बात की भी चर्चा उठी है कि आज पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो जीवनयापन करने वाले लोग, समाज के अंदर चाहे किसी भी वर्ग के हों, एक क्लासेज बन गए हैं, उनकी एक श्रेणी बन गयी है। एक उद्योगपति या इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, बड़े घराने हैं। उनके बच्चों की शिक्षा देखी जाए तो ज्यादातर विदेशों में है। दूसरा, जो मध्यमवर्गीय हैं, अगर उनके पास पैसा रहा तो वे अच्छे स्कूलों में, कान्वेंट में पढ़ाते हैं, अन्यथा वे भी बेसिक शिक्षा में गांव से लेकर शहरों की ओर जाते हैं। तीसरा वर्ग इस श्रेणी में वह आता है, जो बहुत ही कमजोर, खेतिहर मजदूर और किसान है, जो गरीब है, जो रोज का कमाने और खाने वाला है, उनके बच्चों की स्थिति देखी जाए तो भारत सरकार ने उनके लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है।

आज अनिवार्य शिक्षा पर अगर बात की जाए, तो मेरे ख्याल से सरकार की जो भी सुविधायें और योजनायें हैं, उन पर आप सुबह से शाम तक भाषण करेंगे। आज यह देखा जाए कि आईएएस का बेटा आईएएस ही क्यों होता है, डाक्टर का बेटा डाक्टर ही क्यों होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही क्यों होता है, इसको गंभीरता से सोचना और देखना पड़ेगा। ...(व्यवधान) यह इसलिए कि वह सक्षम है, आर्थिक रूप से मजबूत है। ...(व्यवधान) पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशयन भी होता है। ...(व्यवधान) यह तो क्षमता के ऊपर है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हमेशा इस सदन में चर्चा हुयी है कि जब तक अपने देश की शिक्षा को एक समान शिक्षा का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता है। हमेशा यह सुझाव आए हैं। कई चर्चाओं में इस सदन में यह सुझाव आया है। आज अगर देखा जाए तो अमीरों और गरीबों में भेदभावपूर्ण अलग-अलग शिक्षा पद्धति बनी है, इसको हमें समाप्त करना होगा। देश में समान और अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करना पड़ेगा तभी देश में किसी भी वर्ग का बालक होगा, वह शिक्षित होगा और हमारा समाज पूरी तरह से शिक्षित होगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो प्रदेशों की स्थिति के आंकड़े अलग-अलग हैं जिसमें अग्रणी रूप से केरल है, साउथ के जो स्टेट्स हैं, वे हैं। उसके बाद उत्तर भारत में देखा जाए तो स्थिति बहुत बदतर है। वह वहां के परिस्थिति के अनुकूल है। इन तमाम बातों पर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। शिक्षा के बाद नौकरियां भी सीमित होती जा रही हैं। हर विभागों में कांट्रैक्ट बेसिस पर काम कराए जा रहे हैं। जहां तक भारतवर्ष की स्थिति देखी गई है, तो आज भी भारत युवा शक्ति वाला देश कहलाता है जिसमें 65 परसेंट 35 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। नौजवान भारत है और अगर हम 21वीं सदी की ओर सपने देख रहे हैं तो इस भारत में शिक्षा एक समान होनी चाहिए।

सभापति महोदय, कल हम लोग क्वैश्चन अवर में, इधर के माननीय सदस्यों ने और उधर के माननीय सदस्यों ने पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ों की स्थिति के बारे में सरकार से, मंत्री से प्रश्न जानना चाहा। हमारे अर्जुन मेघवाल जी यहां बैठे हुए हैं उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान की बात की थी कि तकनीकी शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं। हर राज्यों की अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। वहां की साक्षरता दर अलग-अलग है। वहां पर रोजगार के अवसर हैं। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर अलग-अलग हैं। हर प्रदेशों की अलग-अलग परिस्थितियां हैं।

सभापति महोदय, वर्ष 2012 के बीच में रोजगार देने वाले हमारे जो मुख्य सेक्टर्स हैं, चाहे वे आईटी के क्षेत्र हों, फायनैंशियल सर्विसेज हों, टेलिकॉम से संबंधित या हॉस्पिटलिटी से संबंधित तमाम ऐसी नौकरियां हैं जिनसे हमें संभावनाएं थीं कि हम इनमें नौकरी पाएंगे, इनमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे लेकिन इन जगहों पर रोजगार में गिरावट आई है। उसका मुख्य कारण रहा कि हमने शिक्षा को वर्गीकृत किया और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जो पढ़े-लिखे, बड़े घर के लोग, आर्थिक रूप से जो सक्षम हैं उनके बच्चे तो जाते हैं और बाकी गरीब घर के बच्चे जो बेसिक शिक्षा गांव में पाते हैं, अगर वहां से पढ़ कर निकलते हैं तो उन नौकरियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। मेरे ख्याल से ये क्लास-फोर्थ की नौकरी तक पहुंच पाते हैं और

इसके बाद क्लास-थ्री तक पहुंच पाते हैं। क्लास-वन और क्लास-टू के नौकरियों की बात करें तो जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनके बच्चे वहां जा पाते हैं।

सभापति महोदय, हमारी मांग है कि देश के जितने जिला मुख्यालय हैं, वहां पर हमारे शेड्यूल कास्टस, शेड्यूल ट्राइब्स, जो गरीब घर के लोग हैं, उनके यहां शिक्षा की कमी है। देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय के अंदर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनके लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। महिला छात्रावासों की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो मेरे ख्याल से देश शिक्षित नहीं हो पाएगा। छात्र और छात्राओं में तुलना करें तो अगर एक छात्र पढ़ता है तो केवल एक घर उजागर होता है और एक छात्रा पढ़ती है तो दो घर शिक्षित होते हैं। इस सदन में हमेशा इस बात की चिंता की गई है और प्रश्न उठाए गए हैं। यह देखा गया है कि देश में शिक्षा का निजीकरण, बाजारीकरण हुआ है। हमें इसे तुरंत प्रभाव से बंद करना पड़ेगा तभी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दे पाएंगे और आपका लक्ष्य पूरा हो पाएगा।

सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से पुरजोर तरीके से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जैसे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसी प्रकार समान शिक्षा के लिए शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा तभी हमारा समाज शिक्षित हो पाएगा।

शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए छात्रवृति और फीस मिलती थी। हम ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। हम वहां के बच्चों से बात करते हैं तो पता लगता है कि पहले छात्रवृति मिलती थी, लोगों में जो जिज्ञासा थी, वह खत्म हुई है। छात्रवृति कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। सरकारें आती जाती रहती हैं। हमें सरकारों के कृत्यों को भी झेलना पड़ता है। इसलिए हमें शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स या पिछड़े वर्ग के लोगों की छात्रवृति और फीस की पूर्ति हेतु अधिकतम व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी, उन्हें आर्थिक तौर पर बजट देना पड़ेगा।

हमने डैफिनेशन दी है कि जब हम छात्रवृति या शिक्षा ऋण, लोन देते हैं, तो आय सीमा कम से कम पांच लाख रुपये रखें। इससे मध्यम वर्ग के बच्चे शिक्षा ऋण लेकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। छात्रवृति की धनराशि बहुत कम है। आप कहेंगे कि यह स्टेट सब्जैक्ट है, स्टेट गवर्नमैंट इसे देखे। लेकिन आप जब तक राज्यों के शिक्षा बजट को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एजुकेशनल लोन को ब्याज रहित किया जाना चाहिए। अगर हम शिक्षा के लिए ऋण लेते हैं तो खासकर जो कमजोर वर्ग है, जैसे एससी, एसटी, उनके लिए ब्याज मुक्त किया जाना चाहिए, तभी वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करना पड़ेगा। शिक्षा का बाजारीकरण तत्काल प्रभाव से बंद करना पड़ेगा। एससी, एसटी के जो लोग इसके लाभ से वंचित हैं, उन्हें विशेष महत्व देने की बात करनी चाहिए। आज चाहे अमीर हो या गरीब, सभी वर्ग के बच्चों को प्राइमरी से लेकर माध्यमिक या उच्च शिक्षा तक समान शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी तभी हमारा मकसद पूरा हो पाएगा।

हम अंग्रेजियत की तरफ ज्यादा बढ़े हैं। शिक्षा का माध्यम हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी होना चाहिए। हमें इस बारे में प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है कि एक वक्त उत्तर प्रदेश की यह स्थिति थी कि वहां पीसीएस में अंग्रेजी अनिवार्य थी। ग्रामीण इलाकों से जो बच्चे पढ़कर निकलते थे, वे उसे क्वालीफाई नहीं कर पाते थे, क्लास टू, क्लास वन केटेगिरी में नहीं जा पाते थे।...(व्यवधान) पांडे जी कह रहे हैं कि हमारे समय में वही था। मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया और हिन्दी को बढ़ावा दिया तो अंग्रेजी के लोग कम आए, ग्रामीण क्षेत्रों से जो नौजवान पढ़कर निकले थे, वे पीसीएस में प्रदेश सर्विसेज में आने लगे। हमें यह करना पड़ेगा।...(व्यवधान) अधीर रंजन जी, आप बैठ जाइए। अब आप मंत्री हो गए हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। व्यवधान पैदा न करें।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं वही बात कह रहा हूं कि आर्थिक तौर पर मजबूत हो, वह चाहे कोई भी हो।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं अन्य भाषाओं की बुराई नहीं करता। उसे स्वैच्छिक विषय के रूप में लिया जाए। मैं उसकी कभी बुराई नहीं करता। आप स्वैच्छिक विषय बना दीजिए, जिसे वे पढ़ें, आगे बढ़ें । इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है।...(व्यवधान) इन संस्थानों में जो व्यावसायिक शिक्षा है, स्कूल, कालेजों की उपलब्धियों के आधार पर प्रदेश की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए तभी जाकर हम इस मकसद और लक्ष्य को आगे प्राप्त कर पायेंगे। आज भी हमारे जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें 40 प्रतिशत शिक्षकों की कमी है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कल एक डेलीगेशन सोनिया गांधी जी से मिला है। उच्च शिक्षा में भी आज करीब 4 हजार शिक्षकों की कमी है, जिसे हमें पूरा करना है। मैं चाहूंगा कि आप विशेष अभियान के तहत इसे भरने की कोशिश कीजिए। अब आपने व्यवस्था की और संविदा पर तमाम अध्यापक रखे जाते हैं। शिक्षा मित्रों को ले लीजिए। लेकिन आज अगर देखा जाये, तो कौन्ट्रेक्ट बेस पर

शिक्षा मित्र या ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं, वे मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। वहीं पर जो रेगुलर शिक्षक हैं, वे कम इंटरस्ट ले रहे हैं। चूंकि शिक्षा मित्र सरकारी नौकर नहीं कहलाते हैं। उनको मानदेय मिलता है, तो उनके ऊपर सारा काम छोड़ देते हैं। आज जरूरत इस बात की है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है कि ऐसे शिक्षा मित्र जो मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, उसे क्लासीफाई करके उन्हें सरकारी सर्विस का अवसर दे रहे हैं और सरकारी सर्विस के बराबर उनके वेतन की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। शहरी एवं ग्रामीण स्तर के कालेजों में छात्रों की उपस्थिति में बड़ा अंतर पाया गया है। आज क्यों यह अंतर आ रहा है। हमें इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि उनकी उपस्थिति में बड़ा अंतर आता है। जो साधन सम्पन्न लोग हैं, उनकी उपस्थिति ज्यादा है और जो साधन सम्पन्न नहीं हैं, उनकी उपस्थिति कम है। वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। यह अनुपस्थिति का एक मुख्य कारण है। अगर हम आंकड़े देखे, तो वर्ष 2011-12 में 126 जिलों की पहचान की गयी है जहां स्कूलों में दाखिला लेने वाले 60 फीसदी से कम बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आपने व्यवस्था की है। आप कहेंगे कि इसमें हमारे जनप्रतिनिधि सहयोग करें और स्टेट गवर्नमैंट को भी देखना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं। कभी-कभी प्राइमरी विद्यालय में हम लोग चैक करते हैं। कभी-कभी विद्यालयों में भी जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको इशारा करना चाहूंगा कि हमारे जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वे सरकारी विद्यालय से बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। एक तरीके से आप जो व्यवस्था सरकारी विद्यालयों में करते हैं, वही व्यवस्था आपको प्राइवेट विद्यालयों में करनी चाहिए। ...(व्यवधान) उनको मानदेय मिलता है। उनको भी कम से कम वेतन इस स्तर का दें कि वे मन लगाकर पढ़ा सकें। वे कहीं कम नहीं हैं, बल्कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक समझते हैं कि हमें महीने में इतना वेतन मिल जायेगा चाहे हम पढ़ायें या न पढ़ायें। लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जिनमें शिक्षक मेहनत करके और कम मानदेय पाकर पढ़ाई कराते हैं, उन्हें भी हमें विशेष अवसर देना चाहिए।

आज भी 72 फीसदी बच्चों में खून की कमी है। बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, उनमें पढ़ाई के प्रति इंटरस्ट क्यों नहीं है, ये तमाम वजह हैं। मंत्री जी, आपका जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वह हैल्थ से जुड़ा हुआ है, लेबर मंत्रालय से भी जुड़ा है। अगर आप तमाम मंत्रालयों की स्थितियों को लेकर चलेंगे, तो मेरे ख्याल से बेहतर शिक्षा की ओर बढ़ सकेंगे। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : उनमें पौष्टिकता की कमी है, न्यूट्रिशियन की कमी है।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : हां, पौष्टिकता की कमी है। वे कुपोषण के शिकार हैं। न्यूट्रिशियन की कमी है। यही वजह है कि हमने मिड डे मील योजना लागू की है। मिड डे मील के बारे में अभी पाण्डे जी ने बड़े विस्तार से कहा, मैं उस ओर नहीं जाना चाहता। आज भी 44 प्रतिशत बच्चे सामान्य वजन से कम हैं। बच्चों को जितने वजन का होना चाहिए, वे उससे कम हैं। तमाम ऐसे कारण हैं । अगर भारत वर्ष की स्थिति देखी जाये, तो कुपोषण के शिकार पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे दो तिहाई हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जब तक हमारे बच्चे ह्रष्ट-पुष्ट नहीं होंगे, तंदरुस्त नहीं होंगे, उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती। वे पढ़ने से भटकते हैं, दूर भागते हैं। उनमें जिज्ञासा की कमी होती है। आज शर्मनाक किन्तु सच है कि दुनिया का हर चौथा व्यक्ति भूखा है, तो वह भारतीय है। हमें इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। आज अगर बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, बच्चों को इंट्रेस्ट नहीं है, एडमिशन लेने के बाद अगर वे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़कर जा रहे हैं, तो उस ओर भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर आंकड़े देखें, नवजात मृत्यु दर हमारे पड़ोसी देशों में अगर तीन है, तो हमारे देश में यह संख्या 47 है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि देश में शिक्षा की प्रणाली पूरी तरह से समान शिक्षा की नही है। आपने इतने बोड्र्स बना दिए हैं - सीबीएसई बोर्ड अलग है, आईसीएसई बोर्ड अलग है, उत्तर प्रदेश का बोर्ड अलग है, अन्य राज्यों को शिक्षा बोर्ड अलग हैं और सभी के पाठ्यक्रम अलग-अलग हैं, सबकी किताबें अलग-अलग हैं। बच्चों पर इतना ज्यादा बोझ बना दिया है कि जब वे स्कूल जाते हैं, तो उस बोझ को अपने कंधे पर लेकर जाते हैं। इसलिए एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में होना चाहिए, कक्षा एक से लेकर उच्च शिक्षा तक एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चों पर आप जो बोझ लादते हैं, वह बड़ी चिंता का विषय है। उससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जहां तक अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम में जो दूरियां है, हमें उसे कम करना चाहिए। अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करना होगा, मिड डे मील की, केवल सरकारी स्कूलों में ही नहीं, जो निजी स्कूल चल रहे हैं, उनमें भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। चूंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अलग नहीं होते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अलग नहीं होते हैं, वही बच्चे होते हैं। इसलिए हमें इस भेदभाव को दूर करना पड़ेगा।

महोदय, मैं मांग करना चाहूंगा कि जीरो से लेकर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को शिक्षा अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत शामिल किया जाए। यह ध्यान दिलाना आवश्यक है कि बच्चों के अधिकार हेतु संयुक्त राष्ट्र सार्वभौम घोषणा पत्र, भारतीय किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं संशोधित अधिनियम 2006 इत्यादि में बच्चों की इसी परिभाषा को स्वीकार करते हुए शिक्षा देनी चाहिए। राष्ट्रीय उत्पाद का 6 फीसदी या सरकारी बजट का 20 फीसदी शिक्षा के लिए खर्च

किया जाए। साथ ही उपरोक्त धन का 50 प्रतिशत बुनियादी शिक्षा के मद में खर्च हो। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पैरा-शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर स्थायी एवं प्रशिक्षित पूर्वकालिक शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए। शिक्षा अधिकार कानून लागू हो जाने के बाद बाल मजदूरी प्रतिषध व विनिमय अधिनियम, 1986 में तत्काल बदलाव किया जाए और इसे बाल मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम बनाया जाना चाहिए। शिक्षा अधिकार कानून में शिक्षा की गुणवत्ता जानने के लिए मापक सूचकों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे माता-पिता एवं समुदाय के अन्य लोग शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करने में सक्षम हो सकें। केंदीय विद्यालय को आधार मानते हुए केंद्र के सभी सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता हेतु केंद्रीय विद्यालय के मानको को क्रियान्वित किया जाए। बच्चों के शिक्षा अधिकार से वंचित होने की दशा में उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रखण्ड स्तर पर विकेंद्रित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को न्यायिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। निजी विद्यालयों के नियमन के द्वारा सबके लिए समान शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में मांग की है कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत 2011-12 के अवशेष केंद्रांश की अवमुक्ति तथा मानक के अनुसार विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती की अवधि 31 मार्च, 2015 तक बढाया जाए जिसमें 2346.8 करोड़ रुपये की मांग की है। दूसरी तरफ प्रदेश के नौ मंडलों में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराए जाने तथा छठे पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार प्राध्यापकों को एरियर का भुगतान किए जाने हेतु सहायता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में 4006 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। व्यावसायिक शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु 5267 करोड़ रुपये की मांग की है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित आईसीडी योजना के अंतर्गत अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि, छात्र-छात्राओं को टेबलेट, पीसी एवम् लैपटॉप, सभी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को निशुल्क ड्रैस तथा पाठ्य पुस्तकें तथा अभियान के तहत अशासकीय विद्यालयों को भी सम्मिलत किए जाने के सम्बन्ध में 4100 करोड़ रुपए की मांग की है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि सरकार इसे गम्भीरता से ले। मैं उत्तर प्रदेश की मांग तो करता ही हूं, लेकिन जो अन्य प्रदेश हैं, जिन्होंने शिक्षा के लिए मांग की है, उन्हें भी समान और अच्छी शिक्षा के लिए सरकार बजट का प्रावधान करे। तब हमारी शिक्षा सुदृढ़ हो सकेगी और शिक्षा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण भी जरूर करें। तब जाकर भारतवर्ष शिक्षित बनेगा, विकास करेगा और विकसित होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): सभापति महोदय, आज एक गम्भीर विषय शिक्षा की समानता और शिक्षा की अनिवार्यता पर चर्चा हो रही है। इस विषय पर अभी समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य, जो एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं, शैलेन्द्र कुमार जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं समझती हूं कि यह संसद के लिए बड़ा अनुकूल मौका है कि आज हम सब लोग यहां पर शिक्षा व्यवस्था पर, जो एक गम्भीर व जटिल विषय है, भारत जैसे विविधताओं जैसे देश में एक जरूरी विषय है, हमने आज चर्चा के लिए समय निकाला। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं।

सभापति महोदय, देश की आबादी करीब 125 करोड़ है। इस आबादी का बड़ा हिस्सा युवाओं का है। हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृति है, वह शिक्षा अध्ययन-अध्यापन को अपनी नींव में संजोए हुए है। जब हम अपने देश की बात करते हैं तो ज्ञान की पूजा हमारी संस्कृति में होती है। विश्व में अन्य संस्कृतियां रही हैं,लेकिन ज्ञान की पूजा, माँ सरस्वती की उपासना हमारी संस्कृति में ही होती है। यह हमारी संस्कृति की देन है कि हम शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता अपने जीवन में देते हैं।

हमारी जो प्राचीन विरासत है, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय के उस समय की बात हो या विक्रमशिला या नालंदा की बात हो, ये केन्द्र हुआ करते थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और देश-विदेश के विद्यार्थी यहां आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। मुझे यहां इस बात को दोहराते हुए बहुत फख्र महसूस होता है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने नई शिक्षा नीति 1986 जब बनाने की बात हुई, तो उन्होंने उस समय एक नया फलसफा दिया। उस समय तक का दौर यह मानता था कि बहुत बड़ी जो यह आबादी है, वह दरअसल हमारे लिए कोई कमजोरी है, कोई चुनौती है। उससे हटकर उन्होंने कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम मानव संसाधन का बेहतर विकास कर सकेंगे और उसी के आधार पर एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण कर सकेंगे।

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सही कहा कि "भारत की नियति अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रही है। स्कूल्स और कालेजज़ से निकलने वालों की संख्या और गुणवत्ता पर राष्ट्र निर्माण के काम, हमारी सफलता निर्भर करती है।" यह एक बहुत बड़ी बात है कि आज हमें एक ऐतिहासिक मौका मिला है कि अपनी युवा आबादी को सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में और उनकी सृजनात्मक-रचनात्मकता को बेहतर आयाम देने की दिशा में शिक्षा नीति के माध्यम से आग बढ़ें।

देश को जब आजादी मिली, उस समय केवल 14 फीसदी लोग साक्षर थे। आज यह स्थिति है कि वह साक्षरता की दर बढ़कर 60 फीसदी हो गई है। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि 1961 में अनुसूचित जाति के बीच साक्षरता की दर 10.27 फीसदी थी, 1991 में बढ़कर साढ़े 37 फीसदी हो गई। इसी तरह अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर जो 1961 में साढ़े आठ फीसदी थी, वह 1991 में बढ़कर करीब 30 फीसदी हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी आज शिक्षा पर एक आमूलचूल विचार की जरुरत है। विचार की जरूरत इसलिए है कि मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूं। मैं यह महसूस करती हूं कि जो हमारे ग्रामीण जीवन का केलेंडर है उसमें और हमारे शैक्षणिक केलेंडर में सामंजस्य नहीं है।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हम उसमें इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं जैसे कुछ अन्य राष्ट्रों में होता है। उन्होंने अपने मौसम के अनुकूल किया है क्योंकि सर्दी में वे स्कूल चला नहीं सकते हैं इसलिए उन्होंने अपनी छुट्टियों और शैक्षणिक सत्र् का अलग टाइम-टेबल बनाया लेकिन हम भी उसी टाइम-टेबल का पालन करते हैं। जून-जुलाई-अगस्त में किसान को उसके बेटे की जरूरत पड़ती है खेत में तभी उसका शैक्षणिक सत्र् आरम्भ होता है। इस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जो हमारे दैनिक जीवन का केलेंडर है उसमें और हमारे शैक्षणिक सत्र् के केलेंडर में एक तरह का साम्य होना चाहिए।

दूसरी बात मैं यहां पर विशेष तौर से कहना चाहती हूं कि हमारी शिक्षा का मूल क्या होना चाहिए? हमारी शिक्षा समावेशी हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो और हमारी शिक्षा गुणवत्ता पर ध्यान दे। आज गुणवत्ता पर कहीं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में अलग-अलग तरह का कैडर शिक्षित करता है। किसी भी सर्वशिक्षा अभियान के सरकारी स्कूल में चले जाएं, इस बात की खुशी है कि करोड़ों बच्चों को हम मध्याह्न भोजन के माध्यम से हम स्कूल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहती हूं कि जब भी हम स्कूल में जाते हैं और उससे उसका नाम लिखने के लिए भी कहते हैं तो वह अनभिज्ञता प्रकट करता है। बच्चे में आत्म-विश्वास नहीं होता है। बच्चे में स्कूल से ही भेद-भाव की शुरूआत हो जाती है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के कई स्कूलों में जाकर जानकारी प्राप्त की तो पाया कि भेद-भाव पनपता है। मध्याह्न भोजन का काम पूरी तरह से एक वर्ग विशेष की महिलाएं करती हैं। स्कूल में एक पंगत में बैठकर सब बच्चों को एक साथ भोजन परोसा नहीं जाता है। बच्चे जो आगे की लाइन में बैठते हैं वे एक जाति विशेष के बच्चे होते हैं और जो बच्चे पीछे बैठते हैं उनके सरनेम से समझ में आता है कि किस तरह का भेद-भाव स्कूल के प्रांगण में हो रहा है और उस तरह के भेद-भाव के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं स्वयं एक महिला हूं और सांसद हूं। बालिकाओं की शिक्षा के मामले में कहना चाहती हूं। हमारी ज्यादातर जो बाल-भारती की किताबें हैं उसमें दो तस्वीरें बनी होती हैं। मैंने बहुत गौर से

देखा, एक में बालक की और एक में बालिका की तस्वीर है। बालक के आगे लिखा है - राम जा, पाठशाला जा लेकिन बालिका के सामने लिखा है -रमा जा, खाना बना, यानी हम स्कूल शिक्षा से ही यह बताना चाहते हैं कि बालिका और महिला का स्थान रसोईघर में है, खाना बनाने में है, उसका काम स्कूल और कालेज जाने का नहीं है। कल्पना चावला जैसे एक-दो जो उदाहरण हैं उस लेवल तक वे पहुंच नहीं सकती हैं। मैं समझती हूं कि यह बिल्कुल समाप्त होना चाहिए।

माननीय शैलेन्द्र जी ने राष्ट्रभाषा के बारे में कहा तो मैं कहना चाहती हूं कि मैं मूलतः तमिलभाषी हूं लेकिन मेरी पैदाइश मध्यप्रदेश की है और हिंदी को अपनी भाषा मानती हूं और हिंदी में ही मैं विचार कर सकती हूं और हिंदी में ही अपने विचार और बात रख सकती हूं। मेरा मानना है कि इंग्लिश एक स्किल हो सकती है लेकिन इंग्लिश हमारी शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकती। उसे हम एक भाषा के तौर पर सीखें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें प्रतियोगी बनना है, हमारे लोगों को आगे बढ़ना है लेकिन जो प्रारम्भिक शिक्षा है वह अगर मातृभाषा में नहीं हो तो बच्चा केवल तोता-रटंत बनकर रह जाता है। बच्चा दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देख पाता है और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह समझ से ज्यादा याददाश्त पर कायम रहेगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह पूरी तरह से याददाश्त की परीक्षा लेती है, समझ की परीक्षा नहीं लेती है। " सिकंदर ने पौरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करुं।" हमारे छात्र पूछते हैं क्योंकि कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि इसे रटना है तब जाकर आप परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। इसलिए हमें इस दिशा में जरूर ध्यान देना चाहिए।

हमारे जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा और उन्मुक्त वातावरण में शिक्षा दे रहे हैं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि नवोदय स्कूलों का विस्तार होना चाहिए। नवोदय स्कूलों को आप ब्लाक-ब्लाक तक पहुंचाने का काम करें। माडल स्कूलों की जो आपने अवधारणा बनाई है, माडल स्कूलों की आपने घोषणा की, माडल कालेजों की भी घोषणा की, लेकिन अभी तक उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। मुझे इस बात की खुशी है कि एक सवाल के उत्तर में आपने इस बात को स्वयं स्वीकार किया कि केवल चंद माडल स्कूल खुल पाए हैं। मेरा अनुरोध है कि इन्हें और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यहां कहना चाहती हूं कि हमारे शैक्षणिक संस्थान क्लोज्ड हैं। हम उम्मीद भी नहीं करते कि जो सन माइक्रो सिस्टम है, वह स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क्स है। यानी कि एक विश्वविद्यालय इतनी बड़ी कंपनी को और एक साफ्टवेयर के इजाद के बारे में काम कर पाता है, लेकिन हमारे जो

शैक्षणिक संस्थान हैं, वे अपने पुराने प्रशासनिक ढांचे से जुड़े हैं। आज स्कूलों और कालेजों के लिए जो बजट यहां स्वीकृत करते हैं, वह फरवरी-मार्च तक स्कूलों में पहुंचता है। उसके बाद उसमें लीपा-पोती होती है और आपके सामने एक यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है। इस तरह से प्रशासनिक ढांचे के लचरपन के कारण और लालफीताशाही के कारण आप ज्ञान के केंद्र को उन्मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को मौका नहीं दे पा रहे हैं कि वे वहां जा कर काम कर सकें। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि जितने प्राइवेट स्कूल और कालेज खुले हैं, उनमें से कालेज की जो स्थिति है, वे एक तरह से एक दिन का सैट लगाकर शो करते हैं। जब आपका निरीक्षक दल वहां जाता है, तो किराये पर वहां सारी चीजें मिल जाती हैं। उनका वे प्रदर्शन करते हैं और उसके आधार पर उनका सर्टिफिकेशन हो जाता है और उसके अगले दिन छात्रों को कुछ नहीं मिलता है। बहुत जरूरी है कि हमारे जो पेंडिंग कानून हैं, जिनमें आप मान्यता का नियमन करना चाहते हैं, वह ऐच्छिक नहीं होना चाहिए। वह सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि एक्रिडिटेशन का बिल आप जल्द से जल्द ले कर आएं, ताकि कम से कम एक मानक तो स्थापित होगा, जिससे कि सभी लोगों को एक तरह की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचने का मौका तो मिलेगा। वरना यह स्थिति है कि राजधानी दिल्ली से अगर आप चालीस किलोमीटर दूर चले जाएं, तो वहां के कालेज की स्थिति ऐसी होगी कि वहां छत टपकती है, वहां पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होता, जहां लड़कियों के लिए अलग से गर्ल्स रूम तक नहीं हैं और दूसरी तरफ राजधानी में सेंट स्टीफन, एसआरसीसी जैसे कालेज हैं। ऐसे कालेज से अगर दो अलग-अलग तरह के स्नातक निकलेंगे, तो वे कैसे दुनिया के साथ नज़र मिला कर चल पाएंगे और कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इस बारे में उचित व्यवस्था करने की जरूरत है।

मैं मंत्रालय का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने स्कालरशिप की शुरूआत की है। आपने प्रत्येक प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की शुरूआत की है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए आपका आभार मानती हूं तथा कस्तूरबा ग्रामीण बालिका छात्रावास के माध्यम से स्त्री शिक्षा के बारे में भी आपने एक सोच बनाई तथा पहल की है। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि आज चीन में पिछले पांच साल में 1250 नए विश्वविद्यालय खोले हैं और आज हमारे पास मात्र 611 विश्वविद्यालय हैं। हमारे पास जब तक 1500 विश्वविद्यालय नहीं होंगे, तब तक वर्ष 2015 में हम 15 फीसदी सकल भर्ती अनुपात को हासिल नहीं कर पाएंगे। आज भी केवल सात से आठ फीसदी लोग कालेज तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि शिक्षा स्कूल के स्तर पर ही भेद कर देती है। बस्तों के बोझ की बात कही है। इसके अलावा भी शिक्षा परीक्षा प्रणाली और यादाश्त पर आधारित शिक्षा खुलकर आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है इसलिए जरूरी है कि हम न केवल इसका विस्तार करें, फैलाव करें बल्कि इसकी गुणवत्ता पर पूरा-पूरा ध्यान देने का प्रयास करें।

मैं आखिरी बात परीक्षा प्रणाली के बारे में कहना चाहती हूं। आधे से ज्यादा विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली की स्थिति यह है कि परीक्षा का टाइम टेबल कब जारी होगा, किसी को पता नहीं होता है। कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि पहले साल की परीक्षा दूसरे साल की परीक्षा का समय आने तक भी पूरा नहीं होता है। उसके बाद हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वह पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। अभी हाल ही में आरटीआई के अन्तर्गत हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया। मैं कहना चाहती हूं कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और हमें भी कहा गया कि अपनी गलतियों से बेटा, सीखो। लेकिन गलतियां बताएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे बच्चों को उनकी उत्तर पुस्तिका की प्रतिलिपि मिलनी चाहिए ताकि वे समझ सकें कि उन्होंने कहां कमियां की हैं और कहां गलतियां की हैं ताकि वे उनका सुधार कर सकें और अगली बार अच्छा अटैम्प्ट आपके सामने कर सकें।

एक बात और मैं कहना चाहती हूं जो कि आगे आने वाले वर्षों के हिसाब से हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे जो शिक्षा के संस्थान हैं, वे शोध और अनुसंधान पर भरपूर ध्यान दे सकें। शोध और अनुसंधान पर भरपूर ध्यान दिये बगैर हम आगे बढ़ने का काम नहीं कर सकते। मैं यहां पर यह भी कहना चाहती हूं कि जो हमारे शिक्षा के केन्द्र हैं, वे किसी भी तरह की कूपमंडूकता से मुक्त हों। वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार-प्रसार करने वाले हों और शिक्षा में पाठ्यक्रम के माध्यम से किसी भी तरह का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए वरना एक विचारधारा की सरकार अगर किसी एक राज्य में आ गई तो कुछ नेहरू जी पर लिखी गई कविताएं अचानक पाठ्यक्रम से गायब हो जाती हैं। मेरे अपने प्रदेश में ऐसे प्रयास हुए। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि शिक्षा का करिकुलम पूरी तरह से राजनीति से मुक्त होना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने वाली समान शिक्षा सब जगह लागू होनी चाहिए।

अंत में, मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि जॉन लिनोन ने अपनी पंक्ति में कहा कि एक बच्चे को उसकी मां ने सिखाया कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है? बच्चे के सामने उन्होंने कहा कि आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए One should be happy. जब उन्हें स्कूल में असाइनमेंट मिला तो बच्चे से पूछा गया कि आप बीस साल बाद क्या बनना चाहते हैं? बच्चे ने लिखा: I want to be happy. टीचर ने कहा कि आप अपना असाइनमेंट समझ नहीं पाए हैं। बच्चे ने कहा मैं तो सिर्फ असाइनमेंट नहीं समझ पाया हूं लेकिन आप जीवन को नहीं समझ पाए हैं।

इसलिए जो हमारी शिक्षा के परिसर हैं, वे ज्ञान आधारित हों और वे हमारी मानसिकता को मुक्त करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फैलाने का काम करें। लेकिन हमारी विविधताओं का समावेश करते हुए एक शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। मैं यही विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि मैंने जो नियम 193 के अधीन विषय दिया था, उसमें मैंने कोई समान शिक्षा प्रणाली की बात नहीं कही थी। मैंने कहा था कि शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे होना चाहिए? हालांकि कोई बात नहीं है, हम दोनों विषयों को एक साथ भी कर सकते हैं। अभी जो बात हो गई कि समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। मैंने कहा था कि शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे हो सकते हैं? क्योंकि समान शिक्षा प्रणाली अगर हम कहेंगे या कोई एक समान कानून जैसे आज आरटीई कानून यहां से आ गया लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि शिक्षा राज्य का विषय है। यहां से हम कुछ डाइरेक्शन दे सकते हैं।...(व्यवधान) वह डाइरेक्शन ऑल इंडिया लैवल का होना ही चाहिए क्योंकि भारतवर्ष एक राष्ट्र है और इस दृष्टि से...(व्यवधान) माइक्रोफोन में भी सुधार होना चाहिए।...(व्यवधान) एम्पलीफायर में सुधार होना चाहिए। उचित माध्यम होना चाहिए।

समान शिक्षा प्रणाली की बात आपने भी कही थी और मीनाक्षी ने भी उसके लिए हां कहा था। मेरा कहना यह है कि कोई एक कानून बनाकर क्योंकि बाद में हमने नया राइट टू एजुकेशन का कानून यहां से बना दिया, उसकी भी मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन कानून यहां बनाए और राज्य केवल उसको फोलो करे, यह नहीं हो सकता है। राज्यों की भी अपनी एक पद्धति होती है लेकिन कुछेक कॉमन बातें तो होनी ही चाहिए। कॉमन बातें क्यों होनी चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में हमारी एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जो यहां से फोलो होनी चाहिए और राज्यों में भी जानी चाहिए क्योंकि हम यह मानते हैं कि शिक्षा केवल अक्षरित ज्ञान नहीं है। केवल एबीसीडी, किताबी ज्ञान देना या कखग सिखाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा से एक चरित्रवान, सुशिक्षित, शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति बनना चाहिए जो आगे जाकर राष्ट्र निर्माण में काम आ सके। यह बात केवल मैं नहीं कह रही हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी राइट टू एजुकेशन की बात की थी।

सभापति महोदय : शिक्षा की तरह माइक्रोफोन में भी सुधार होना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : महोदय, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? हम भी मानते हैं और आप भी बहुत ज्ञाता हैं और आपको भी मालूम है- "विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्। पात्रत्वाधनम् आप्नोति धनाद्धर्म ततः सुखम।" इसमें आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सब क्यों प्राप्त करना है? आज की प्रणाली है -eat, drink and be merry. No, it is not for that. धर्म यानी जिसे हम या आप समझते हैं, यह कोई पूजा पद्धति नहीं है बल्कि कल्याणकारी भावना है, चारित्रिक शुद्धता की भावना है। इससे ही हम सबको सुखी कर सकते हैं। यह क्वालिटी है। मैं प्रधानमंत्री जी की बातें पढ़ रही थी, उन्होंने कहा -

We are committed to ensuring that all children, irrespective of gender and social category, have access to education. यहां तक बात ठीक है कि उन्होंने राइट टू एजुकेशन की बात कही है। इसके आगे वे कहते हैं - An education that enables them to acquire the skills, knowledge, values and attitudes necessary to become responsible and active citizens of India. मैं वही बात कह रही थी कि शिक्षा के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा और उस दृष्टि से कुछ बातें तय करनी होंगी, पालिसी बनानी होगी जिसमें यूनिफार्मिटी हो। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं जब हम एलीमेंटरी एजुकेशन की बात कहते हैं, एक तरफ कहा जाता है कि पांच-छः साल तक बच्चे को कुछ नहीं सिखाना चाहिए, उसके हाथ में किताब देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह वैसे ही दादी मां की कहानी या मां की लोरी सुनते-सुनते समझदार हो जाता है। लेकिन हम आज दो या ढाई साल के बच्चे को जबरदस्ती पालनाघर में भेज देते हैं और फिर पूछना शुरु कर देते हैं कि एक-डेढ़ साल हो गया है लेकिन बच्चा कुछ लिखना नहीं सीख पाया है। यह एक अलग बात है।

महोदय, पहली बात यह है, जो वास्तविकता है कि बच्चा जो सीखेगा, अपनी मातृभाषा में बहुत जल्दी सीखेगा, ग्रहण करेगा। मैं भी प्राथमिक शिक्षा की पुरस्कर्ता हूं, मेरा मानना है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि एलीमेंटरी एजुकेशन मातृभाषा में हो ताकि बच्चा अपने घर के संस्कारों को ग्रहण कर सके। एक और बात है जो कॉमन है कि हम एक व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षा से करते हैं। इसलिए नैतिक शिक्षा जिसे वैल्यू कहा जाता है, जिससे एटीटियूड बनता है, नैतिक शिक्षा स्कूलों में होना अत्यंत आवश्यक है। जब हमने इस तरह की बातें कही तो कुछ लोगों ने इसे भगवाकरण कहा। मेरा कहना है कि भगवाकरण कुछ नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बने। जब हम राम को आदर्श मानते हैं तो मेरे ख्याल से भगवाकरण करने की धार्मिक बात नहीं होती है कौन सी मां नहीं चाहेगी कि उसे राम जैसा पुत्र हो, कौन पत्नी नहीं चाहेगी कि उसे राम जैसा पति मिले। हम उसे क्वालिटीवाइज लेते हैं। इसलिए नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं जो मेरी उम्र के होंगे, उन्होंने इस प्रकार की कुछ कहानियां पढ़ी होंगी। आज भी मुझे बाबा भारती का घोड़ा कहानी याद है, यह कहानी आपने भी पढ़ी होगी और बाबा भारती का घोड़ा हमारे लिए केवल कहानी नहीं थी। उसमें आखिर में वह एक बात कहता है कि किसी को मत बताना कि तुमने मुझे इस प्रकार से डिच किया है और मेरा घोड़ा चुरा लिया है। मैं कमजोर हूं, यह भले ही बता देना, भले ही यह बात लोगों को मालूम हो जाए। लेकिन अगर यह मालूम हो जाएगा कि जिस भेष में तुमने मेरा घोड़ा चुराया है, अपंग, अपाहिज बनकर और गरीब से गरीब व्यक्ति बनते हुए तुमने ऐसा काम किया है। मैं तुम्हारी मदद

करने के लिए गया और तब तुमने घोड़ा चुरा लिया, यह इसलिए मत बताना कि आगे जाकर कोई किसी भी गरीब व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखेगा। कोई भी किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं रखेगा, यह इस कहानी की मूल बात है। यह नैतिक शिक्षा की मूल बात है। इसके अलावा अबू खां की बकरी और अन्य बहुत सी ऐसी कहानियां थीं। मेरा कहना यह है नैतिक शिक्षा हमारे लिए कहीं न कहीं जरूरी है। हमारे सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है। मगर नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक है।

इसके अलावा मैं कहना चाहती हूं कि लोगों को इतिहास का सही ज्ञान होना आवश्यक है। अभी आपने ठीक कहा, वह उदाहरण दे रहे थे कि सिकंदर ने पौरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, ऐसी बातें आपने कही। लेकिन इतिहास का सही ज्ञान और वह भी अखिल भारतीय स्तर के इतिहास का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारे यहां कई ऐसी विभूतियां हैं, जैसे साउथ की चेन्नम्मा है, ओबऊआ है, हम कहते हैं कि अगर शिवा न होते तो सबकी सुन्नत होती। शिवाजी महाराज की कहानी हम कहते हैं। अगर उत्तर भारत में मालूम ही नहीं हैं कि ये हमारे आदर्श हैं या हमारे यहां जो रानी गेदिनल्यू हुई हैं, ये अगर दक्षिण में मालूम नहीं है या हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जो सही इतिहास है कि जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से अनेकों प्रकार से संग्राम हुए, जिनमें क्रांतिकारी भी थे, उनमें महात्मा गांधी जी भी थे। माफ करना, मैं कोई उनकी विरोधी नहीं हूं। वह भी उसमें थे, मगर भगत सिंह भी था, लोकमान्य तिलक भी थे। आज ही आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जम्मू-कश्मीर में जिस तरीके से आयोग में प्रश्न रखा गया, उसमें पूछा गया था कि इन चार में से कौन आतंकवादी नहीं था। प्रश्न भी देखिये किस तरह से निगेटिव है, यह भी एक सोचने लायक बात है, जब हम परीक्षा प्रणाली की बात करते हैं। इनमें से कौन आतंकवादी नहीं है। इसका मतलब यह है कि बाकी तीन आतंकवादी हैं और उनमें एक नाम लोकमान्य तिलक जी का है। क्या जम्मू-कश्मीर के लोगों को लोकमान्य तिलक के बारे मे मालूम नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो प्रश्नकर्ता थे, वह कम से कम विद्वान तो होंगे या उन्हें लोकमान्य तिलक के बारे में मालूम नहीं था, यह जानबूझकर की गई बात है। इस पर धिक्कार होना चाहिए, इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। मगर मैं जो बोल रहीं हूं कि इतिहास का सही ज्ञान शिक्षा से मिले, शिक्षा प्रणाली में यह सुधार होना चाहिए, यह यूनिफार्म होना चाहिए। चाहे अश्फाकुल्ला खां हो, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने चार-चार बेटे न्यौछावर कर दिये, अपनी अस्मिता, अपने देश की अस्मिता, अपने धर्म को कायम रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया, यह साउथ के लोगों को भी मालूम होना चाहिए, आसाम के लोगों को भी मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। इसलिए कहीं न कहीं इतिहास का सही ज्ञान शिक्षा में होना आवश्यक है, जिससे बच्चों का चरित्र निर्माण होता है। बच्चा कुछ ग्रहण करता है तो फिर ये प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि ज्ञान देने में कहीं न कहीं हम नीरसता पैदा करते हैं। इसलिए इतिहास का सही ज्ञान बच्चों को देना आवश्यक है। आज मुझे कई बार

यह अनुभव होता है, आप इसे भगवाकरण कहोगे, लेकिन वास्तव में मेरे अपने बच्चों ने मुझसे एक बार प्रश्न किया था कि उन्हें अगर पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया कि अकबर महान था, यह मैं आपको एकदम सही बात बता रही हूं। यह घटना मेरे घर में घटी थी और मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि तुम तो मुझे महाराणा राणा प्रताप की कहानी बताती हाव माँ मुझे बताओ कि अगर अकबर महान था तो महाराणा राणा प्रताप क्या था? इन प्रश्नों का उत्तर कभी न कभी हमें हमारे बच्चों को देते रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान का सही-सही इतिहास, यहां से वह यूनिफॉर्म पालिसी बन सकती है। आपने शिक्षा प्रणाली की भी बात की है। उसके लिए कुछ यूनिफॉर्म पॉलिसी यहां से बन कर जा सकती है। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यों की अपनी स्वतंत्रता नहीं है, वह कायम रहनी ही चाहिए।

आज हमने क्या किया है? मैं थोड़ा सा शिक्षा के अधिकार की तरफ आउंगी। हमने यहां से एक्ट बना दिया तो हमें लगा कि हमने कितना बड़ काम कर दिया है। उसके पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि जब हम यूनिफॉर्म शिक्षा प्रणाली की बात सोचेंगे, तब यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारी संसद ने या हमारे संविधान त्रिभाषा शिक्षा फार्मूला एक्सेप्ट किया हुआ है। उसमें संस्कृत एक महत्वपूर्ण भाषा है। आज हम संस्कृत को भूलते जा रहे हैं। आगे जा कर अगर हमारे देश का इतिहास, अगर हमारे देश का पूर्व ज्ञान, पूरा का पूरा हमारे बच्चों को दें, ऐसा हमें लगता है, तो यह संस्कृत का ज्ञान बहुत-बहुत आवश्यक है। नहीं तो आज हमारे समाज की जो स्थिति हो रही है, उसे देख कर मुझे वास्तव में बहुत दुख होता है।

हमने बड़े लोगों को, देवी-देवताओं को, गुरूओं को भी जाति में बांट लिया है। वाल्मिकी जयंती कौन मनाएगा तो बोले वाल्मिकी समाज मनाएगा। मैंने पूछा कि क्यों? क्या वाल्मिकी मेरे बच्चों के लिए आदर्श नहीं हैं? क्या यह बात मेरे बच्चों के लिए आदर्श नहीं हैं कि वे किस तरीके से वाल्मिकी ऋषि बन गए थे। यहां तक तो हमारी सोच हो गई है। मुझे मालूम नहीं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? वहां तो हम सबसे ज्यादा बांटते हैं? लेकिन मेरे यहां मैंने देखा कि जब भगवान श्रीकृष्ण की जन्माष्टमी आयी तो यादव समाज के नेताओं ने बड़े-बड़े पोस्टर लगा दिए। मैंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण यादव समाज को किसने दिए? क्या वे बाकी सभी के नहीं हैं? इसका कारण यही है। हमारी संस्कृति का ज्ञान है। कहीं न कहीं हम संस्कृत को दूर कर रहे हैं। यह मैं नहीं कह रही हूँ। यह हमारे न्यायाधीश कहते हैं। संस्कृत भाषा पर जो प्रहार शुरू हो गया, उस समय सन् 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूल पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा सिखाने का महत्व समझाया था और उस समय यह कहा था कि किसी देश की सीमा के साथ उसकी संस्कृति की रक्षा भी मुख्य राष्ट्रीय दायित्व होता है। केवल देश की सीमाओं की रक्षा करना ही काफी नहीं है। मगर उसमें भी कई बार यह होता है कि ठीक तरीके से ध्यान नहीं हो, हिंदुस्तान का ध्यान नहीं हो या मैं कहूँ कि थोड़ी सी भी लापरवाही मन में हो। आपको याद होगा कि एक समय ऐसा भी था कि इसी संसद

में चर्चा हो रही थी और यह कहा गया कि तिब्बत का कुछ हिस्सा चला गया है। तब यह कहा गया कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। उस समय हमारे लोहिया जी ने ही उत्तर दिया था। हालांकि मैं उसका कुछ उल्लेख नहीं करना चाहूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि देश की सीमा ही नहीं देश की सीमा के साथ-साथ संस्कृति की भी रक्षा मुख्य राष्ट्रीय दायित्व होता है। हम भारत वासियों के लिए संस्कृत का अध्ययन देश की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए किया जाता है। अगर संस्कृत हतोत्साहित होती है तो हमारी संस्कृति की धारा सूख जाएगी। यह दो न्यायमूर्तियों ने उस समय कहा था। हमें इन बातों का भी कहीं न कहीं ध्यान रखना चाहिए।

हमने राइट टू एजुकेशन तो पास कर दिया है। बड़े जोर शोर से हमने कह दिया लेकिन आगे का क्या? हमने उसमें कामकाजी बच्चों की शिक्षा की कोई बात की है। हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं भी उस मत की हूँ। मगर उसकी व्यवस्था के लिए क्या है? उसके बजट के लिए क्या है? मैं बहुत डिटेल में नहीं कहती हूँ। मध्य प्रदेश का ही उदाहरण मेरे सामने है। कई बार मांग की गई है। जो आवश्यक हैं, उतने स्कूलों की बिल्डिंग के लिए भी पैसा नहीं जाता है।

17.00 hrs.

जो पैसा जाता है, वह भी इस तरीके से जाता है, मैंने कहा कि थोड़ा अधिकार स्टेट को मिलना चाहिए। मंत्री जी, यह एक वास्तविक बात है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक कमरे के लिए यहां से पैसे जाते हैं। अब होता क्या है, मैं कई बार गांव में जाती हूं, पहले तो गांव की स्थिति ऐसी है कि लोग शिक्षा को सबसे आखिरी में महत्व देते हैं। वे पहले बोलते हैं कि पहले हमारी खेती की बात करो, उनका ऐसा कहना नैचुरल है, हमारे यहां के बाकी सुधारों की बात करो। मैं यह बता रही हूं कि सर्व शिक्षा अभियान में एक-एक कमरा दिया जाता है और मुझे मालूम नहीं कि यहां से क्या नियम बताये जाते हैं, मैं गांव में जाती हूं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, हमारी कल्पना के अनुसार स्कूल बिल्डिंग एकसाथ होनी चाहिए। मगर कहीं न कहीं कोने में या बीच में एक छोटा सा कमरा बना हुआ दिखता है। मैं पूछती हूं कि यह क्या है तो वे बताते हैं कि यह सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बना हुआ कमरा है। मैंने कहा कि ऐसा क्यों बनाया, क्या पूरी बिल्डिंग के साथ नहीं बन सकता तो वे बोले कि नहीं, नहीं, उसे ऐसा ही बनाना है क्योंकि उसे दिखाना होता है। बाकी स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, प्रदेश सरकार ने उसके लिए पैसे दिये हैं और इस कमरे के लिए तो तीन लाख रूपये ही दिये हैं तो तीन लाख रूपये में तो ऐसा ही बनेगा तो उतना एक अलग से बनाकर रख दिया है। यह कौन सी पद्धति है? मैं पूछती हूं कि जितना बजट चाहिए, पूरा बजट क्यों नहीं है? राइट टू एजुकेशन में जो-जो बातें आपने कहीं, पूरा बजट नहीं मिल रहा है और आप कहते हो कि चार साल में, पांच साल में ये सब चीजें होनी चाहिए। आप कहते हो कि हर बच्चा स्कूल

जाये, हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन वास्तव में मैं कहती हूं कि कामकाजी बच्चों की शिक्षा की कोई सुध हमने नहीं ली है। अभी यहां पर चर्चा हो रही थी कि शिक्षक का बेटा शिक्षक, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पॉलिटीशियन का बेटा पॉलिटीशियन आदि-आदि, लेकिन वास्तव में हमारे यहां आज भी पद्धति है कि कोई शिल्पी है, कोई कुम्हार है तो कुम्हार का बेटा अपने पिता को बचपन से ही मदद करता है। अगर हम उसकी प्रगति उसी में करने की सोचेंगे या वह वही काम करते हुए जिस काम को वह कर रहा है, पिता की मदद कर रहा है, वह मदद करते हुए वह शिक्षा करे, वह स्कूल जाये और पढ़े, क्या उसके लिए हमने कुछ सोचा है या व्यावसायिक शिक्षा की बात हमने की है। मैं जो सुधार की बात कर रही थी तो यह होना चाहिए, केवल राइट टू एजुकेशन कानून देकर, हर बच्चे की अंगुली पकड़कर एक अभियान चलाओ, चलाना चाहिए, मगर हर बच्चे की अंगुली पकड़कर स्कूल में ले जाओ। हमारे भूरिया जी, आदिवासी क्षेत्र से चुनकर आते हैं। वे दूर-दराज के क्षेत्रों में अलग-अलग रहते हैं। गांवों में लड़कियों की बात जब करते हैं, मीनाक्षी जी आपने भी अनुभव किया होगा, मैं जो बोल रही हूं कि हर बच्चे की अंगुली पकड़कर स्कूल में मत ले जाओ, हमने सुविधायें क्या दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने क्या सोचा है। गांव में जब हम जाते हैं तो महिलाएं हमसे बात करती हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि आपकी लड़की स्कूल क्यों नहीं जा रही है तो वे कहती हैं कि अब हमारी लड़की बड़ी हो गयी है, अब वह स्कूल नहीं जा सकती है। लड़की तो पांचवीं, छठी कक्षा में आते-आते ही बड़ी हो जाती है। क्योंकि स्कूल में सुविधा नहीं है, स्कूल में बाथरूम नहीं है, बाथरूम है तो वहां पानी नहीं है, या फिर बाथरूम ठीक तरीके से नहीं बना है, कई सारी समस्यायें हैं, स्कूल दूर है, अब लड़की बड़ी हो गयी है, उसे हम थोड़ी दूर भी, दो किलोमीटर तक भी नहीं भेज सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूं कि केवल राइट टू एजुकेशन बोलकर कुछ नहीं होगा। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि उसकी ऐक्सेसबिलिटी क्या है? केवल हमने प्रदेशों को दे दिया कि यह करो, यह केवल कहने से नहीं होता है। मैं केवल एक बात और कहूंगी कि जो आवश्यक बजट है, क्या बजट में बढ़ा हुआ कभी हुआ है, शिक्षा का बजट क्या है, मुझे नहीं लगता कि दो परसेंट-तीन परसेंट से ज्यादा कभी जाता हो, आज भी वही स्थिति है। जो बजट आवश्यक है, आपके कानून के मुताबिक जो बजट आवश्यक है, 40 हजार करोड़ रूपये सालाना आपको अतिरिक्त आवश्यक है। क्या इतना मिल रहा है, क्या आप प्रदेशों को दे रहे हैं? आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हो। खेलों को पाठ्यक्रम का अंग बनाना, जो रिफॉर्म की बात मैं कर रही हूं, वह बहुत आवश्यक है। स्कूल में खेल के टीचर नहीं हैं, पढ़ाने वाले टीचरों की ही कमी है, खेल के टीचर नहीं है और स्कूलों में खेल के मैदानों को सुरक्षित रखने की भी बात हमने कभी नहीं की है। वह तो प्रदेशों का विषय है कि एक एक कमरे में स्कूल चलते हैं। वह बिल्कुल बंद होना चाहिए और इसका सख्ती

से पालन होना चाहिए। ...(व्यवधान) लेकिन मेरा यह कहना है कि खेलों को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहिए।

सभापति महोदय : योग की शिक्षा भी अनिवार्य होनी चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा कि जिससे बच्चे का व्यक्तित्व बने, वैसी शिक्षा होनी चाहिए। उसमें केवल अक्षरज्ञान नहीं हो और अक्षरज्ञान में भी आप भगवाकरण की बात करते हैं, कहते कहते हम इतना नीचे गिर गए हैं कि हम 'ग' से गणेश बोलते हुए बड़े हो गए, आप भी 'ग' से गणेश बोलते हुए बड़े हो गए लेकिन अब हम कहेंगे कि नहीं नहीं, यह तो भगवाकरण हो गया, 'ग' से गधा लिखो, तो बच्चा तो हमारा गधा ही बनेगा ना, माफ कीजिए। ...(व्यवधान) चाहे हम इस दृष्टि से नहीं सोचें लेकिन अक्षर से भी संस्कार होता है। वह अ क्षर है, वह क्षरण होने वाली चीज नहीं है, इसलिए वह भी एक संस्कार लेकर बच्चों के मन में जाकर बैठती है। खेल को पाठ्यक्रम का अंग बनाने की बात मैं इसलिए करती हूँ कि जैसा आपने कहा, उसमें योग की शिक्षा है। योग कोई धर्म की बात नहीं सिखाता है। मानसिक रूप से भी कहीं न कहीं वह बच्चों को ताकतवर बनाता है। इसलिए खेल को शिक्षा का प्रमुख अंग बनाने की बात मैं कर रही हूँ यदि हम रिफॉर्म की दृष्टि से देखें।

एक और बात है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो पाँच-छः चीज़ें प्रमुखता से होनी ही चाहिए - शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, पीने का पानी, शौचालय, पुस्तकालय, ये चीज़ें ही गायब होती जा रही हैं। आज कहा जाता है कि बच्चे शिक्षा की पाठ्यपुस्तक के अलावा पुस्तकें पढ़ें। मैं यूँ ही नहीं बोल रही हूँ। हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं पाठ्यपुस्तक के अलावा पुस्तकें पढ़ने की बात आती है। मैं एक बात और आपको कहना चाहती हूँ कि एक नयी बात और शुरू हो गई है और प्राइवेट स्कूलों में यह सबसे ज्यादा हो रही है। एक रैफरैन्स बुक करके देते हैं यानी साइंस की एक किताब, साइंस का एक सिलेबस, और मीनाक्षी जी से भी मैं कहूँगी कि वे भी इस बात को देखें, मध्य प्रदेश में भी यह हो रहा है। दो-तीन रैफरैन्स बुक दे देते हैं। ठीक है कि रैफरैन्स बुक होना चाहिए, मगर 10वीं के बच्चों को काहे की रैफरैन्स बुक? अभी तो इतना कमाल हो गया कि मेरे ही घर में मेरा पोता दसवीं कक्षा में है तो मालूम पड़ा। वह बोला कि आज मैं कुछ भी लिखकर नहीं आया। मैंने पूछा कि क्यों नहीं आया तो उसने कहा कि - दादी, वह जो प्रश्न आए, सब रैफरैन्स बुक से प्रश्न आए। रैफरैन्स बुक में से प्रश्न क्यों आएँ? यह भी कहीं न कहीं साँठ-गाँठ है। रैफरैन्स बुक का महत्व बढ़ाने की बात है। इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। मैं पुस्तकालय की बात कर रही थी जिसमें अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़कर बच्चों में सामान्य ज्ञान बढ़ता

है, रुचि बढ़ती है, जिससे बच्चों का चरित्र बनता है। इसके अलावा स्कूलों में प्रयोगशाला तो होनी ही चाहिए।

मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी। आपने राइट टु एजुकेशन में अनिवार्य कक्षोन्नति रखा है। इस पर सोचना बहुत आवश्यक है। वह भी 10वीं कक्षा तक आपको जाना है। इस पर इसलिए भी सोचना चाहिए कि वास्तव में अनिवार्य कक्षोन्नति की जो कल्पना है, वह यह है कि कमज़ोर बच्चों को विशेष प्रयास से सामान्य स्तर पर पहुँचाया जाए। आपने कुछ कंटीन्युअस कंप्रिहैन्सिव इवैल्युएशन की बात की। यह कंटीन्युअस कंप्रिहैन्सिव इवैल्युएशन समझने में मुझे ही तकलीफ है कि कैसे करूँ तो जो शिक्षक बेचारा और दस ड्यूटी करता है, चुनाव आएँगे तो चुनाव की ड्यूटी करेगा, फिर जनगणना में ड्यूटी करेगा। वह बंद होना चाहिए ऐसी हम डिमांड कर रहे हैं। यह कैसे संभव है इस पर हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि यह जो अनिवार्य कक्षोन्नति की बात है और वह मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी तो बात हो रही थी महाविद्यालयीन शिक्षा की, वहाँ के स्तर की। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, वह कहीं न कहीं हमारे बच्चों को कमजोर बना रही है और इसलिए हिन्दुस्तान के बच्चे मेरे यहाँ आकर अच्छी जॉब्स पा रहे हैं क्या यह ला कर हम बराक ओबामा की सहायता करना चाहते हैं कि नहीं-नहीं हम अपने बच्चों को भी कमजोर रखेंगे, चिंता मत करो। इससे भी ज्यादा हमारे दूसरे मंत्री बैठे हैं, शशि थरूर जी। होगा क्या आगे जाकर के? उन्होंने तो अपने एक भाषण में कहा, जिसे मैं पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने कहा, मेरे पास आपका पूरा भाषण तो नहीं है, लेकिन आप बात उच्च शिक्षा की कर रहे थे। लेकिन उच्च शिक्षा का पाया तो यही है, मूल बात तो यही है। यहीं से शुरूआत होगी। यहां हम दसवीं तक बढ़ाते जाएंगे। मालूम नहीं उसको कुछ आया भी है या नहीं। ग-म-भ-ण भी आया या नहीं, लेकिन बढ़ाते गए। आपने अपने भाषण के शुरू में कहा था जो बात बिलकुल ठीक थी, लेकिन शुरूआत कहां से करोगे? आपने कहा था कि बड़ी कम्पनियां जो ग्रेजुएट्स लेती हैं, आज की तारीख में आपने हिन्दुस्तानी कम्पनियों के बारे में उल्लेख किया था, आप फिक्की के कार्यक्रम में गए थे, वह आवश्यतानुसार नहीं रहते हैं इसलिए उनको फिर से छः महीने की ट्रैनिंग कम्पनियों को देनी पड़ती है, इस प्रकार से आपने कहा था। आपने कहा था- Our university system simply is not producing enough well educated graduates to meet the need of Indian companies today. यह आपका ही वाक्य है। यह उच्च शिक्षा के लिए आपने कहा था। आप अपने मंत्रालय में इन बातों की चर्चा करो कि मूल शुरूआत ही अगर हम ऐसी करेंगे तो कैसे होगा। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फिज़ीकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इनफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसको हम प्रदेशों पर छोड़ें, उनको फैसलीटेट करें, आप

उनको मदद दें, आप उनको बजट दे दें। लेकिन मूल बात जो शिक्षा के लिए सोचने की है, वह यह है, जो कि हमने नहीं की है, पूरी आरटीई में मैंने देखा कि Norms to minimum quality of education क्या होना चाहिए? क्वान्टिटी की तरफ ध्यान देंगे कि हर बच्चा आना चाहिए। मगर जब तक क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उस तरीके से शिक्षा प्रणाली को हम नहीं बनाएंगे, तब तक बच्चा कितना भी और कुछ भी पढ़े, जो हमारी कल्पना है देश को गढ़ने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए आने वाले नागरिक बनाने की जो बात हम करते हैं वह बात कभी सार्थक नहीं हो सकती, यह हम थोड़ा ध्यान में रखें।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): महोदय, आपने मुझे शैलेन्द्र कुमार जी द्वारा देश में एक समान शिक्षा के संबंध में उठायी गयी चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं अभी बहुत ध्यान से भाई शैलेन्द्र कुमार जी का, सुमित्रा महाजन जी और बहन नटराजन जी की बात को सुन रहा था।

महोदय, किसी भी देश और समाज के लिए शिक्षा विकास की प्रथम धुरी और प्रथम सौपान होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि "विद्या विहिनः पशु" जो विद्या से विहिन है, शिक्षा से वंचित है, उसका जीवन पशुवत है, पशु के समान है। आज माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं और शिक्षा के संबंध में देश में बहुत सारी योजनाएं और व्यवस्थाएं चलायी जा रही हैं। मंत्री जी उस बारे में काफी कुछ करने की सोच रहे हैं। देश को एक नयी दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब उनके प्रयासों के साथ हैं। लेकिन यह देश दो भागों में बंटा है, एक श्रेणी अमीरों की है और दूसरी श्रेणी गरीबों की है। शिक्षा प्रणाली भी दो धुरी में बंटी है। एक है हिन्दी माध्यम से शिक्षा और दूसरी है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा। गांव में गरीब परिवार रहते हैं, सामान्य परिवार रहते हैं और उच्च स्तर के भी परिवार रहते हैं। परिवार की व्यवस्था तीन श्रेणियों में बंटी है। एक उच्च परिवार के लोग हैं, जिनके बच्चे मॉडल स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। मध्यम स्तर के जो परिवार हैं, उनके बच्चे सामान्य ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं। तीसरे तबके के लोग, जिनकी संख्या इस देश में बहुत ज्यादा है, वे गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। उनके परिवार के बच्चे किसी तरह से अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

महोदय, शिक्षा की भी दो विधाएं हैं। एक को हम कहते हैं साक्षर होना और दूसरा है शिक्षित होना। साक्षर होने के लिए तो आज गांव में "स्कूल चलो " अभियान है। रैलियां निकाली जा रही हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं और उन्हें अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था दी जा रही है। लेकिन, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि उन गांवों में शिक्षा की व्यवस्था दयनीय है। संयोग से, मैं गांव से आता हूं और पेशे से अध्यापक भी रहा हूं। महोदय, मुझे शिक्षा के बारे में पूरी-पूरी जानकारी है। आज हम जहां हैं, जिस देश में हैं, हमारी मातृभाषा हिन्दी है। लेकिन गांव का वह गरीब व्यक्ति जिसके पास दो वक्त का भोजन, दो जून की रोटी का जुगाड़ नहीं है, वह भी चाहता है कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा प्राप्त कराएं। उसको स्कूल में भेजने के लिए वह कर्ज़ लेता है, अनेक तरह की व्यवस्थाएं करता है ताकि उसके बच्चे शिक्षित हों और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि उन व्यवस्थाओं में उसका सपना दिवास्वप्न के रूप में रह जाता है, उसके सपने धरे के धरे रह जाते हैं। वह उन्हें शिक्षा नहीं दिला पाता।

महोदय, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उन्हें जिस तरह के पाठ्यक्रम दिए जाते हैं, उससे वह उन किताबों के बोझ से दबे रहते हैं। पाठ्यक्रमों के बारे में सारी चर्चाएं हुई। सुमित्रा महाजन जी ने बहुत विस्तार से बातें बतायीं। मैं उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन, इस तरफ जरूर जाना चाहूंगा कि हमारी सोच कहां है? हमें किस तरह से देश को साक्षरता की तरफ ले जाना है। जब कोई बालक शिक्षित होता है तो हम एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब एक बालिका शिक्षित होती है तो हम दो परिवारों को शिक्षित करते हैं। गांवों में आज भी बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत कम है। उनकी बच्चियां किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पातीं। एक तो शिक्षा की व्यवस्था में विभेदीकरण है - अच्छी शिक्षा, मध्यम स्तर की शिक्षा, और निम्न स्तर की शिक्षा। एक तरफ तो चमचमाती बिल्डिंगें हैं, सारी सुविधाएं हैं और मॉडल स्कूल हैं, वहां डोनेशन लिए जाते हैं। उन बच्चों से जितनी भी फी की जरूरत होती है, उनके अभिभावकों के पास उससे ज्यादा देने के लिए है। दूसरी तरफ, ऐसे परिवारों के लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, मगर उसकी व्यवस्था नहीं है। गांवों में व्यवस्था तो है। वहां कहने के लिए स्कूल हैं, लेकिन वहां अध्यापक नहीं है। उनके पास पढ़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। वहां शौचालय नहीं हैं, लाइब्रेरी नहीं है। वे सुविधाओं से वंचित हैं। हम कैसी शिक्षा देना चाहते हैं? हम कैसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं, किस तरह से देश को उठाना चाहते हैं जब तक यह भेदभाव बना रहेगा? एक तरफ शिक्षा में सुधार हो ओर दूसरी तरफ इसमें एकरुपता हो। ये दोनों बातें जरूरी हैं। शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, और उनके क्रिया-कलापों में भी सुधार की आवश्यकता है। दूसरी तरफ, जब हम गांवों की तरफ जाते हैं तो हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे परिवार भी हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करने के लिए बैंकों से ऋण लेना चाहते हैं। जब वे बैंक में शिक्षा ऋण लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अंत तक उन्हें ऋण नहीं मिलता। उनके मेधावी बच्चे भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

महोदय, आज इस देश में स्पर्द्धा का युग है। हम कम्प्यूटर की बात करते हैं। आज घर-घर में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी कम्प्यूटर की जानकारी है और चाहते भी हैं। जहां उनके ज्ञान की बात है, हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो जोड़-भाग, गुणा-भाग, दशमलव की पढ़ाई करते थे। आज सारी चीजें कम्प्यूटर में सिमट गई हैं। आज सारी चीजें उन व्यवस्थाओं से हट कर हो गई हैं, जो हमें कभी-कभी मौखिक परिक्षा, इंटरव्यू, कभी प्रतियोगिता के माध्यम से ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप संक्षिप्त करें।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, मैं एक तरफ शिक्षा में सुधार की बात करता हूं और दूसरी तरफ उन बच्चों के उत्पीड़न की बात करता हूं, इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। कभी टीवी पर सर्वशिक्षा अभियान के प्रचार में दिखाया जाता है कि कोई बच्चा प्लास्टिक की चीजें उठा रहा है। किसी स्कूल में टीचर्स नाम पुकार रहे हैं तो उसका ध्यान उधर जाता है। बच्चों में पढ़ने की इच्छा है, लेकिन उनकी मजबूरी है, वे स्कूल नहीं जा पाते। कहीं उनके शोषण की बात आती है, कभी पेपर में निकलता है कि किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ और वह किसी छत से कूद पड़ी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे देश की मातृभाषा हिन्दी है। लोगों में एक बड़ी ही हीन भावना आती है, हम लोग गांव में हिन्दी मीडियम से पढ़े हैं, हमें भी कभी-कभी एहसास होता है। जब हम साऊथ में जाते हैं, किसी ट्रेन में या फ्लाइट में कहीं यात्रा करते हैं, हिन्दी का न्यूज़ पेपर चाहते हैं तो वह हमें नहीं मिलता है, अंग्रेजी का ही मिलता है। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो पीसीएस की परीक्षा अंग्रेजी में होती थीं। हम चाहते हुए भी वहां नहीं जा पाए। ये चीजें हैं, शिक्षा में सुधार के लिए हमारे प्रदेश में कभी बसपा गवर्नमेंट थी, उसने कई तरह की योजनाएं...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : ज्योतिबा फूले योजना, महामाया योजना और सारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें व्यवस्था दी जाती थी। आज भी योजनाएं चल रही हैं। जहां हमारे शिक्षा में सुधार की बात है, अनिवार्य शिक्षा की बात है, वहां दो-तीन बिन्दुओं पर मैं जरूर आपका और मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि देश में एक तरह की शिक्षा प्रणाली हो। अंग्रेजी और हिन्दी की जो दूरियां हैं, जिन लोगों को अपने को उच्च और निम्न व्यवस्था की बात सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उसकी दूरी को कम करना चाहिए। अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है, वे भी समाप्त होनी चाहिए। हमारी मातृभाषा हिन्दी है, ये प्रथम रूप से शिक्षा का माध्यम बने। यदि कोई चाहता है तो अन्य भाषाओं में भी शिक्षा प्राप्त करे।

सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जो नॉन एडेड स्कूल गांवों में चलते हैं, वहां पढ़ाई होती है। वहां बच्चों की उपस्थिति होती है, अनुशासन एवं व्यवस्था होती है, लेकिन वहां अध्यापकों को उचित वेतन नहीं मिल पाता, उन्हें भी उचित वेतन मिलना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि जहां नैतिक शिक्षा है, व्यायाम की शिक्षा दी जाती है, वहां हमें योग की शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

सभापति महोदयः जगदीश शर्मा जी, आप सारगर्भित बोलिए।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): सभापति महोदय, जब आप आसन पर विराजमान हैं तो जो कुछ नहीं रहेगा, वह भी आ जाएगा।

सभापति महोदय: जगदीश शर्मा जी, धन्यवाद।

श्री जगदीश शर्मा : आपकी साधना में यह गुण है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यहां बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है - समान शिक्षा। इस देश के महान नेता डॉ. राममनोहर लौहिया पैदा हुए। उन्होंने कहा, उनका नारा था कि - "राजा हो या भंगी की संतान, सब को शिक्षा एक समान।" आज ये नारा केवल नारा बन कर रह गया है। आज जिनकी जो हैसियत है, पढ़ाई उनकी हैसियत से हो रही है। दो तरह के स्कूल हैं - एक सरकारी स्कूल और दूसरे अंग्रेजी मीडियम के कंवेंट स्कूल। मैं गांव से आता हूं और मेरी शिक्षा भी गांव में हुई। मैं सात किलोमीटर पैदल चल कर हाई स्कूल में गया हूं। उस समय जो टीचर्स थे, बिहार में पटना विश्वविद्यालय है। वह अपने समय का नामी विश्वविद्यालय था और मैं वहां के साइंस कालेज का विद्यार्थी रहा हूं, वहां गांव से पढ़ा हुआ लड़का सात किलोमीटर पैदल चलकर कालेज जाता है। मैं बिहार से आता हूं और आज भी पूरे देश में आई.ए.एस. और आई.पी.एस. काफी संख्या में बिहारी लोग हैं और इसमें योगदान सरकारी स्कूलों का रहा है। डॉ. श्रीकृष्ण बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए। उन्होंने नेतरहाट विद्यालय खोला, उस नेतरहाट का नाम आज भी पूरे देश और दुनिया में है। आज क्या हो गया, सरकारी स्कूल में लाचारी में लोग वहां पढ़ाई करवा रहे हैं, बिल्कुल लाचारी में, 30 वर्षों में ऐसी स्थिति क्यों आ गई है? आज लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है तो अब लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा बिजनेस प्राइवेट स्कूल खोल देना है। अब कहावत चल गई है कि बढ़िया शर्ट-पैंट पहना दो, 1500-2000 पर टीचर रख लो, पुटपुटिया अंग्रेजी बोल दो, बस में चढ़ा दो तो लोग समझते हैं कि बढ़िया स्कूल में हमारे बच्चे चले गये। प्राइवेट स्कूल में शिक्षक आज वैसे ही हैं।

हम केन्द्र सरकार से कहना चाहते हैं कि शिक्षा देना आपकी प्राइम ड्यूटी है। आप जो बार-बार अपने सरकारी जवाब में कहते हैं कि शिक्षा राज्य का विषय है, राज्य का विषय है, इसे राज्य सरकार को करना है तो हमारे देश का संघीय ढांचा है और पूरे देश में दो तरह के राज्य बसते हैं। एक तरफ विकसित राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जो इस देश की आर्थिक राजधानी कहे जाते हैं और दूसरी ओर बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है, उत्तराखण्ड है, झारखण्ड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये गरीब राज्य हैं। इनके लिए आपने क्या फार्मूला बनाया है कि महाराष्ट्र को उतना ही देंगे, गुजरात को उतना ही देंगे और जो गरीब पिछड़े राज्य हैं, उनको भी उतना ही अनुदान हम देंगे तो कैसे राज्यों के भरोसे शिक्षा चलेगी?

हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहते हैं कि आप आम आदमी की बात करते हैं, चाहे बजट भाषण हो, उसमें भी सरकार का हाथ-आम आदमी के साथ कहते हैं, लेकिन आम आदमी कहां बसता है? आम आदमी, जो किसान है, मजदूर है, जिस वोट बैंक के लिए आप कहते हैं, वोट के लिए खाते में पैसा जायेगा, उसके लिए आपने अब तक क्या किया है? उसके लिए आपकी कोई योजना नहीं है। हम यह मांग करना चाहते हैं कि अगर आपमें ईमानदारी है और आम आदमी के हित की चिन्ता है, आप किसान की बात करना चाहते हैं, आप मजदूर के बच्चों की बात करना चाहते हैं तो विकास की कुंजी क्या है, विकास की कुंजी और माध्यम शिक्षा है तो जो गांव में स्कूल हैं, वहां केन्द्र सरकार से आप केवल सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं। वहां आप पूरा पैसा टीचरों को तनख्वाह का दीजिए और निर्देश दीजिए, आप पैसा दीजिए और राज्य सरकारों को निर्देश दीजिए कि आप कम्पीटीशन करके टीचरों को बहाल कीजिए, अच्छी बहाली करिये और उनको गांवों में अच्छी तनख्वाह पर करिये।

जो मध्यान्ह भोजन है, उसमें आजकल क्या हो रहा है। आपने टीचरों को मध्यान्ह भोजन में लगा दिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि मध्यान्ह भोजन मिलना चाहिए, उनको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, लेकिन आज के टीचर बेचारे क्या कर रहे हैं। 10 बजते-बजते स्कूल में इन्तजाम हो रहा है, लकड़ी लाओ, गोड्डा लाओ, गैस तो आपने बन्द ही कर दी है। स्कूल की जो किचन थी, मोइली साहब बैठे हैं, सुन लें, पहले वहां गैस, आपकी एल.पी.जी. मिलती थी, लेकिन उसको आपने बन्द कर दिया। उनकी गैस आपने बन्द कर दी। अब सवेरे-सवेरे क्या हाल हो रहा है? आजकल जाड़े के दिन हैं। लकड़ी गीली हो जाती है। उसको गर्म करने में इंतजार करना पड़ता है, जब धूप आएगी, तब होगा, सब लड़के बेचारे इसी इंतजार में खड़े हैं। हम एक निवेदन करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : शिक्षा पर बोलिए।

श्री जगदीश शर्मा : आज स्कूलों में आप बढ़िया खाना देना चाहते हैं तो यहां के कल्चर के अनुसार पौष्टिक भोजन का मीनू बनाइए। उसको आप अलग से टेंडर सिस्टम से करके सप्लाई करने वाले को दीजिए। मास्टर को उससे बिल्कुल अलग रखिए। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, ...(व्यवधान) एनजीओ को दें, जैसे भी करें। हम गांव से आते हैं।

सभापति महोदय : आप समाप्त करें, काफी समय हो गया।

श्री जगदीश शर्मा: महोदय, आप हमारी बात सुनिए। हम आपका प्रवचन बचपन से सुन रहे हैं।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री जगदीश शर्मा : आपकी किताब भी मेरे पास है।

महोदय, हम आपसे इसके लिए निवेदन करना चाहते हैं। दूसरा, आप सर्व शिक्षा अभियान में बिल्डिंग का पैसा देते हैं। क्या आपने इसका एस्टीमेट देखा है? आपके राज में ईंट के दाम कितने बढ़ गए हैं, छड़ और सीमेंट के दाम कितने बढ़ गए हैं? आपने एक मॉडल बना दिया है। माननीय सुमित्रा महाजन ठीक कह रही थीं। तीन लाख रूपए में एक बिल्डिंग किस एस्टीमेट से बनेगी? राज्यों की अलग-अलग स्थिति है। आप अगर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो जिलों को एकमुश्त पैसा दीजिए और बिल्डिंग का जो काम है, उसका भी पैकेज बनाकर टेंडर सिस्टम से करिए। टीचर्स को उससे भी अलग करिए। गांव में लड़ाई हो रही है।

जहां तक बालिका शिक्षा की बात है, केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है। आपने जो अच्छा काम किया है, हम उसके बारे में भी कहते हैं। आप जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या हर ब्लॉक में कम से कम एक करिए। आपका नवोदय विद्यालय का इंतजाम बढ़िया है। इसे हर ब्लॉक में एक खोलिए। महिलाओं की शिक्षा के लिए हर ब्लॉक में दो-तीन पंचायतों पर केवल बालिका हाई स्कूल हो, यह आपका क्रांतिकारी काम होगा। आजकल पॉलिटेक्निक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन और दूसरी शिक्षा भी दी जा रही है। एक बात की तरफ हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। आप मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करते हैं। आपने दो एकड़ जमीन की सीमा रखी है। आप उस सीमा को घटाइए। जितने स्थान में स्कूल के लिए बिल्डिंग बन सकती है, उसमें बनाइए, चूंकि खेलने का मैदान करीब-करीब हर गांव में अलग से है। आपने जो हाई स्कूल के लिए दो एकड़ का क्राइटेरिया रहता है, उसे शिथिल कीजिए। उसको आप दस कट्ठा या पन्द्रह कट्ठा करिए। चूंकि आपने योग की बात कही, तो खेल और योग का बहुत गहरा संबंध है।

आज सभी गांवों में खेल के मैदान हैं, लेकिन उसकी घेरेबंदी नहीं होने के कारण लगातार उसका अतिक्रमण हो रहा है। राज्यों के पास उतने साधन नहीं हैं। हम बिहार से आते हैं। वह गरीब राज्य है। बिहार सरकार अपने बूते बढ़िया-बढ़िया काम कर रही है, साईकिल योजना सहित दूसरी योजनाएं लायी है। खेल के मैदान की घेरेबंदी के लिए उसे पैसा दीजिए। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I welcome this discussion on education and uniform pattern of education brought forward by Shri Shailendra Kumar and Shrimati Sumitra Mahajan. I welcome the young team in the HRD Ministry led by Shri Pallam Raju who is an engineer and trained MBA from the U.S. I would urge them firstly that let them give up the legalistic approach of his predecessor Shri Kapil Sibal. Shri Kapil Sibal is a brilliant lawyer. He thought that he could change education by bringing in laws. Most of the laws which were brought by him in Parliament have not been passed in the last three and a half years. That is not the way to change education. Shri Kapil Sibal thought that education could be controlled from the Centre. As Shrimati Sumitra Mahajan has correctly pointed out that education has essentially to be administered by the State. The Centre can help in advising them. Shri Kapil Sibal said that they would abolish exams up to Class 10. Ultimately, they were able to abolish exams only for CBSE. The class 10 exams remained everywhere. I would request the new HRD Minister to adopt a policy of consensus with the States. He should, through the Central Advisory Board on Education, bring about a consensus and then bring about a change. He need not be in a hurry to suddenly change education in the country.

Briefly, I would say that in the first three and a half decades of Independence, we followed a wrong policy on education. We built up an inverted pyramid. Pandit Jawaharlal Nehru was responsible for building the IITs, the national laboratories. But the primary education remained neglected in that period. It was Shri Rajiv Gandhi who for the first time thought anew about education and brought about a new National Education Policy, started the National Literacy Mission for removing illiteracy and also started the pace-setting Navodaya Vidyalayas in each district. I think, his initiative was a welcome. In the 90s, two important initiatives were taken to bring back dropouts into the primary school. One was by the Narasimha Rao’s Government in introducing Mid-Day Meal and

the second was by the NDA Government in introducing Sarva Shiksha Abhiyan. There is no doubt that the money from Sarva Shiksha Abhiyan has at least contributed to building one class room and one toilet in all the primary schools of the country.

Now it is time to give the educational structure a pyramidal structure with a broad base. It must benefit every boy and girl of this country. We have given them the Right to Education. But it must taper also to an apex. Higher education is not for everyone. Higher education should be limited. I have taught education in an undergraduate college for 35 years. I was a teacher of science. At the end of it, I feel it was an exercise in futility. Whatever skill I could impart to my students, that could get jobs to them after passing out. Only a few students went into post-graduation and maybe into teaching. The others whom I thought are medical representatives, clerks in Government offices and so on. All their education was lost.

The education must keep in touch with job needs. We must make people fit for jobs or it must be related to their lives. I have seen that just for the sake of prestige, we have established colleges in remote villages. There are paddy fields all round and we are teaching them Shakespeare. It has no meaning to them. Maybe, you need an agricultural college there. But colleges are mushrooming. There are 33,000 colleges in the country. The education that we give does not make them fit for jobs. It is time to urgently look into total vocationalisation of education starting from Class 8. In no advanced country of the world, normal students go for studies after Class 10th. In our country, people go to colleges because there are no jobs. So, they spend their time in the colleges. If they have proper jobs, they would not go to colleges. This is not the way.

Lastly, I want to say that education is for knowledge and is for developing skills. Kumari Meenakshi Natrajan correctly said that English is a skill that we ought to acquire. We have talked much about teaching in mother-tongue. I do not object to it. I will be happy to learn. But having studied in an English medium

school, I feel that I am at an unfair advantage vis-à-vis the others. Why deprive the poor students of this advantage of learning and knowing English well? In Kolkata today, most of the *sarkari* primary schools have no students because even a *rikshawalah* prefers to send his child to a school which teaches English. This is the demand of the market. So, how can you really dispense with English?

We must free education from our old concepts. Dr. Lohia was very good in his time like Jawaharlal Nehru was. But in today's time and age, in a globalised world where computers are ruling the roost, our children must be exposed to an international language.

Minister Pallam Raju was saying the other day that none of our universities feature in the top 200 universities in the world. We have 611 universities and 18 IITs. None of them is world class. The Prime Minister talked of creating world class universities. Indians have been proved to be the best teachers abroad. Why has the Prime Minister not been able to bring his friends Nobel Laureate Amartya Sen and Jagdish Bhagwati back to India?

I would like to remind the House of our pre-Independence days when Sir Ashutosh Mukherjee as Vice-Chancellor of Calcutta University brought to Calcutta University Sir C.V. Raman who became a Nobel Laureate, top scientists Dr. M.N. Saha, and Prof. S.N. Bose after whom Boson was named. Why are our universities not getting the best talent from all over the world? We must stop the inbreeding in education. Our universities must try and make themselves world class.

In higher education, nothing matters except excellence. All academic appointments must be made on merit only. There is no scope for politicisation in education. There is no scope for either saffronisation or redification of education. Education must be value neutral. But value education is important.

I think that a lot more discussion on education is necessary. As Brecht who said, "Hungry man, reach for the book, it is your weapon.", and as Paulo Freire who taught the poor people in the jungles of Latin America, we must develop the

pedagogy of the oppressed. We must give the oppressed people of this country a new weapon in the shape of education.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Chairman, Sir, a uniform educational pattern does not mean centralization of education. India is a country with diverse cultures, diverse social backgrounds and diverse social structures. So, what we can do is make some common guidelines which can be equal to all, but not as strictures to all States. That is because education is a subject in the Concurrent List meant both for the State and the Centre.

As regards a common uniform system of education, the first education policy of the country was framed in the year 1968 following the recommendation of Kothari Commission of 1964-1966. The Kothari Commission talked of a common school system and a neighbourhood school system.

In 1986, that is when the National Education Policy came, a uniform structure of school education and curriculum was thought of. As a result of that, we know that the 10+2 structure has been adopted by all the States. In the case of curriculum, the National Curriculum Framework of 1985 was framed and later on it was modified in 2005 which sought to identify certain essential levels of learning for all students, particularly basic knowledge of literature and science, and common social and human values. That does not mean that it is only a religious and spiritual learning but it is common human social values.

As Swami Vivekananda said in his time, education is the manifestation of the perfection in the man. That should be common to every State. That perfection should be created.

As regards the question of uniformity, it was stated in the 1986 policy that uniformity means universal access, universal enrolment, universal retention and universal achievement of quality education. So, DPEP programme came; SSA programme came; now, RMSA came. But the question is what should be the target. The target should be to achieve not only quality, but also quantity and equality. What is the picture now?

I will quote from the report of the HRD Ministry. In 2003, we had a dropout rate in primary school of 34.9 per cent; in upper primary, it was 52.8 per

cent; in 2009-10, it was 62.6 per cent in secondary level. Two years back, NUEPA, National University of Educational Planning and Administration, brought out a figure stating that till today, in spite of so many programmes, we have a dropout rate in the primary level to the extent of more than 20 per cent and in upper primary, including elementary education, it is almost more than 45 per cent. This is the picture today.

In 2005, UNESCO brought out a report which talks about the present position of today. It says that India lacks infrastructure, there is teacher-absenteeism, high teacher-pupil ratio, and inadequate teaching materials and facilities, etc. Based on this, when we talk about universal retention and universal enrolment, the first thing is about funding. The Kothari Commission told that six per cent of the GDP and 10 per cent of the Budget should be spent on education. Kothari Commission said this in 1966. We are now in 2012. How much are we spending on this? We are not able to reach that criterion. We need to think about this, and also about the textbook evaluation, etc.

Another important thing is this. We are ourselves making education as two parallel systems – one is education for the rich and another is education for the poor. In RTE, there is no scope for pre-primary education. What we ourselves are doing? Our children are going to pre-primary education. In the case of poor and backward class children, there is no scope for pre-primary education. We are telling that they should be sent to EECC, Early Education and Child Care, which is in ICDS. What is done in ICDS? वहां से नारा दे रही है। क्या एजुकेशन मिलेगी, लड़कों का क्या होग, कैसे वह हमारे लड़के के साथ कम्पीट करेगा? This is the problem. My humble submission is this. We are talking about the poor. But I think, there should be an assessment of all the MPs, MLAs and MLCs of all the States, to find out how many of them are sending their children to the common neighbouring schools, and how many of them are sending their children to the private English medium schools. That should be surveyed. Without doing so, we cannot do anything. We have the basic structure of the country.

The Kothari Commission had pointed out this – if there is a parallel system, what will happen is, we will send our children to the elite schools and they will send their children to the poor school and there will be dropouts. That is why, we do not want privatization and commercialization of education. The Government had proposed that 6000 model schools will be built up – 3500 between the States and the Centre and 2500 under PPP mode. What will the private entrepreneurs do? They will make business out of that. So, we will encourage business in education, as if we are making education as a commodity. That cannot be done.

Rabindranath Tagore told *Jibone Jibonjog* - education means man-to-man relationship. That relationship can come only when we build our common school and neighbouring school system. Otherwise, we cannot do so.

Our country is facing the scourge of illiteracy. We are signatory to 1990 Thailand Declaration and we are signatory to 2000 Senegal-Dhaka Declaration. We have committed there that we shall remove the scourge of illiteracy by 2015. But how shall we do? Till today, what is the level of illiteracy rate?

MR. CHAIRMAN : Okay, please conclude your speech now.

SK. SAIDUL HAQUE : If we want to remove the scourge of illiteracy, what is needed is we need to encourage the admission of these children to the schools. That will be the place where the students will grow and then the scourge of illiteracy will be removed. So, we need to think in that line, to spend more funds on further education, think of having neighbouring schools; and that should be initiated by us; in our attitude and in our behaviour, we should do that; otherwise, we will talk about the poor and keep ourselves at a distance from the poor in separate schools.

That is why I say that uniformity means universal enrolment and universal achievement of quality education. Otherwise, we have no right to talk about the uniform education system.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I would like to thank my colleague, Shri Shailendra Kumar and our senior colleague Sumitra Mahajan ji for bringing about a discussion on a very important issue of the 'Need for Uniform Education in the country'.

As you might be aware, there is a proverb in Latin. Unfortunately, since I cannot speak Latin, I will only read the translation in English. The proverb says, "We have not inherited the earth from our ancestors. We are borrowing it from our children".

We are in a country where we only dwell on the past. We only speak about what achievements were made by Shah Jahan or what Babar or Chandragupta Maurya did forgetting that even while we stand here and speak on the floor of this green carpeted room, this is actually a creation of history. History is created now. It is not something that we have inherited from the past.

In my opinion, although it may sound a little odd, we are not a federal country. We are a Union of States. We may have one major religion and many minor religions however, we are as different from each other as crows and sparrows. We have heard many speakers talk about Sarva Shiksha Abhiyan; talk about Government funding and talk about what the Government should do. But in the opinion of many people that I have come across in this country even in my State of Odisha, it is not alone the Government which can transform a society. It is the society itself which should be willing to be transformed which can bring about the change.

We have many inherent problems. For instance, a huge unwieldy population which puts every project, everything that you do, as a drop of water in the ocean and it gets lost. Added to that, we have the problem of so many languages and so many dialects. So, when I sit in this House and hear many colleagues talk about English and Hindi being brought on the same footing, obviously I think about the Ministers here. What about Telugu, Malayalam, Oriya, Tamil, Bengali, Gujarati and Kannada? Are they in any way inferior

languages? Long before the Aryans came into this sub-continent, long before Sanskrit came in, we – the dark skinned people like me – are the original inhabitants. We are tribals. We lived here. Our language, Telugu, Odiya are the languages without a line on top. These are derivatives of Pali, a language which was spoken and used on this sub-continent long before Sanskrit came and long before the progenies of Sanskrit manifested. So, this reminds me of what once a great national Leader, Shri C.N. Annadurai had said. He had said that just because a lot of people speak one language, if you put it down on everybody in a ham-handed manner that this will be the national language, then what about a lot of crows? Let us make the crow a national bird. So, he had equated common sense with not just numbers but with knowledge.

In this country today, I am saddened to say that our education system has become a system where we only impart general information. We are forgetting that information and knowledge are completely different things. It is true that this is an over-populated subcontinent but many of us are also very confused. We always claim that we are going to be one of the youngest countries in the world. But you will be surprised to know and people who have travelled to neighbouring countries like Thailand, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka know it that all these countries also have – although they have much smaller population – a huge youth population. You see them on their streets, in their cities and in their rural areas. It is all young boys and girls who are on the streets. They do not rape their women. They do not become hoodlums. They do not go into hospitals and shot patients. They are conscious of their national identities.

But today we have very successfully after Independence managed to create a country which has lost its national identity. It is absurd to speak that we are descendants of a great culture. What is the culture? We have to think of our children now and decide what we want to offer them. In India today we have, for instance, two major systems. One is CBSE and another is ICSE. The CBSE has more of a subjective thing. You have to appear for examination. You will

become an IAS or IPS officer. You are taught how to ride horses or fire to weapon, how to become a babu without ever being taught how to be perceptive; how to be humane as a human being; and how to be taking decisions. You must be encountering many such people in your career. We also do that. They are people who are not taught how to take decisions in their lives.

The country today detests politicians. But I am proud to say that all these people sitting here – everybody from that side to this side – are people who are willing to wager their careers and to wager their lives for what they believe in. It is not only a belief in say 2G or CWG or यहां जी- वहां जी। It is also a belief in the love for the country. We do not know what tomorrow holds for us but we take our own decisions. We risk our lives and we are facing the people. That uniqueness of a politician is not appreciated in this country because at large we are not teaching our children how to be independent, how to be thinkers and how to fight not only for their rights but to understand their responsibilities towards the nation and towards the society.

We have failed in teaching our children logical thinking. An earlier speaker had mentioned that our children are being crammed with information as to when did Porus fight Alexander; what happened to Shah Jahan; who created the Qutub Minar and details like that.

18.00 hrs.

But when children ask us as to what relevance will it have in their lives, we are at a loss to answer them. It is because we are not teaching our children to think logically and take decisions and be capable to face the consequences of those decisions. That is what is most important for a nation like ours which hopes to be one amongst the international players… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You may kindly take your seat now. Your time is over.

Hon. Members, it is six o'clock now. If the House agrees, then we can continue this discussion on some other day and now we can take up `Zero Hour' matters.

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, yes.

MR. CHAIRMAN: Shri K. Sugumar.

SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Mr. Chairman, Sir, my Parliamentary constituency Pollachi in Tamil Nadu consists of agriculturists, businessmen and general public. Nearly thousands of people from Pollachi, Udumalaipettai, Kinathukadavu, Dharapuram and Valparai are required to visit Chennai daily for personal and business purposes. They have to take their train only from Coimbatore to reach Chennai. Now, only two trains are operating between Coimbatore and Chennai. The people are facing huge difficulty in getting their reservation. They are compelled to travel by Omni buses for which they have to pay huge fares. More than 150 Omni buses are being operated on daily basis.

18.02 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair)*

Sir, the gauge conversion work between Palani and Pollachi is expected to be completed on or before 31.03.2013. I, on behalf of my constituents would like to request the hon. Minister of Railways to operate at least two trains directly from Pollachi to Chennai *via* Dindigul after the completion of the gauge conversion.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस वर्ष की खरीफ फसल के दौरान सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के तहत सवा छह प्रतिशत की दर से प्रीमियम लिया गया है, जो किसानों के साथ अन्याय है, एवं उन पर एक तरह से आर्थिक बोझ पड़ा है। मेरा संसदीय क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहां हर साल नदियों में उफान आता है और करोड़ों रुपये की किसानों की फसल बाढ़ में बह जाती है तथा अनेकों जानें चली जाती हैं। अगर यह प्रीमियम दर ज्यादा ली जाएगी तो निस्संदेह मेरे क्षेत्र के गरीब किसान बढ़ी हुई प्रीमियम दर का भुगतान नहीं कर पायेंगे। अतः उन्हें कृषि फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा। पूर्व में यह प्रीमियम दर ढाई प्रतिशत की दर से ली जाती थी। इसे ढाई से सवा-छह प्रतिशत किया जाना कतई उचित नहीं है, तथा किसानों का शोषण है। इस प्रीमियम दर की बढ़ी हुई राशि को किसानों के हित वापस लिया जाए। सदन के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि कृषि फसल बीमा योजना में जो प्रीमियम दर को बढ़ाया गया है उसे वापस लिया जाए जिससे किसानों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को रोका जा सके। अगर ऐसा होता है तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगी क्योंकि इससे किसानों को राहत मिलेगी।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान नये राशन कार्ड जारी करने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार के नये दिशा-निर्देशों के अनुसार नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के रूप में बिजली-पानी का बिल लगाया जाना आवश्यक कर दिया गया है। यदि एक परिवार के चार विवाहित सदस्य एक ही घर में रहते हों तथा उनका चूल्हा अलग हो लेकिन बिजली-पानी का बिल एक ही हो, तो एक ही मकान में रह रहे अलग-अलग परिवारों को नया राशन कार्ड बनवाने में कठिनाई आयेगी। इस प्रकार गैस के कनैक्शन के लिए भी दिक्कत हो रही है, तथा पहले से ही मौजूद कनैक्शन को सरकार की नीति के अनुसार काटा जा रहा है इस कारण देश के निवासियों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह राशनकार्ड तथा गैस कनेक्शन हेतु जारी दिशा-निर्देशों में शिथलीकरण करे अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था करे।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, मैं अपने आपको श्री सतपाल महाराज द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का पावर फाइनेंस कारपोरेशन (विद्युत वित्त निगम) व अन्य वित्तीय एजेंसियों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्यों की बिजली से संबंधित जो उत्पादन और वितरण करने वाली बिजली कम्पनियां हैं, उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का काम विद्युत वित्त निगम और अन्य एजेंसियां करती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इनकी गति धीमी रहने के कारण राज्यों की विद्युत कम्पनियां वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। हाल ही में बीकानेर में राज्य के विद्युत मंत्री ने ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई कि अभी तक भारत सरकार की वित्तीय एजेंसियों से अपेक्षित ऋण उपलब्ध नहीं हुआ है, जबकि कुछ माह पूर्व भारत सरकार के तत्कालीन विद्युत मंत्री जयपुर में एक समारोह में सम्मिलित हुए और घोषणा की कि हमने राजस्थान की बिजली कम्पनियों को पांच हजार करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। मैं भी उस प्रोग्राम में था। मेरा कहना है कि राजस्थान में उपभोक्ताओं को बिजली के डिमांड नोटिस जमा कराए बहुत समय हो गया है। बिजली कम्पनियों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सामान्य वर्ग के लोगों को भी कुओं के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं और राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को भी कुओं पर कनेक्शन लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है और एक ही रटारटाया जवाब आता है कि कम्पनियों की वित्तीय हालत खराब है।

महोदय, एक तरफ हम सिंचाई के साधन विकसित नहीं कर पा रहे हैं और सिंचाई के साधन विकसित नहीं होने के कारण देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ कम हो रही है और दूसरी तरफ कुओं में जो पानी है, उसके लिए बिजली कम्पनियां कनेक्शन नहीं देंगी, तो सिंचाई के साधन कैसे विकसित होंगे? यह एक मूल प्रश्न है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के विद्युत मंत्री से मांग करता हूं कि राजस्थान की बिजली उत्पादन और वितरण कम्पनियों को भारत सरकार के विद्युत वित्त निगम व अन्य वित्तीय एजेंसियों से अति शीघ्र ऋण उपलब्ध करवाएं, जिससे बिजली से संबंधित उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। जिनके डिमांड नोटिस जमा हैं, उन्हें बिजली के कनेक्शन मिल सकें, कुओं के कनेक्शन मिल सकें, जिससे कि सिंचाई के साथ विकसित हो सकें।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): महोदय, मैं राष्ट्र की नदियों की चर्चा करना चाहता हूं। नदियां हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा रही हैं और हमारी संस्कृति तथा सभ्यता इन्हीं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। आज लोगों का नदियों के प्रति जो दुर्व्यवहार है और विशेषकर उद्योगपतियों का, इसे राजस्व का साधन लोगों ने बना डाला है। जब नदी की मैं चर्चा करता हूं, जो नदी का प्राकृतिक स्वरूप है, जो नदी में पानी है, नदी में बालू, कंकड़, पत्थर उसके पेट में भरे हों और उसके दोनों किनारे स्थिर हों। ये नदियां जंगल और पहाड़ों से वर्षा का पानी ले कर समुद्र तक की यात्रा करती हैं। विशेषकर गंगा और यमुना तथा बाकी इनकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा और भी प्रदेशों की अन्य नदियां हैं। इन नदियों के पेट में भरा हुआ बालू और कंकड़ आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी सामग्री बन गई है। इस निर्माण उद्योग के लिए जिस तरह से नदियों के बालू, पत्थर, कंकड़ का दोहन हो रहा है, उससे नदियों के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लग गया है। ये नदियां हमारी जीवन रेखा है और हम यदि इन नदियों को नष्ट कर डालेंगे, तो राष्ट्र की आबादी को बचाना मुश्किल होगा।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इन्हीं नदियों का पानी हमारे लिए पेय जल के रूप में भी प्रयोग होता है, जब जमीन के नीचे पानी बालू, पत्थर आदि से छन कर जाता है। आज बिना विचार किए नदी के पेट से बालू और पत्थर की कितनी सतह रहनी चाहिए, जिससे कि पानी जमीन में जा कर इंसान के पीने के लायक बन सके, इन नदियों से सामग्री निकाली जा रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि नदियों की यह सारी सामग्री निकाल ली जाए तो नदियों में सिवाए कीचड़ के कुछ नहीं बचेगा और नदी का मतलब ही यह होता है कि जिसमें स्वयं अपने पानी को साफ करने की क्षमता हो। यदि नदियों

में पानी को साफ करने की क्षमता न रह जाए तो ये नदियां अपने आप में समाप्त हो जाएगी अर्थात् मौत के कगार पर चली जाएगी।

मैं कहना चाहता हूं कि पहले कंकड़ और पत्थर नदियों के पेट से निकाले गये। अब मैं बिहार की चर्चा करना चाहता हूं जहां जमीन के अंदर से बोरिंग करके 30-35 फीट नीचे नदी के बैड से नीचे से बालू निकाला जा रहा है और निर्माण उद्योग में उसको प्रयोग में लाया जा रहा है। यानी जिस बालू का स्तर हमें स्वच्छ जल देने की सबसे बड़ी गारंटी थी, उसे धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि जिस तरह से वन का कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस राष्ट्र में वन और पहाड़ों को बचाया गया, यदि नदियों को बचाने के लिए भारत सरकार यह कानून लेकर नहीं आती है, नदियों की सामग्रियों को यथावत बनाये रखने के लिए यदि सरकार कानून नहीं लेकर आती है तो ये नदियां समाप्त हो जाएंगी और इसका नतीजा यह होगा कि आम इंसान के जीवन पर खतरा पैदा हो जाएगा।

DR. SANJEEV GANESH NAIK (THANE): Mr. Chairman, Sir, thank you.

I would like to raise an important issue in the 'Zero Hour' regarding the status of Navi Mumbai International Airport.

The Ministry of Civil Aviation has accorded in-principle approval for the development of green field airport at Navi Mumbai in May, 2007. The Maharashtra Government has approved the development of Navi Mumbai International Airport and appointed CIDCO as the nodal agency in July, 2008. The CIDCO had applied to the Ministry of Environment and Forests for approval for carrying out a study for obtaining environmental clearance.

At the direction of the Central and State Government, the implementation of Navi Mumbai International Airport is to be done with the private participation. It is a PPP project. The process of bidding for the private investor is proposed to be undertaken in two phases. For this, Request for Qualification has been prepared and was submitted to the State Monitoring Committee for its approval on 15.12.2011. The Request for Qualification has been submitted to the Central Government Steering Committee.

There is already fifteen years delay. So, I urge upon the Government to grant approval for the Request of Qualification submitted for Navi Mumbai International Airport.

SHRI S. ALAGIRI (CUDDALORE): Mr. Chairman, thank you. Today, the condition of agriculturists is very worst. North-east and south-west monsoon has totally failed. There is no water for irrigation. There is no power to operate the pump sets. So, agriculturists are in a pitiable condition. There is no water especially in the Cauvery delta area. After the plantation is over, in Mettur dam there is no water. Even after the Supreme Court's order we are not able to get the water in the Mettur dam. So, the whole Cauvery delta area is totally vanished.

In this condition, the Government should increase the Minimum Support Price for paddy. In UPA I, when hon. P. Chidambaram was the Finance Minister, for the first time he gave Rs. 1,000 per quintal for the paddy procurement. But after that the ratio has not been increased properly. Now, the agriculturists want Rs. 1,800 per quintal for paddy. Then only the Minimum Support Price will be useful for the agriculturists.

Another point is that the calculation of production system done by the Costing Department of the Government of India is not fair. The production cost calculating system is not fair. The production cost of paddy is pvery high. It requires more water. It requires more fertilizers and pesticides. But, practically, now they have given more price for wheat but not given equal price for paddy. So, I would request that you should instruct the Government of India or you should instruct the costing Department to look into this. They have to look into how the production cost is calculated. Then only the cost should be finalised. The production cost of paddy is higher. So, they should give more price for paddy.

SHRI P. LINGAM (TENKASI): Sir, I would also like to associate myself with Shri S. Alagiri regarding giving more price for paddy which he raised during the 'Zero Hour'.

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Sir, I would also like to associate with Shri A. Alagiri regarding giving more paddy price which he raised during the 'Zero Hour.'

MR. CHAIRMAN: You may send the slips.

*SHRI P.R. NATARAJAN (COIMBATORE): Hon'ble Chairman Sir, I wish to bring to the notice of this House, an important matter relating to the proposed new legislation aimed at the price control and monitoring of drugs. The draft legislation, based on pharmaceutical pricing policy, is only in favour of pharmaceutical companies. Although Drug Price Control Order (DPCO) is implemented, there is no monitoring mechanism. Since last 20 years, there has been no governmental control over pricing of drugs. The pharmaceutical companies do not fix the price for drugs on the basis of their manufacturing cost. On the contrary, these pharmaceutical companies sell their medicines at exorbitant prices. For example, *Atenolol* is a drug used in treatment for high blood pressure and cardio vascular diseases. This drug is sold at a price more than 13 times of its actual manufacturing cost. *Amlodipine* is another drug which is used to treat heart-related diseases. This drug is overpriced and the price is 43 times more than that of other low cost medicines available for heart-related diseases. Also pharmaceutical companies sell medicines to the retailers as well as the government hospitals at different rates. Hospitals which supply medicines to the people, free of cost, are in a compulsion to buy medicines at very high prices from these companies.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Many pharmaceutical companies, in connivance with Doctors, make them to prescribe only their medicines and thereby earn huge profit. The proposed legislation is based on market based pricing policy, which is more profitable to pharmaceutical companies.

As per the direction of the Hon'ble Supreme Court, the Union Government should bring changes in the proposed legislation namely Drug Price Control bill-2012, which is otherwise more or less based on market pricing policy.

The drugs should be priced on the basis of the actual manufacturing costs incurred by the pharmaceutical company in producing them, so that Crores of people who are below the poverty line may be benefitted. I urge upon the Union Government to look into this matter.

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Mr. Chairman, Sir, I would like to bring the following matter to the notice of the Government for taking proper action.

India has now become the 'Diabetic Capital of the World', with more than 60 million people affected by diabetes. The World Health Organization estimates that there are about 350 million people in the world afflicted with Diabetes and states that it is a silent epidemic. The International diabetes Federation says that by 2030, India would cross 100 million diabetic patients. There are also reports that suggest that juvenile diabetes is affecting about 70,000 children up to 15 years of age.

Diabetes causes six deaths every minute and one in 20 deaths happen in the world is due to diabetes. It is an alarming proportion and if left unattended, it would overtake all the other causes of death in India and in the world too. Diabetes causes kidney failure, heart diseases, blindness, among others. Due to the seriousness it poses, it is very essential that India takes immediate steps to prevent, detect and cure this disease.

Though life style and food habits are main causes, the Government may send out advisories to all schools to make it mandatory to have one class purely devoted to physical training or yoga training, focused on preventing diabetes.There is also an urgent need to undertake immediate research project in this area to explore other ways of curing diabetics. The Government may also have inter-ministerial cooperation and coordination to increase its allocation for treating this dreaded disease, which is posing a grave threat to humanity.

श्री यशवीर सिंह (नगीना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बंद पड़े ईंटों के भट्टों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में फरवरी, 2012 में यह आदेश दिया था कि बिना इनवायरनमैन्ट इम्पैक्ट असैसमैन्ट की क्लियरेंस के पांच एकड़ से बड़े क्षेत्र मे मिट्टी का खनन नहीं किया जा सकता। अप्रैल, 2012 में पांच एकड़ से छोटे क्षेत्र में भी मिट्टी के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया

गया और अब ईंट भट्टा उद्योग के लिए खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश से देश भर में लाखों ईंट भट्टे बंद हो गये। अकेले उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में ईट भट्टा उद्योग बंदी के कगार पर हैं। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गये हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लाखों की संख्या में ईंट भट्टा में कार्यरत लोग मिट्टी खनन प्रतिबंधित होने से बेरोजगार हो गये।। मेरा चुनाव क्षेत्र नगीना, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंतर्गत आता है, वहां हजारों ईटं भट्टे हैं, यहां लाखों गरीब लोग ईंट पाथते हैं, एक-एक ईंट भट्टे पर पांच-पांच सौ लोग काम करते हैं। आज वे सभी भुखमरी की कगार पर हैं। उनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ईंट भट्टों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, उसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, जिससे कि गरीब लोगों के मकानों की कंस्ट्रक्शन में ज्यादा पैसा न लगे और गरीबों के मकान सस्ती दरों पर बन सकें।

श्री प्रेमदास (इटावा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं देश के डाक विभाग के संबंध में बोलना चाहता हूं। आज से बीस साल पहले डाक विभाग का बहुत महत्व था। यह खुशी की बात है कि विज्ञान आगे बढ़ा, मोबाइल आये, कंप्यूटर आया और नैट आया। लेकिन आज डाकखानों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखाने बंदी के कगार पर पहुंच गये हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारी संविदा पर नौकरी करते हैं, उन्हें आठ हजार या नौ हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के डाक कर्मचारियों का वेतन केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर होना चाहिए। इनमें डाक सेवक, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर वहां काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब सांसद लोग जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो वे धरना और हड़ताल करते हैं। जंतर मंतर पर भी आते हैं, उनका संगठन बहुत बड़ा है। हमेशा वे यही मांग करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता है। उनकी यही मांग रहती है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर उन्हें वेतन दिया जाए। उनको केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर माना जाए। डाकखानों की स्थिति अगर इसी तरह से चलती रही तो अगले दस-पंद्रह साल में सभी ग्रामीण डाकखाने बंद हो जाएंगे। मेरी मांग है कि डाकखानों को अच्छा बनाने के लिए सरकार विशेष ध्यान दे। पोस्ट मास्टरों और पोस्टमैनों की मांग जायज है। उनकी मांगों को सरकार को मानना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, आज शिक्षा पद्धति और शिक्षा प्रणाली के तहत काफी बातें नियम 193 के अंतर्गत की गई चर्चा के अंतर्गत सामने आई हैं। इसी से संबंधित महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

आज बच्चों का छोटी-छोटी बातों पर हिंसक हो जाना साधारण बात हो गई है। बच्चों का चीजों को तोड़-फोड़ करना, गालियां देना व मारपीट करना रोज की घटना हो गई है। संयुक्त परिवार और दादी-नानी की कहानियों से बच्चों के मन में भाईचारा, विनम्रता बड़ों के प्रति आदर भाव जैसे सामाजिक मूल्य विकसित होते थे। जिनसे एक हद तक बच्चे भोगवादी संस्कृति से बचे रहते थे। सामाजिक मूल्य विकसित होते थे। जिनसे संयुक्त परिवारों के टूटने से बच्चों में अकेलापन, मानसिक तनाव तथा व्यक्तिगत पहचान खो जाने की व्याकुलता पनप रही है। वर्तमान समय में परिवारों में बच्चों से भावनात्मक रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। यह निराशाजनक है कि बच्चों को अनेक प्रकार की भौतिकवादी सुविधाएं दे कर माता-पिता यह समझते हैं कि हमने अपने कर्त्तव्यों को पूरा कर दिया है। बच्चों के मनोभावों को समझने का प्रयास माता-पिता बिल्कुल नहीं करते हैं। बच्चा कम्प्यूटर पर क्या कर रहा है, वह किस तरह के हिंसक खेलों को कम्प्यूटर पर खेल रहा है यहा जानने की फ़ुरसत भी माता-पिता के पास नहीं होती है। कम्प्यूटर पर हिंसक खेलों को खेलते-खेलते बच्चा वास्तविक जीवन में भी हिंसक हो जाता है।

परिवार, मित्र, परिवेश और शिक्षक बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में सहायक होते हैं। इनमें कहीं भी चूक बच्चों को गलत राह पर ले जा सकती है। आज हर माता-पिता अपने बच्चों में एक सुपर बच्चे की तलाश कर रहे हैं। पढ़ाई के बढ़ते दवाब के कारण भी बच्चे हिंसक हो रहे हैं अथवा आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं।

शिक्षा प्रणाली में मनोवैज्ञानिक प्रयोग की आवश्यकता है। प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो प्रत्येक बच्चे की समस्याओं को समझ कर उसके अभिभावकों, साथियों और अध्यापकों के साथ मिल कर उसकी समस्या का समाधान कर सकें। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देना अति आवश्यक है। भारतवर्ष में शिक्षा धर्म है, कर्त्तव्य है न कि मार्केटिंग स्टंट है। अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि विद्यालयों में नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों, अध्यापकों तथ माता-पिता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का होना अति आवश्यक है। तभी बढ़ती हुई हिंसा को रोका जा सकता है।

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में डीडीए के द्वारा लगभग तीस हज़ार परिवारों को उजाड़ कर एक रोड़ बनाने के कार्यक्रम को सन् 2004 में उपराज्यपाल से मंजूरी ली गई थी। लेकिन उसमें आज 11 कॉलोनियां हैं, जिसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा सन् 2008 में दिया गया है। उनमें तीस हज़ार परिवार हैं। सौ मीटर रोड़ बनाने के लिए 35 किलोमीटर रोड़ बनेगा। जिसका नाम अर्बन एक्टेंशन है। जहां लगभग तीस हजार परिवार रहते हैं। इस भूमि में 15-16 साल

से घनी आबादी बस चुकी है। यदि इस क्षेत्र पर यह एक्स्प्रेसवे बनता है तो नजफ़गढ़ के लगभग तीस हज़ार परिवार बेघर होंगे। यहां पर अभी हाल में दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत लगभग 11 रेग्युलराइज्ड कॉलोनियां हैं, जिसमें द्वारकाविहार, रोशन गार्डन, संगम विहार, अमर विहार, इंद्रिरापार्क, लक्ष्मी विहार इत्यादि कॉलोनियां हैं। जिनमें हजारों परिवार रहते हैं। मई, 2006 में मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई उपायुक्त की रिपोर्ट पर अमल किया जाए तो इन हज़ारों परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है। यह रिपोर्ट जनहित में काफ़ी महत्वपूर्ण है। परंतु डीडीए इस रिपोर्ट पर अमल करता दिखाई नहीं दे रहा है। उसने आज तक अपनी योजना में कोई फ़ेरबदल नहीं किया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में यथाशीघ्र हस्तक्षेप कर उस एक्स्प्रेसवे का पुनः सर्वे करा कर उसका निर्माण उस जगह पर किया जाए, जहां पर वर्तमान में खाली भूमि पड़ी है। जिससे नजफ़गढ़ के हजारों परिवारों को बेघर होने से बचाया जा सकता है।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, as you are well aware, many National Highways cross our State, West Bengal. The most important National Highways in our State are NH-2, NH-31, NH-31D and NH-34. These stretches are very severely affected and damaged and have reached critical stage. Regarding the repair work on these National Highways, Secretary, PWD of the Government of West Bengal has been in constant touch with the NHAI authorities. The Chief Secretary, West Bengal has also on a few occasions written to Chairman, NHAI. Even the hon. Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee, wrote to the hon. Prime Minister of India highlighting the negligence of repair and maintenance of national highways under NHAI in West Bengal, but there is no response.

These national highways are not kept in traffic worthy condition due to lack of or nil maintenance or improvement of works. The works on a number of National Highways Development Projects are under implementation for quite long time, for example National Highway Nos.60, 31, 55 and 117. Though India is having only one per cent of the vehicles of the world, ten per cent of the deaths are taking place in India because of bad conditions of our National Highways.

I would like to request the hon. Minister to ensure that sufficient funds are allocated to complete the pending projects, maintenance and improvement of the

National Highways, new bridges on National Highways in West Bengal to stop accidents which invariably result in loss of lives.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Sir, I take this opportunity share the serious concerns over the recommendations of the Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP). Most of the recommendations of the Panel chaired by Prof. Madhav Gadgil have adverse impact on the development of six States in the country. Out of these, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Goa and Maharashtra will be the most affected.

The report submitted by the Panel is against the infrastructure development projects such as railways, roads, electricity, etc. Most of the recommendations of the Report are impractical. For instance, it proposes to decommission dams and thermal projects that have crossed their viable life span of 30-50 years. If it is implemented, water supply and power generation in the aforesaid States will be adversely affected.

The guidelines to classify different zones according to their environmental and ecological sensitivity are not in accordance with the ground realities of our country. If the recommendations of the Madhav Gadgil Committee Report are implemented, then the country will see massive displacement of people from their habitats and it is also totally against the interests of the farmers of Western Ghat region.

Therefore, I request the Government to take a judicious decision on the report submitted by the Western Ghats Ecology Expert Panel under the chairmanship of Prof. Madhav Gadgil.

श्री हरी माझी (गया): महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र गया, बिहार है। पूर्व-मध्य रेलवे टनकूपा स्टेशन के पास पूर्वी केवीन के पास ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए।

महोदय, वहां बहुत घनी आबादी है। स्टेशन पर हर वक्त दुर्घटना होती रहती है और कभी भी वहां बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करूंगा कि वहां ओवर ब्रिज बनाया जाए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं।

आयुर्वेद संपूर्ण विश्व को भारत की अद्‌भुत देन है। हम भारत के लोग पृथ्वी को मां मानते हैं, अथर्ववेद में भारतीय ऋषि ने कहा है- "माता भूमि पुत्रोअहम् पृथिव्याः।" इसी जीवन पद्धति के अनुरूप प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करते हुए शरीर को स्वस्थ रखने व अस्वस्थ शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने की यह अनुपम चिकित्सा पद्धति है। पश्चिमी चिकित्सा पद्धति शरीर का छोटे-छोटे टुकड़ों में विचार करती है, उसने प्रत्येक अंग के सूक्ष्म अन्वेषण में सफलता भी प्राप्त की है, परन्तु सम्पूर्णता के साथ शरीर की समग्र चिकित्सा का वैशिष्ट्य आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का ही है। मेरे ध्यान में ऐसे अनेक रोगी आये हैं तथा अन्य माननीय सदस्यों एवं सभापति जी आपके ध्यान में भी अवश्य आये होंगे, जिन्हें ऐलोपैथी से निराश होने के पश्चात आयुर्वेद ने नया जीवन प्रदान किया है। अभी इसी सत्र में डेंगू तथा उसके कारण शरीर में प्लेटलेट्स की होने वाली कमी की चर्चा हो रही थी। हमें पता है प्लेटलेट्स कम होने पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इन्हीं प्लेटलेट्स की कमी को आयुर्वेद के अनुसार गिलोय के अर्क का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। ऐसी ही असंख्य बातें हैं जो परम्परा से आयुर्वेद का अभ्यास करने के कारण सारे देश में जानी जाती हैं। देश तथा दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए यह चिकित्सा पद्धति अत्यन्त उपयोगी है तथा इसमें व्यापक, गहन व निरन्तर अनुसंधान की आवश्यकता है।

महोदय, इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित किया जाये।

MR. CHAIRMAN : Shri Pralhad Joshi is also associating with the issue raised by Shri Rajendra Agrawal.

SHRI NILESH NARAYAN RANE (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Mr. Chairman, Sir, I would like to raise the issue of slum rehabilitation in Mumbai which is in total mess. There is a body called Slum Rehabilitation Authority (SRA) which was set up in 1995 for reconstruction and rehabilitation of people staying in the slums. In the past 17 years, it has failed to provide homes to the 8.6 million people who stay in the slums of Mumbai.

For example, the Dharavi re-development project which was sanctioned about 8 years ago, about Rs. 50 crore have been spent on planning but not even one of the five sectors earmarked for redevelopment has taken off yet.

Similarly the area around the Mumbai Airport covers 276 acres which is under slums. About 85,000 families stay there, but only 11,000 houses have been constructed and 18,000 more are under construction. Out of the targeted 4 million slum dwellers, only 15 per cent have been given their homes. Even the recent CAG report has revealed improper practices in the Slum Rehabilitation Authority.

I would request the Government to take action towards the progress of the slum rehabilitation in Mumbai and rectify the things that are going wrong. There are a lot of things that are going wrong in the Slum Rehabilitation Authority. So, I would request the Government to take action as soon as possible.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति जी, पाकिस्तान का हमारे देश के खिलाफ एक दुस्साहस भरा षड्यंत्र तब देखने को सामने आया जब उसने कारगिल की एलओसी का उल्लंघन करके अपने सैनिकों द्वारा घुसपैठ करके भारत की धरती हथियाने का काम किया था। 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया जिसमें पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी। उसमें हमारे देश के कई सुपूत शहीद हुए थे जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। कैप्टन कालिया को 1998 में कमीशन मिला था और उसने जाट रेजिमैन्ट इनफैन्ट्री के माध्यम से कारगिल सैक्टर का पदभार संभाला था। जब कैप्टन कालिया अपने अन्य पाँच साथियों के साथ काकसर सैक्टर की बजरंग पोस्ट पर पैट्रोल करने जा रहे थे तो पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें 15 मई, 1999 को पकड़ लिया। काफी समय तक आमने-सामने गोलीबारी के बाद जब उनके पास असला समाप्त हो गया तो यह घटना घटी। कैप्टन कालिया अपने सभी साथियों सहित 7 जून, 1999 तक, यानी 22 दिनों तक पाकिस्तानी सेना के कब्ज़े में रहे और 9 जून, 1999 को पाकिस्तानी सेना ने कटी और बुरी हालत में उनकी बॉडी को भारत के हवाले किया था। 9 जून, 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया के पार्थिव शरीर को उनके पिता डॉ. एन.के.कालिया को सौंप दिया गया। उस समय जब कैप्टन सौरभ के पार्थिव शरीर को बुरी हालत में भारत के कमांडोज़ को भारत के कारगिल सैक्टर में सौंपा गया था तो उन्हें इस बात का अहसास करवाया गया था कि उनकी बॉडी को किस प्रकार से तोड़ा-मरोड़ा गया और किस प्रकार से प्रताड़ित कर उसे क्षत-विक्षत किया गया। 15 जून, 1999 को नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास को बुलाकर इस घटना को बताया गया था और उसे जेनेवा कनवैन्शन के खिलाफ

युद्ध में सैनिकों के प्रताड़ित करने का मामला बताया गया था। हालांकि कैप्टन के पिता डॉ. एन.के.कालिया तब से भारत सरकार तथा विश्व की अन्य संस्थाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहे हैं कि जेनेवा कनवैन्शन की मर्यादाओं के खिलाफ पाकिस्तान ने कारगिल में युद्धबंदियों के साथ जो व्यवहार किया है, इस मामले को राष्ट्रसंघ में उठाया जाए। परंतु यह खेद का विषय है कि इस ओर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कैप्टन सौरभ कालिया हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से संबंधित हैं और वैसे भी हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को सेना में भर्ती होकर देशसेवा करने का शौक है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि करगिल युद्ध में चार परमवीर चक्रों में से दो हिमाचल प्रदेश के जवानों को प्राप्त हुए थे। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से ले कर जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के संबंधित सेना के अधिकारियों के ख़िलाफ़ जिनीवा कनवैन्शन को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रकार की घिनौनी हरकत युद्धबंदियों के साथ करने पर जो हो सके, उसे तुरन्त करना चाहिए। कैप्टन सौरव कालिया के परिवार को इतने साल बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई न होने से परेशान है, उन्हें न्याय मिल सके, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Rajendra Agrawal, Shri Govind Prasad Mishra, Shri Pralhad Joshi, Shri Ravindra Kumar Pandey and Shri Virendra Kumar are permitted to associate with the matter raised by Shri Virendra Kashyap.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना मनरेगा है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अरबों रुपयों का बजट प्रत्येक राज्य को आबंटित किया जाता है तथा जिन राज्यों में मनरेगा योजना का सुचारू संचालन हुआ है, वहां के निवासियों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। जिसका ज्वलंत उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र माँ जालपा की नगरी राजगढ़ का है, जहां के ग्रामीण लोग पूर्व में एक वर्ष में लगभग आठ महीने राजस्थान के कोटा तथा अन्य जिलों में अपने परिवार के साथ मजदूरी करने जाते थे जिससे उनका साल भर के लिए जीवन यापन करने हेतु मात्र राशन पानी की ही व्यवस्था हो पाती थी। लेकिन आज मनरेगा ने मेढ़ बंधान एवं कूप निर्माण, भूमि सुधार जैसी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है।

महोदय, इसमें एक बहुत बड़ी विसंगति है जो मध्यप्रदेश राज्य में आ रही है। जहां राज्य शासन द्वारा समय पर एमआईएस न करने के कारण तकनीकी कारणों से केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त राशि जारी नहीं की जा सकती है। प्रदेश सरकार की इस गलती का खामियाजा मनरेगा के मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में इस महत्वपूर्ण जीवनदायिनी योजना की समीक्षा की जाए तथा जो राज्य समय पर एमआईएस न करे अथवा मनरेगा की राशि किसी

अन्य योजना में उपयोग कर ले, जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य करता आ रहा है। ऐसे राज्यों में जिस प्रकार भारत सरकार के रेलवे, हवाई यातायात और दूरदर्शन जैसे विभाग, बिना राज्य सरकार के हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। उसी प्रकार इस मनरेगा योजना के समुचित संचालन हेतु भी केंद्र सरकार का अमला, ऐसे राज्यों में स्थापित किया जाना चाहिए जिससे इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सीधे हमारे देश के मजदूर वर्ग को ही मिले और राज्य सरकारें केंद्र शासन की ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का दुरुपयोग न कर पाएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI): Thank you, Chairman, Sir.

I would like to bring the problems being faced by the passengers traveling from Chennai Egmore to Karaikal by train no. 16175. This is the last train departing from Chennai Egmore and the scheduled time of departure is 2315 hours. People belonging to several religions are regularly visiting the famous Velankanni Church, Nagore Dargah and Saneeswaran Temple at Thirunallar. This is the only train for those people leaving to visit these places. These places are not only visited by people of our country but also by the people from other countries. Agriculturists, students, officials and senior citizens are regularly using this train service. But regularly the train is being delayed due to the non-availability of railway coaches. Every day it is departing the next day that is after 24 hours (midnight 12 P.M.) instead of 2315 hours and reaching the destination very late. This is creating lot of problems for the general public. They have to spend more time in the railway platform at Egmore where there is no sitting arrangement.

Moreover the mosquitoes are also creating huge problems for the passengers. People are facing problems at rainy and summer seasons. Moreover the railway officials are also unavailable to answer the queries raised from the public.

Now the people are demanding to provide new coaches in time and to change the schedule time of departure from 2315 hours to 2215 hours.

I, on behalf of the people, request the hon. Minister of Railways to take necessary action to meet the demands of the general public at the earliest.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, नयी दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान में हिन्दुस्तान में सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुस्तक मेला सरकार की ओर से नहीं, बल्कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मारक न्यास की ओर से मनाया जा रहा है। उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी, लोक सभा अध्यक्ष महोदया आदि सभी महापुरुष आमंत्रित हैं। उसमें देश के नामी, मशहूर कलाकार, साहित्यकार, नाट्यकार भाग ले रहे हैं। उसमें श्री बिरजू महाराज जैसे मशहूर कलाकार भाग ले रहे हैं। उसमें एलान किया जाएगा कि भारत सरकार तुरंत राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति घोषित करे। यह आश्चर्य और दुःख का विषय है कि हिन्दुस्तान में अभी कोई राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति नहीं है। इसलिए सरकार राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति घोषित करे और पुस्तक संस्कृति का विकास करे, इस पुस्तक मेला से यही संदेश देना है। भारत सरकार ने "नेशनल लाइब्रेरी मिशन " शुरू किया है। इसको तेज किया जाना चाहिए।

महोदय, बिहार में शुरू हो गया कि "मदिरालय नहीं, पुस्तकालय चाहिए ", "शराब नहीं, किताब चाहिए ", "बेरोज़गारों को रोज़गार चाहिए "। महिलाएं सड़कों पर उतर गयी हैं कि नशाबंदी करो। हाल में रक्सौल, मुज़फ्फरपुर, गया, आरा में सैंकड़ों लोग ज़हरीली शराब पीकर मर गये। वहां लोग उद्वेलित हैं। गरीब आदमी मर रहा है। भारत के संविधान की धारा 47 में कहा गया है कि मद्यनिषेध होगा। महात्मा गांधी ने कहा कि मद्यनिषेध होगा। मुहम्मद पैग़म्बर ने कहा - उमूल खबायस। शराब सभी पापों की जड़ है, ईसा मसीह ने कहा है। वर्ष 1953 में श्रीमन्नारायण कमेटी, वर्ष 1963 में जस्टिस टेकचन्द कमेटी, और वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नशाबंदी होना चाहिए। देश के गुज़रात में नशाबंदी है। बिहार में भी वर्ष 1977 में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने किया था। इसलिए पुस्तक संस्कृति का विकास होना चाहिए। मदिरालय नहीं, पुस्तकालय चाहिए, और राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन को तेज़ किया जाय। राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति की घोषणा हो। पुस्तक संस्कृति और पुस्तकालय आंदोलन को हिन्दुस्तान में तेज़ किया जाय। यही मांग है और यही सदन से हमारी अपेक्षा है कि सब लोग इसका समर्थन करें।

MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Rajendra Agrawal and Shri Pralhad Joshi are permitted to associate with the matter raised by Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान देश की राजधानी दिल्ली के एतिहासिक क्षेत्र कनॉट प्लेस, जिसका परिवर्त्तित नाम राजीव चौक है, की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 2010 के अक्टूबर में कॉमनवेल्थ खेल होने थे। उस नाते दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाने का काम किया जा रहा था। कनॉट प्लेस, जिसे दिल्ली का ह्रदय कहा जाता है, उसे भी खूब सजाया गया। जगह-जगह पौधे लगाए गए। फूलों के गमले रखे गए। विभिन्न विभागों के बिल्डिंगों की

मरम्मत की गयी। पार्किंग प्लेस, लाइट्स, सबको दुरुस्त कर दिया गया। लेकिन, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कॉमनवेल्थ खेल को मात्र दो वर्ष बीते हैं और कनॉट प्लेस की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। पौधे सूख चुके हैं। गमले गायब हो चुके हैं। लाइटें बंद पड़ी हैं। पुल-पुलियों का जो निर्माण हो रहा था, वह भी आधा-अधूरा है। पूरा का पूरा क्षेत्र एकदम धूल में सना हुआ है। एनडीएमसी और सीपीडब्ल्यूडी ने जगह-जगह कूड़ा-करकट बिछा रखा है। सफाई का नामो-निशान नहीं है। विगत दो वर्षों से जो निर्माण कार्य सड़कों पर हो रहे थे, वे सब आधे-अधूरे पड़े हैं।

महोदय, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां दुनिया भर से लोग आते हैं। कनॉट प्लेस, जिसे मैं दिल्ली का हृदय स्थल कहता हूं और वह सचमुच है भी। लेकिन, वहां आज स्थिति इतनी दयनीय है कि वहां आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। यातायात में जाम लगा रहता है। वहां पर कॉमनवेल्थ गेम के समय से जो निर्माण कार्य प्रस्तावित थे, जो हुए थे, उनकी देखरेख करने वाला आज कोई नहीं है। पहले लगता था कि वाकई में दिल्ली सुन्दर हो जाएगी, पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन दिल्ली सुंदर नहीं बन पाई। उसकी देख-रेख करने वाला कोई आदमी नहीं है। पार्लियामेंट के आसपास चारों तरफ भी वही स्थिति है। जितनी सड़कें थीं, उनके चारों तरफ ग्रेनाइट पत्थर लगाए गए थे, बढ़िया फुटपाथ बनाए गए थे, लेकिन आज उनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि इतना पैसा बर्बाद हुआ है, कृपा कर उसकी सुरक्षा और व्यवस्था करें।...(व्यवधान) उस समय जो काम नहीं हुआ था, उसे पूरा करने का काम करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to raise an important issue pertaining to laying of new railway line in my Parliamentary Constituency.

Sir, Morappur-Dharmapuri, a 36 kilometre rail line project, which falls under my Parliamentary Constituency requires a meagre sum of Rs. 146 crore compared to other big projects. This is a long pending demand of the people of my Constituency. If this project is implemented, people from two districts, namely Dharmapuri and Krishnagiri, and the surrounding towns will be greatly benefited. This would also generate a lot of resources for the Railways as these routes are highly economically viable because of the geographical structures

connecting places of importance with regard to religion, commerce and tourism. If this rail line is laid, two neighbouring States, namely, Andhra Pradesh and Karnataka will also be benefited as this will help easy movement of freights and passengers.

In this connection, I would like to bring it to the kind notice of the Government that the rail services were existing during the British regime on this demanded sector, but the same was abandoned over the years. The land is already with the Railways. So, no land acquisition is required by the Railways. We need to lay only the track.

Sir, I had raised this issue many times in this august House. I would once again plead for the same to consider and implement this important rail link falling in my Parliamentary constituency.

I would, therefore, urge upon the hon. Railway Minister to take up this Morappur-Dharmapuri Railway Project in the ensuing Railway Budget under 100 per cent budgetary provisions. By doing this, more than 20 lakh people would be benefited and the Railways would also earn more revenue.

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के बड़े संवेदनशील विषय पर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करती हूं। बैतूल हरदा हरसूद में बीएसएनएल की सेवा की स्थिति बहुत ही खराब है। पूरे बैतूल जिले में 116 बीएसएनएल के टावर लगे हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए हैं। इन स्थानों पर विद्युतिकरण नहीं होने के कारण यह टावर हमेशा ज्यादातर समय बंद रहते हैं। साथ ही कई स्थानों पर मोबाइल कवरेज दिखाने के बावजूद भी मोबाइल प्राय: बंद पाए जाते हैं। आज भी हमारे देश के वनग्राम विद्युत विहीन हैं। ऐसे विद्युत विहीन ग्राम में टावर जेनरेटर के माध्यम से चलाए जाते हैं। शायद 15 दिनों से महीने तक, इसमें केवल एक हफ्ते जेनरेटर की व्यवस्था की जाती है। इन कारणों से जो बीएसएनएल की सुविधा उन गांवों को मिलनी चाहिए, वह सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं होती है। कई जगह तो टावर बन कर तैयार हैं, लेकिन वे भी आज तक शुरू नहीं हुए हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र के बैतूल, चिल्लौर, महतपुर जावरा, चूनालोहमा, झापल, धार (खामला) आदि, इसी प्रकार के ऐसे ही संसदीय क्षेत्र के हरदा जिले में भी गहाल, दीपगांव कला, बेड़ी, रनाईकला आदि कई

ऐसे टावर हैं, जो बन कर तैयार हैं, परन्तु आज तक वे शुरू नहीं हुए हैं। साथ ही कई स्थानों पर बीएसएनएल के नए टावर लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

SHRI J.M. AARON RASHID : Thank you, Mr. Chairman, Sir. I am going to raise a very important matter regarding Spices Park at Bodi in my Parliamentary Constituency Theni.

As you are aware, this area is well known for spices, especially cardamom plantations, cloves, coffee, tea and black pepper. I am thankful to Shrimati Sonia Gandhiji and our hon. Prime Minister under whose leadership, an E-auction Centre was opened. But there is no good spice market in this area whereby the farmers can get the best price for their produce. There are only four auction centres and these centres are full of *dalals*, brokers who buy spices from the farmers on their own rates and not on market rates. Like this, the farmers could not get appropriate prices for the spices produced. Some poor farmers take loan from private money lenders and they become defaulters because they are not getting the appropriate rates for their produce. The banks are not giving proper loans to the spice producers. The Government of India has waived Rs.72,000 crore of loans of the farmers but the banks are neglecting the farmers and are not willing to give loan to the poor farmers.

My request is that the Government should intervene and instruct the bankers to give loan to the farmers. Last year one or two people were even trying to commit suicide. So, my humble request to the Government is to create an international level Spices Park at Bodi where international traders and merchants will come for business and the farmers will get definitely a good price for their produce. The Government of India will also get good foreign exchange revenue.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you Chairman Sir for giving me this opportunity to raise an important public issue.

The Headquarters of my constituency is Salem City. It is also called as Steel City because of the presence of Salem Steel Plant there. The Plant was inaugurated by our late Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi. To meet the water requirement of the Plant, a pipeline was laid from the Cauvery riverbed at Poolampatty to the Plant covering a distance of nearly 30 kilometres. To maintain the pipeline running through the stretch, a *pucca* road was laid which was also used as a thoroughfare for the local public in and around the area. The road was laid in the 1970s. Due to efflux of time, the condition of the road had become so bad with more potholes and it became unusable.

As an MP, I took up the issue with the then Minister of Steel, Shri Virbhadra Singh. He not only promised to look into the request but also issued orders for re-laying the entire road in three phases. Nearly three years have passed since the order was issued but the road work could not be taken up due to lack of adequate number of bidding to the tender notice. Hence, the re-laying of the road work remains unfulfilled. As the re-laying of the Poolampatty-Salem Steel Plant road work is very, very important for both the Plant and also the road users in and around the villages, I humbly request the hon. Minister of Steel, through you, Mr. Chairman, to expedite the tender procedure and to ensure that the re-laying work is taken up and completed without any further delay.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा रैगुलेशन 2011 में आंशिक संशोधन की आवश्यकता है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली के तहत खाद्य व्यापारी को 15 अगस्त, 2012 तक लाईसेंस निबन्धन कराना है। सम्बन्धित कानून को भारत सरकार द्वारा अंगीकार किया गया है, जिसे देश के राज्यों को लागू करना है, परन्तु इस कानून में विसंगतियां हैं, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। कानून को लागू करने की तारीख को राज्य के व्यापारियों की मांग पर 6 महीने के लिए विस्तार करना श्रेयस्कर होगा।

वर्तमान में उक्त अधिनियम के तहत शुल्क अदा करने के दृष्टिकोण से सिर्फ 12 लाख तक रजिस्ट्रेशन तथा 12 लाख से ऊपर को निबन्धन में बांटा गया है। इस शुल्क को कम से कम 6 खण्डों में विभाजित किया जाना चाहिए।

खाद्य पदार्थों, अनाज एवं फलों में कीटनाशक एवं अन्य रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाने से जन स्वास्थ्य बेहतर होगा, जिसके लिए मैं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।

अन्त में मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि झारखण्ड के खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आंशिक संशोधन किया जाये।

19.00 hrs.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने के लिए परमीशन और समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिआ अदा करता हूं।

आप सभी जानते हैं पूरे देश में जो ओल्ड ऐज के बुजुर्ग लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं और जो हमारी विधवा बहने हैं, इन तीनों को मैं देख रहा हूं कि ये मुसीबत में हैं। आप जानते हैं कि ओल्ड ऐज पेंशन, विडो पेंशन और इसके साथ ही हैंडीकैप्ड पेंशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं। लोगों को फार्म भरे हुए पांच साल हो चुके हैं, लेकिन कोई सिंगल केस भी मेरी स्टेट में किसी का सैंक्शन नहीं हुआ। वह कहते हैं कि पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा, तब हम इनकी पेंशन शुरू करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बुजुर्ग आदमी जब जवान होता है, तो जवानी के दिनों में चाहे मजदूर हो या किसान हो, अपनी मेहनत से रोजी-रोटी कमा लेता है। जो इंप्लाई होता है, जब वह नौकरी से रिटायर होता है, तब उसे पेंशन मिलती है। लेकिन जब वह बुजुर्ग बनता है, गरीब आदमी, जो मजदूर होता है, जब उसकी बारी आती है, तो उसे कोई पेंशन नहीं मिलती है, कोई रोजी-रोटी का इंतजाम नहीं होता है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई बार नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई भी बुजुर्ग हो, कोई विडो हो, कोई हैंडीकैप हो, देश के हर नागरिक के लिए बीपीएल या किसी किस्म की बार नहीं होनी चाहिए। जो पेंशन लेना चाहता है, उसे पेंशन मिले। बुजुर्गों की बहुत बुरी हालत है। उनके बच्चे उन्हें पूछते तक नहीं हैं, इसलिए बुजुर्ग तरस रहे हैं। इसलिए मेरी जनाब से रिक्वैस्ट है कि इस चीज को गवर्नमेंट नोटिस करे और इनके लिए ख्याल करे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Virendra Kumar is allowed to associate with the matter raised by Chaudhary Lal Singh.

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): माननीय सभापति जी, हमारे संसदीय क्षेत्र सीधी में सिंगरौली जिला आता है। यहां कोयले की 10-12 खदानें हैं और करीब दस हजार मेगावॉट बिजली के ताप विद्युत संयत्र हैं। करीब दस हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन के लिए वहां संयत्र बन रहे हैं। वहां कोयला खदान की वजह से ब्लास्टिंग होती है, वहां धूल और कोयले का इतना वायु प्रदूषण है, जिसकी वजह से लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। वहां पानी खारा हो गया है और वायु प्रदूषित हो गयी है। विभिन्न तरीके की बीमारियां जैसे दमा, टीबी, किडनी फैल्योर लोगों को हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जहां एक हजार मेगावॉट तापीय विद्युत बनती है, उससे जो फ्लाई ऐश निकलता है, वहां साल भर में करीब पांच सौ किलो मर्करी का उत्सर्जन होता है। जहां दस हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है और दस हजार मेगावॉट का उत्पादन प्रस्तावित है, आप समझ सकते हैं कि वहां टनों मर्करी का उत्सर्जन हो रहा है। वहां गंभीर स्थिति है।

पिछले वर्षों में केंद्रीय सरकार ने सी.पी.सी.बी. के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वहां पर रोक लगा दी थी। लेकिन कतिपय किन कारणों से, वहां प्रदूषण रोकने के लिए उद्योगों पर जो रोक लगी थी कि नए उद्योग स्थापित नहीं हो सकते हैं, पुनः चालू कर दिया गया है। आज वहां परिस्थितियां बहुत दयनीय हैं। लोग मानसिक रूप से विकलांग हैं, टीबी के मरीज बन चुके हैं, किडनी और विभिन्न प्रकार बीमारियां वहां लोगों को हो रही हैं।

मैं आपके माध्यम से पर्यावरण वन मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वहां जो प्रदूषण निगरानी समिति है, कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से वहां वह एक समिति भेजे और जांच करा करके वहां प्रदूषण खत्म करने के लिए व्यवस्था करे, जिससे वहां का आम आदमी आपने जीवन को सुरक्षित कर सके।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.

<u>19.05 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, December 14, 2012/Agrahayana 23, 1934 (Saka).

____